Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य विवरण

अङ्क ११] द्वितीय विधान सभा के ग्यारहवें सत्र, १९६१ का चतुर्थ दिवस [संख्या ४

गुरुवार दिनांक, १४ सितम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, गृह, यातायात, स्वायत्त शासन, सहकारिता, आबकारी, आयुर्वेद, न्याय, वित्त एवं खादी ग्रामोद्योग-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

पंचायतों के निर्विरोध चुनाव और पुरस्कार

९१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने कोई ऐसे आदेश दिये थे कि जिन पंचायतों के चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हुए हैं उन्हें पुरस्कार दिया जावेगा ?

(ख) हाल ही के हुए पंचायत चुनावों में कितनी पंचायतों के निर्वाचन निर्विरोध हुए हैं और किन किन को कितनी कितनी धनराशि पुरस्कार के रूप में दी गई ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां। जिन पंचायतों में सरपंच और पंचायत के निर्धारित पंचों की संख्या में से ८० प्रतिशत पंचों के चुनाव एकमत हुए हैं ऐसी पंचायतों को २५ नये पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से पंचायत की जनसंख्या के आधार पर अनुदान देने का सरकार ने आदेश दिया था।

(ख) १९९२ पंचायतों के निर्वाचन निर्विरोध हुए। १५७४ पंचायतों को जो अनुदान स्वीकार हुआ, उसकी सूची संलग्न है। जयपुर, अलवर एवं पाली जिले की समस्त ऐसी पंचायतों और नागौर जिले की कुछ पंचायत समितियों की ऐसी पंचायतों के लिये आदेश जारी नहीं हो सके क्योंकि निर्विरोध निर्वाचन के संबंध में सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पायी। इन जिलों से पूर्ण सूचना प्राप्त होते ही इनके सम्बन्ध में भी आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

(सूची अति विस्तृत होने की कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि नागौर इत्यादि की सूचना नहीं

Page No.2

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

है और आते ही इनाम दे दिया जावेगा, तो उनको इलेक्शन के बाद या उससे पहले ही इनाम दे दिया जावेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आते ही दे दिया जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : निर्विरोध आने वालों को जो यह इनाम बांटी गई तो यह किस आधार पर इनाम बांटी गई ? गांव की पॉपुलेशन के बेसिस पर या वोटर्स लिस्ट की बेसिस पर या पंच जो निर्विरोध आये उनके बेसिस पर ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने जवाब दिया है। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से पंचायत की जन संख्या के आधार पर।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने लिस्ट दी। मालपुरा में तो निर्विरोध आये नहीं; टोडा में मेरी कॉन्स्टिट्युन्सी में निर्विरोध आये हैं। बहुत से गावों की पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उनको धन-राशि कम मिली है, आपके जीतने वालों को ही कम मिली है तो आखिर यह किस आधार पर ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कहीं का कोई केस ध्यान में लावेंगे तो मैं जरूर उसकी जांच करूंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ध्यान में लाने का जरिया क्या होता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप कोई स्पेसिफिक उदाहरण दें तो जांच कराई जाय कि कितनी पंचायतों में ज्यादा मिलना चाहिये और कितनी में कम मिलना चाहिये था, लेकिन ज्यादा मिल गया है। सारों की जांच कराना तो मुश्किल है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप ध्यान दें तो पंचायतों के सरपंचों की दरख्वास्त करा दूं तो फिर तो डिफरेंस मिल जायगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जरूर मिलेगा।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मान लीजिये कि इलेक्शन पिटीशन चल रही है और वह सरपंच हट जाता है तो ऐसी सूरत में क्या पोजिशन रहेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इलेक्शन पिटीशन का रिजल्ट आवेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

डा० बहादुरसिंह : इधर आवेदन दे दिया और पैसा मिल गया और उधर इलेक्शन पिटीशन आ गई तो ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इलेक्शन पिटीशन से नहीं देना चाहिये और यदि आवेदन दे दिया और मिल गया और इलेक्शन पिटीशन का निर्णय विरुद्ध गया तो वापिस लिया जा सकता है।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह आपने जानने की कोशिश की है, जिन जिन जगहों से सूचना नहीं आयी है वह क्यों नहीं आई, चुनाव हुए इतने दिन हो गये इसका क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसमें तो उसका इन्टरेस्ट होना चाहिये। उनको जल्दी करनी चाहिये; ताकि सरकार से सहायता

Page No.3

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ले सकें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या जो इस प्रकार के पुरस्कार दिये जाते हैं उनके लिये सरकार नियम बनाना चाहती है, डेफीनिट ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी तक तो यह नियम है कि जहां निर्विरोध चुनाव हुआ है वहां जनसंख्या के आधार पर राशि दी गई है। इसमें हमने यहां तक रखा है कि अगर किसी का नोमीनेशन रद्द हो जाता है और इस तरह से कहीं निर्विरोध चुनाव हो जाता है उसको सरकार ने इसके लिए मान्यता नहीं दी है।

स्टेट बैंक जयपुर के जमादार की रोगग्रस्त आंख का ऑपरेशन

६२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि ३० मार्च, १९६० को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक मृत व्यक्ति की आंख का कॉर्निया स्टेट बैंक, जयपुर के एक जमादार की रोगग्रस्त आंख में ऑपरेशन द्वारा फिट किया गया था ?

(२) यदि हां, तो यह ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया और क्या ऐसा ऑपरेशन करने से पूर्व उक्त जमादार से लिखित स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ? यदि हां, तो कृपया ऐसे लिखित पत्र को प्रतिलिपि सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं ली गई, तो क्यों ?

(३) ऑपरेशन से पूर्व उक्त जमादार की आंख किस रोग से ग्रसित थी तथा उसकी आई साइट क्या थी ?

(४) क्या यह सही है कि अब उक्त जमादार को बिल्कुल नहीं दिखता है तथा उसकी पूरी आंख निकाल दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) यह ऑपरेशन डॉ० बी० एन० कंसल द्वारा किया गया। ऐसे ऑपरेशन करने के पहिले लिखित स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई क्योंकि बीमार ऑपरेशन के लिये तैयार था इसलिये स्वीकृति लेनी जरूरी नहीं थी।

(३) ऑपरेशन के पहिले उक्त जमादार की आंख की रोशनी ६।६० थी और वह Central Cerneal Opacity ग्रसित थी।

(४) जी हां, क्योंकि वह आंख सैप्टिक हो गई थी और उसको निकालना पड़ा था।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि जमादार की स्वीकृति थी। क्या यह सही है कि जमादार ने सरकार के सामने ऐसी दरख्वास्त पेश की है जिसमें उसने लिखा है कि उसको बिना स्वीकृति के यह ऑपरेशन किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शिकायत तो उसने की है कि मेरी आंख इस तरह से खराब हो गई। उससे लिखित रूप में स्वीकृति नहीं ली गई, लेकिन डाक्टरों से जानकारी करने पर पता चला कि हमने उससे पूछ लिया था और उसने मौखिक स्वीकृति दे दी थी।

श्री भैरोंसिंह : मेजर ऑपरेशन करने से पहले उस व्यक्ति से या उसके घर वालों से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आम तौर पर ऐसे ऑपरेशन्स में, जिनमें मौत होने का डर रहता है, लिखकर ले लिया जाता है; घर वालों की स्वीकृति लेते हैं। लेकिन जिस मामले का जिक्र किया गया है उसमें स्वीकृति लेनी चाहिये, लेकिन लेना कोई आवश्यक नहीं। मेडिकल कोड के अनुसार भी आवश्यक नहीं।

श्री भैरोंसिंह : नियमानुसार जहां फिजिकल डिसेबिलिटी का प्रश्न आता है वहां लिखित रूप में स्वीकृति लेना आवश्यक है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे कहा गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): जब नियम नहीं है तो ब्लड के ट्रान्समिशन के समय लिखित रूप में उनके घर वालों से क्यों लिया जाता है ? इसमें तो एक व्यक्ति की आंख चली गई, उसमें भी स्वीकृति नहीं ली गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आंख का जो ऑपरेशन किया गया वह राजस्थान में पहला एक्सपेरिमेन्टल ऑपरेशन था ?

श्री बद्रप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात नहीं। आज सुबह ही मैंने आंखों के दूसरे एक्सपर्ट से कन्सल्टेशन किया और उनसे पूछा कि वास्तव में क्या इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा मैंने भी ऐसे ऑपरेशन किये हैं और इस सम्बन्धी लिटरेचर भी मैंने देखा, इसमें कोई मेजर ऑपरेशन जैसी बात नहीं है। बी० सी० शर्मा, जिनका एक यूनिट है, उन्होंने भी इस तरह के तीन-चार ऑपरेशन्स किये हैं। इस प्रकार के ऑपरेशन में पचास प्रतिशत सक्सेसफुल होते हैं और पचास प्रतिशत नहीं होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के ऑपरेशन बाद में सफल हुए होंगे, किन्तु it was the first and experimental operation.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं।

श्री भैरोंसिंह : उस समय डॉ० कंसल, जो स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आये, उसके बाद this was the only operation.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं तहकीक से नहीं कह सकता किन्तु बी० सी० शर्मा ने भी मुझे कहा है कि वे भी इस प्रकार के ऑपरेशन करते रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह ऑपरेशन एक्सपेरिमेन्टल ऑपरेशन था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डॉ० कंसल यहां थे नहीं, इसलिये मैं इस बारे में उनसे पूछ नहीं सका कि उनका यह पहला ऑपरेशन था या क्या !

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी और जहां तक नियमों में लिखित स्वीकृति लेने का प्रावधान है और जिस केस के अन्दर इस प्रकार की स्वीकृति का अभाव हो और जिसके कारण उस व्यक्ति की एक आंख चली गई हो और दूसरी आंख की पचास प्रतिशत रोशनी चली गई हो, इस

Page No.5

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार के एक्सपेरीमेन्ट से जिस व्यक्ति को इतना लौस हुआ है उस लौस को कम्पेन्सट करने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं निहायत अदब के साथ माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि ऐसी बात नहीं। डॉक्टर लोग बहुत काम करते हैं और बहुत से ऑपरेशन करते हैं। बहुत मामलों में कामयाब होते हैं और बहुतों में नहीं भी होते हैं । वैसी हालत में एक ऑपरेशन में जहां सक्सैसफुल हो जाते हैं और दूसरे में नहीं होते हैं तो डॉक्टर की बोना-फाइडी में हमें सन्देह नहीं करना चाहिये। जब कि उस व्यक्ति की एक आंख की रोशनी जा रही थी तो उसको बचाने की गरज से उन्होंने उसका ऑपरेशन किया; ऐसे ऑपरेशन में पचास प्रतिशत क्योर होते हैं। अगर इसमें मेलाफाइड इन्टेंशन होता तो I would have taken necessary action. यहां कोई इस प्रकार का एलीगेशन नहीं कि उनकी बोनाफाइडी पर सन्देह किया जाता हो। आम तौर पर इस तरह की बातें होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : बोनाफाइड में डाउट करने का सवाल नहीं। सवाल तो यह है कि उसका ऑपरेशन एक एक्सपेरिमेन्टल ऑपरेशन था। जिसके कारण एक आदमी को फिजिकली डिसएबल पर्मानेन्ट तौर पर कर दिया गया। दूसरे स्थानों पर इस प्रकार के एक्सपेरिमेन्टल ऑपरेशन्स होते हैं। वहां पर इस प्रकार के पर्सन्स को कम्पैन्सेट करने के लिये प्रावधान होता है, तो मेरा कहना यह है कि क्या राजस्थान सरकार भी उस व्यक्ति को कम्पैन्सेट करने के बारे में विचार करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस ऑपरेशन को एक्सपेरिमेन्टल ऑपरेशन कहना गलत होगा। वे डॉक्टर जिन्होंने इस प्रकार का ऑपरेशन किया वे बहुत पुराने और ट्रेन्ड डॉक्टर हैं अगर किसी रॉ आदमी से इस प्रकार का ऑपरेशन कराया जाता तो हम उसे एक्सपेरिमेन्टल कह सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : जब वे अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आये तब उसका यह पहला ही ऑपरेशन था और वह भी एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर। उसमें भी वे कामयाब नहीं हुए। उन डॉक्टर महोदय ने 'राष्ट्रदूत' के पत्रकार को इन्टर्व्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर ऑपरेशन किया और मुझे पूर्ण सफलता मिली है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : अखबार में इस बारे में छपा है और उन डाक्टर महोदय का इन्टर्व्यू के नाम से छपा है। ये सब रिलेवेन्ट सवाल हैं। उसकी जानकारी आपको करके आना चाहिये था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में नहीं है कि ऐसा कोई वक्तव्य दिया गया हो।

श्री भैरोंसिंह : If it is proved that it was on experimental basis, then is the Government going to compensate the man or not ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार के निश्चित कोई रूल्स हों तो आप बतलाइये।

श्री भैरोंसिंह : लिखित स्वीकृति लेने के रूल्स हैं, हालांकि उसकी कॉपी मैं नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

लाया। माननीय मंत्री महोदय किसी से पूछ सकते हैं ऐसे रूल्स हैं; कि मेजर ऑपरेशन के समय लिखित रूप में उससे या उसके घरवालों से लिया जाता है। वैसी हालत में जब कि इस व्यक्ति से इस प्रकार का लिखित रूप से कुछ नहीं लिया गया और ऐसे व्यक्ति का एक्सपेरिमेन्टल ऑपरेशन होता है उसमें उसकी एक आँख चली जाती है और दूसरी आँख की पचास प्रतिशत रोशनी चली जाती है. वह खाने-कमाने लायक नहीं रहा है; वैसी हालत में उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचार करके गवर्नमेन्ट उसको कुछ कम्पैन्सेट करना चाहेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जो स्थिति थी, वह साफ कर दी है। पर्सनल जानकारी भी मैंने इस मामले में की है। डॉक्टर की तरफ से लिखित रूप में उससे कुछ लिखा कर नहीं लिया गया। डॉक्टरों ने जो कुछ ह्यूमनली पोसीबल था, उसके लिये किया। उसकी एक आंख की रोशनी जा रही थी उसको ठीक करने के लिये यह ऑपरेशन किया गया। जब वह सफल नहीं हुआ और उससे दूसरी आंख के भी खराब होने का अन्देशा था वैसी हालत में उस आंख को निकाल दिया गया। इसमें डॉक्टर्स की बोना-फाइडी में सन्देह करने की गुंजाइश नहीं है। मुझे भी उस व्यक्ति के साथ हमदर्दी है। डॉक्टरों ने, उस आंख की रोशनी जा रही थी उसको बचाने के लिये प्रयास किया।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या यह एक्सपेरीमेन्ट मैडिकल संस्था द्वारा स्वीकृत किया हुआ है ? इसी तरह से कोई इस प्रकार का एक्सपेरीमेन्ट करे, आदमी का धड़ काट कर उसकी जगह घोड़े का धड़ लगाना चाहे, तो क्या वह कर सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I may inform my learned friend that this is a part of Medical Science and it is developing.

श्री तनसिंह : इसका मतलब है, वहां कामयाबी हो सकती है। किन्तु हमारे यहां डॉक्टर्स उतने एफीशियेन्ट नहीं जो इस प्रकार कामयाबी प्राप्त कर सकें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभी जगह यह हालत है; किन्हीं हालतों में कामयाबी हो जाती है, किन्हीं में नहीं।

श्री तनसिंह : कामयाबी न होने का कारण क्या होता है ? या तो उनके पास वे साधन नहीं होते है या उनके पास इतने अच्छे ढंग नहीं जिससे वे ऐसे ऑपरेशन्स कामयाबी के साथ कर सकें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनमें इस प्रकार के ऑपरेशन क्योर होते हैं। ६० पर्सेन्ट तक क्योर हुए हैं, and it depends upon a particular individual case.

रावराजा श्री सरदारसिंह : ६० पर्सेन्ट की कहां बात है ? आप अभी तो कह रहे थे पचास प्रतिशत सफल होते हैं, यह ६० प्रतिशत कहां से आ गया ? आप एक दो भी बतायें जो सक्सैसफुल हुए हों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अपेन्डीसाइटिस के सब ऑपरेशन्स सक्सैसफुल होते हैं, किन्तु हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय के लड़के का ऑपरेशन सफल नहीं हो सका।

श्री भैरोंसिंह : यहां अपेन्डीसाइटज की कहां बात है, यहां तो आंख लगाने की बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सक्सैसफुल नहीं हुए। बट अनफोर्चुनेटली इस प्रकार के बहुत से केस हैं। Unless thers is a bonafide mistake or carelessness on the part of the Docto· no action can be taken.

श्री भैरोंसिंह : आप इसमें से बोनाफाइड मिस्टेक व लापरवाही दोनों बातों को निकाल दीजिये। प्रश्न यह है कि ह्यूमन बॉडी पर एक्सपेरीमेन्ट किया जाता है और उससे ह्यूमन बॉडी खत्म हो जाती है, तो उसको सरकार कम्पेन्सेट करना चाहती है या नहीं ?

टोंक डिस्ट्रिक्ट में मवेशियों की मृत्यु के कारण

९३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार के पास इस तरह की जानकारी रहती है कि राजस्थान में कितने मवेशी सालाना पैदा होते हैं और कितने मरते हैं और किस बीमारी से ?

(२) क्या यह सही है कि इस साल सन् १९६१ के मई, जून और जुलाई मास में टोंक डिस्ट्रिक्ट में मवेशी ज्यादा तादाद में मरे हैं ? अगर हां, तो किस किस बीमारी से ? कृपया तहसीलवार, जिला टोंक, की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

जिला टोंक में मास मई, जून और जुलाई ६१ में कुल बीमारी के कारण मृत्यु का ब्यौरा इस प्रकार है ?

१. तहसील टोंक	२१
२. तहसील मालपुरा	२
३. तहसील टोडारायसिंह	निल
४. `	७
५. तहसील निवाई	२०
६. तहसील उनियारा	निल
कुल	५०

रावराजा श्री सरदारसिंह : ये किस बीमारी से मरे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीमारी का आपने पूछा नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : राजस्थान में मरने वाले जानवरों की संख्या सरकार के पास उपलब्ध नहीं है और इसके उत्तर में उन्होंने 'जी नहीं' भी कहा है, फिर यह संख्या टोंक जिले की कहां से उपलब्ध हो गई ? अगर टोंक की गिनती रखते हैं तो दूसरे जिलों की क्यों नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पैदा होने और मरने वालों का क्या कोई रिकॉर्ड रखा जाता है, तो मैंने कहा, 'जी नहीं'। जो जानवर बीमारी से मरते हैं और खास तौर से छूआछूत की बीमारियों से अथवा ऐसे ही दूसरे रोगों से मरते हैं तो हमारा विभाग उसकी जानकारी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रखता है और ऐसे केसेज भी हमारे सामने रखते हैं, उनको बचाने की भी कोशिश करते हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय : तो फिर पहले प्रश्न के उत्तर में यही बताते कि राजस्थान में इस इस बीमारी के इतने इतने जानवर मरे। सारा विवरण देते।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका तो खास टोंक जिले से पूछने का मकसद था।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : आपने अभी कहा कि नहीं इसलिये किस बीमारी से ये मरे; यह नहीं बता सकता, पर इसमें तो पूछा है। बतला दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। गलाघोंटू बीमारी भी होती है इससे भी मरे हैं, दस्तों की वजह से मरे हैं, कइयों की उमर आ गई थी, बूढ़े हो गये थे तो वैसे मर गये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : संख्या बीमारी से मरने वालों की ज्यादा नहीं बताई है। कुल पचास ही है उनको भी मन्त्री महोदय अनुमान से ही बीमारी बता रहे हैं, तो क्या इस प्रकार को जानकारी वास्तव में उन्होंने नहीं रक्खी जैसा कि वे कहते हैं कि किस किस जानवर को क्या क्या बीमारी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आम तौर से लिखा है वही बता दिया है मैंने।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने बहुत थोड़े के मरने की बात कही है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आप इन्क्वायरी करावें तो यह मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरे अकेले उणियारा में २०० मवेशी मर गये, कम से कम पचास तो मेरे ही मर गये और इस तरह की बीमारियों से मरते हैं। इसी तरह से बस्तीपुरा के अन्दर जोधपुर मगरा की बीड थी, १०० पशु थे उनमें से तीस मर गये। बाद में डॉक्टरों ने इन्जेक्शन वगैरह दिये तो बीमारी रुकी। वहां पर डाक्टरों की कमी है। कई बार लिखापढ़ी की; कई जगह लिखा; आखिरकार बूंदी लिखा। पर अब टोंक हैडक्वार्टर हो गया तो वहां से कनेक्शन हो गया। पर कोई न तो वहां देखने आया न जांच करने आया। इस वक्त भी लरड़ियां मर रही हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास जो सूचना आई वह मैंने अर्ज कर दी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आखिर आपको इस मामले में अधिक गौर करना चाहिये। राजस्थान पशुप्रधान प्रदेश है। यहां मवेशियों की आवश्यकता है। आप इस को प्रोत्साहन भी देना चाहते हैं, पर आपके प्रशासन में और डॉक्टरों में बहुत ढिलाई है और लापरवाही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मवेशियों की हमें आवश्यकता है। बीमारी भी नहीं होनी चाहिये। सब बातें ठीक हैं, पर आप कह रहे हैं कि इतने मर गये, मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। मेरे पास तो सूचना है कि इतने ही मरे।

बांध भंडारी, तहसील सिकराय का निर्माण और काश्तकार

९४ **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या

Page No.9

(श्री भैरोंसिंह)

सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बांध भंडारी, तहसील सिकराय (जिला जयपुर) के निर्माण में कितनी कितनी भूमि किस किस काश्तकार की डूब में आई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रक्खें ।

(२) क्या इस बांध की डूब में आने के कारण कई काश्तकारों के मकान नष्ट हो गये ? यदि हां, तो किन किन के ?

(३) क्या यह सही है कि काश्तकारों को इस भूमि का तथा मकानों का मुआवजा मिल चुका है ? यदि नही, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि इन काश्तकारों को डूब में आई हुई भूमि काश्त नहीं करने दी जाती और उनसे लगान वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) इस बांध का निर्माण कब हुआ था ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) बांध भंडारी, तहसील सिकराय (जिला जयपुर) के निर्माण में जितनी भूमि जिस जिस काश्तकार की डूब में आई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जिन काश्तकारों के मकान डूब में आये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जायदाद मकानात व कुओं का मुआवजा दिया जा चुका है परन्तु भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है अभी । इसके कागजात कार्यालय जिलाधीश, जयपुर में जांच व तस्दीक हेतु गये हुए हैं ।

(४) जी नहीं । जितनी भूमि पानी से खाली हो जाती है उसको काश्त करने के लिये दिया जाता है ।

(५) इस बांध का निर्माण जून १९५२ में पूरा हुआ था ।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : जिनकी भूमि डूब में आई है और काश्त भी नहीं किया उनको लगान देना पड़ता है, क्या यह सच है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है इस समय ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सिंचाई मन्त्री इसकी जानकारी करेंगे कि जिन लोगों की डूब में भूमि आई है उनसे रेवेन्यू विभाग लगान वसूल करता है ?

श्री दौलतराम सारण : मैं इसकी जानकारी करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अब तक उनको मुआवजा नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : यह पुराना बन्ध है, जयपुर स्टेट के समय का । उस समय स्टेट में मुआवजा मिलने का नियम नहीं था, मुआवजा नहीं मिलता था । राजस्थान बनने के बाद इसमें भी मुआवजा देने का निर्णय किया गया । इसी तरह के और भी कई बन्ध थे, कालीसील जैसे; उसमें भी निर्णय किया गया कि मुआवजा दिया जावे । तो इसका भी तखमीना तैयार किया गया है और कलेक्टर

Page No.10

(श्री दौलतराम सारण)

के पास भेज दिया गया है। मामला विचाराधीन है, जल्दी तय हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह बन्ध ५२ में शुरू हुआ था, क्या यह सही है ?

श्री दौलतराम सारण : ५२ में पूरा हुआ।

श्री भैरोंसिंह : जब पूरा हुआ उस समय राजस्थान था या जयपुर स्टेट थी ?

श्री दौलतराम सारण : बनाना जयपुर स्टेट के टाइम में शुरू हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : किस इयर में शुरु हुआ, इयर बता सकते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जयपुर स्टेट में शुरू हुआ, इयर तो अभी नहीं बता सकता।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि जयपुर स्टेट में लैंड एक्वीजीशन एक्ट था।

श्री दौलतराम सारण : मैं तो यह निवेदन कर रहा हूँ कि स्टेट पर्पज के लिए जमीन अगर ली जाती थी तो उसका मुआवजा देने का सिस्टम नहीं था। स्टेट के समय में जितने बन्ध बनाये गये उनमें मुआवजा नहीं दिया। इसलिए इस बान्ध के तखमीने के अन्दर भूमि का मुआवजा शामिल नहीं किया गया था, पर जब राजस्थान हुआ तो तखमीना बनाया गया और फिर अब वह कलेक्टर के यहां विचाराधीन है मुआवजा देने के लिये।

श्री भैरोंसिंह : जब एक्चुअली शुरू हुआ यह बन्ध का काम यानी पजेशन वगैरह लिया उस वक्त क्या जयपुर स्टेट थी ?

श्री दौलतराम सारण : पहले से योजना थी, काम चालू था।

श्री भैरोंसिंह : एक्चुअल पेजशन का सवाल मेरा है। एक्चुअल पेजसन लेने के वक्त स्टेट थी या राजस्थान सरकार थी ?

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न तो साफ है कि राजस्थान कब बना, जयपुर स्टेट किस तरह इसमें मर्ज हुई और स्टेट की जितनी एक्टीविटीज थीं, राजस्थान बनने के बाद स्टेट की बन गई और जयपुर स्टेट के वक्त की एक्टीविटीज को इसमें भी चालू रक्खा।

श्री भैरोंसिंह : आप मेरे सीधे क्वेश्चन का सीधा जवाब दीजिये, जवाब को अवोइड न करें। मैं पूछ रहा हूँ कि जिस दिन पेजशन लिया एक्चुअली लैंड का, उस वक्त राजस्थान का लैंड एक्वीजीशन एक्ट लागू था या नहीं ? राजस्थान में स्टेट मर्ज कैसे हुई क्या हुई, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर आप क्या चाहते हैं ? यही तो चाहते हैं न कि उनको मुआवजा दिया जाय और उसी के लिये मैं कह रहा हूँ कि यह प्रश्न कलेक्टर के यहां विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : मैं, इसके अलावा, एक दूसरी बात भी और चाहता हूँ कि यह डिले क्यों हुई और जिन लोगों ने यह डिले की ; they should be penalised; जिनके कारण से यह डिले हुई है।

Page No.11

श्री दौलतराम सारण : मैं यह स्पष्ट कर चुका हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर दूं कि ऐसे मामलों में स्वयं अध्यक्ष महोदय ने एड्रेस किया है मन्त्रियों को कि ऐसे मामलों में काफी विलम्ब किया जाता है, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस मामले में भी मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि यह मामला सन् ५२ से चल रहा है। आज ६१ तक एक पैसा नहीं दिया गया उनको और लगान ऊपर से और देना पड़ता है उनको। सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट बराबर डिमान्ड स्लिपें उनको भेजता रहता है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जो जमीन डूब में आती है, पानी के खाली होने पर वह काश्त के लिए दी जाती है। वे उस पर काश्त करते हैं और फिर उनके मुआवज की कार्यवाही चल रही है और जो स्थिति थी वह मैंने बतला दी। इसलिये सरकार की ओर से देरी होने का सवाल नहीं है। सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि किसानों को कम से कम असुविधा हो। ऐसी कोशिश भी कर रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह फरमाया कि जयपुर स्टेट में बान्धों के लिये मुआवजा देने का रिवाज नहीं था। मैं बताऊं हमारे इधर कई बान्धों का उस वक्त भी मुआवजा दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : वह तो जयपुर स्टेट के लिये मैंने कहा है। आपके लिए नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप कर हैं जयपुर में कायदा नहीं था; मैं कहता हूँ, बान्ध टोरडी सागर बना, गांव के गांव को मुआवजा दिया है और मेरे यहां भी मुआवजा दिया है। फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि जयपुर स्टेट में मुआवजे की प्रथा चालू नहीं थी ?

उनियारा में एक दुकान का ताला तोड़ा जाना

९५. रावराजा श्री सरदारसिंह : (उनियारा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सम्बन्धित एस० आई० व सी० आई० ने दिनांक १२-१२-६० को कस्बा उनियारा में धर्मशाला के आगे की दुकान का ताला खड़े रहकर तुड़वाया था ?

(२) अगर हां, तो किस अदालत की आज्ञा से ?

(३) उपरोक्त दुकान में क्या क्या सामान था ? उसकी कृपया फहरिश्त देने की कृपा करें। यह सामान अब कहां पर है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां।

(२) दुकान का ताला मुकदमा नं० २३ दिनांक १२-१२-६० दफा ४५२ मा० द० स० थाना उनियारा की तफतीश के सिलसिले में तफतीशी अख्तियारात काम में लेते हुए एस० आई० ने तुड़वाया था। अतः अदालत से आज्ञा लेने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) केवल सिगरेट के ३ खाली डिब्बे थे, जो मुस्तगीस मुकदमा श्री हनुमान बक्स को वापिस सामला दिये गये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि ताला तोड़ने के मुताल्लिक अदालत में केस चला था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह केस अदालत में चालान हुआ था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अदालत की इजाजत लेने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी ?

श्री रामकिशोर व्यास : चालान तो बाद में हुआ है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह किसके सामने ताला तुड़वाया ? दोनों अकेले ही थे या पंचायत वालों को भी बुलाया या और आदमियों को बुलाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो मौतबिर के सामने ही करते हैं। यह कौन थे, यह तो पता नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ऐसा जवाब दे देते हैं कि मौतबिर का पता नहीं है। अब इस तरह हर गरीब आदमी का ताला तुड़वा दें और फिर कहें कि नाम नहीं बता सकते। ताला तोड़ते समय वहां के सरपंच को बुलाया या वहां के भले आदमियों को बुलाते तब ताला तोड़ते, नहीं तो ऐसा क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट; श्री रामकिशन।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप इसकी इन्क्वायरी तो करा लेना।

श्री रामकिशोर व्यास : अच्छा।

प्रश्न संख्या ९६

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

ग्राम पंचायत, हापावास के रिक्त स्थानों की पूर्ति

९७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सत्य है कि सरपंच ग्राम पंचायत, हापावास, तहसील दौसा के द्वारा राजस्थान पंचायत एक्ट की धारा १७ (२) के अन्तर्गत पांच मीटिंगों में सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण नोटिस देकर स्थान रिक्त घोषित करके बजरिये रजिस्ट्री दिनांक ३१-१-६१ को कलेक्टर के पास रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रार्थनापत्र भेजा गया था ?

(२) यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही नहीं किये जाने का क्या कारण है व अब उक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) जी हां।

(२) जांच से सरपंच द्वारा की गई कार्यवाही अवैधानिक पाई गई। उसका कोई असर पंचों की सदस्यता पर न पड़ने के कारण रिक्त स्थान नहीं हुए। अतः स्थान पूर्ति का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री रामधन (दौसा): क्या इस सम्बन्ध में ६२ नम्बर का पत्र फाइल में मौजूद है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत, हाथरास के द्वारा राजस्थान पंचायत एक्ट के अन्तर्गत पांच मीटिंगों में सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण नोटिस देकर स्थान रिक्त घोषित करके कलेक्टर के पास रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा गया था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न तो समझ गये जिसका आपने उत्तर दिया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने कहा कि पत्र भेजा गया है, मैंने कहा कि यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ये दोनों ही एक दूसरे को समझ गये।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : ६२ नम्बर का पत्र जो कलेक्टर को दिया, वह फाइल में मौजूद है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने यही तो निवेदन किया कि फाइल में जो मेरे पास कागज है उनमें नहीं है और न मुझे इसकी कोई जानकारी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अब तो जानकारी कर लेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी जानकारी मिली है कि फाइल में ऐसा कोई पत्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सम्बन्धी सामान की कमी

९८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर के प्रमुख अस्पताल में चिकित्सा सम्बन्धी किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है तथा वहां के मेडिकल कॉलेज में किन किन बातों की कमी है ?

(ख) क्या इस संबंध में वहां के अधिकारियों ने कोई सूची राज्य सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो कब और उसमें से क्या क्या सामान अब तक भेजा गया ? जो सामान भेजा गया और जो नहीं भेजा गया, इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या मंत्री महोदय को याद है कि उन्होंने यह आश्वसन दिया था कि आवश्यक वस्तुएं जल्दी ही वहां भेज दी जायेंगी ? यदि हां, तो फिर अब तक क्यों नहीं भेजी गईं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) बीकानेर के प्रमुख अस्पताल तथा वहां के मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ नये इक्विपमेन्ट्स व इन्स्ट्रूमेन्ट्स आदि चाहिए तथा स्टाफ की पूर्ति करनी है।

(ख) इस सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा कोई अलग सूची प्राप्त नहीं हुई परन्तु समय समय पर इनके लिए प्रस्ताव न्यू आइटम्स के बजट में शामिल किये गये परन्तु धनराशि स्वीकृत न होने के कारण अभी तक इनकी

Page No.14

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पूर्ति नहीं हो सकी है। मेडिकल कॉलेज के लिए ६ लाख रुपये का इक्विपमेन्ट्स व इन्स्ट्रूमेन्ट्स और प्रावधान करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था परन्तु प्लान बजट के वित्तीय वर्ष ९६१-६२ में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं। अब रीएप्रोप्रियेशन द्वारा प्रावधान किया जा रहा है।

(ग) जी हां। ऐसा आश्वासन दिया था परन्तु बजट में उनके लिए प्रावधान स्वीकृत न होने के कारण उनकी पूर्ति न हो सकी।

श्री मुरलीधर व्यास : जो इक्विपमेन्ट्स आदि नहीं हैं तो १९६१-६२ के प्लान में इसका प्रावधान नहीं होने से यहां जो इक्विपमेन्ट्स चाहिए तो उनकी कमी के कारण जो छात्रों को असुविधायें होती हैं उसको पूरा करने के लिए आप क्या सोचते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह मैंने कहा कि अब रीएप्रोप्रियेशन करके प्रोवाइड कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कब तक प्रोवाइड हो जायेंगे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी हो जायेगा।

प्रश्न संख्या ९९

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

नगरपालिका, जयपुर की दमकलें

१००. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

नगरपालिका जयपुर के पास कितनी दमकलें हैं व इनमें से कितनी खराब हालत में पड़ी हुई हैं व उनमें क्या क्या खराबियां हैं?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): जयपुर नगरपालिका के पास तीन फायर ब्रिगेड (दमकलें) हैं और सभी अच्छी तरह कार्य कर सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

रूरल डेवलपमेन्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, भांकरोटा (जिला जयपुर)

१०१. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रूरल डेवलपमेन्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, भांकरोटा (जिला जयपुर) का रजिस्ट्रेशन कब हुआ?

(ख) इसके कुल कितने सदस्य हैं तथा उनके नाम तथा पते क्या क्या हैं?

(ग) इस सोसाइटी की शेयर कैपिटल कितनी है?

(घ) इस सोसाइटी को कब कब कितना कितना लोन तथा सब्सिडी किस किस काम के लिए और किस किस विभाग द्वारा मिली है?

Page No.15

(श्री भैरोंसिंह)

(ङ) क्या इस सोसाइटी के हिसाब ठीक प्रकार से रखे जाते हैं ? यदि हां, तो कृपया इस सोसाइटी की आखिरी ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(च) यदि हिसाब ठीक प्रकार से नहीं रखा जाता है, तो क्या क्या अनियमिततायें अब तक मालूम हुई हैं तथा इन अनियमितताओं के कारण कितनी रकम का गोलमाल है और इसके कौन कौन जिम्मेदार हैं ?

(छ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) इस नाम की किसी सहकारी समिति का जयपुर जिले में रजिस्ट्रेशन सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं हुआ है।

(ख) (ग) (घ) (ङ) (च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या मंत्री महोदय इसके नाम को दुरुस्त करेंगे यदि कहीं गलती रह गई हो तो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बात यह है कि यह कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है और रूरल वेलफेयर नाम की साबुन बनाने की एक सोसाइटी सी है। सोसाइटी का नाम आते ही आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ लिया। वह कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है; बल्कि वह ऐसी ही बनी हुई है और ऐसी सोसाइटी है कि जो सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर नहीं हुई है। वह भाकरोटा में बनी हुई है साबुन बनाने के लिए। उसका इस महकमे से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न संख्या १०२

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०३

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

इन्डियन मोटर विहिकल्स एक्ट के आधीन राजस्थान में बनी कमेटियों के सदस्य

१०४. श्री **भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में इन्डियन मोटर विहिकल्स एक्ट तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों व उपनियमों के अनुसार सरकार द्वारा सरकारी व गैरसरकारी सदस्यों की कौन कौन कमेटियां कब कब से बनाई हुई हैं और इन कमेटियों के कब कब से कौन कौन सदस्य हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) इन कमेटियों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

यातायात मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) इन्डियन मोटर विहिकल्स एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों व उपनियमों के अनुसार सरकार ने सरकारी व गैर सरकारी

Page No.16

(श्री रामकिशोर व्यास)

सदस्यों को कमेटियां एस० टी० ए० और आर० टी० ए० अपीलेट ऑथोरेटी बनाई हैं। इन कमेटियों में कौन कौन सदस्य नियुक्त किये गये व ये कमेटियां कब बनायी गईं उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) एस० टी० ए० और आर० टी० ए० मोटर विहिकल्स एक्ट, १९३९ की धारा ४४ के तहत बनाई जाती हैं। अपीलेट ट्रिब्युनल ट्रान्सपोर्ट की नियुक्ति धारा ६८ व राजस्थान मोटर विहिकल रूल्स के रूल १०८ के तहत की जाती है। एस० टी० ए० और आर० टी० ए० में उन्हीं गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिंग से आर्थिक रूप से संबंधित न हो। अपीलेट ट्रिब्युनल व आर० टी० ए० में इस समय कोई गैर सरकारी सदस्य नहीं हैं।

(कृपाया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स इन कमेटीज़ के अन्दर हैं, जैसा कि सूची में दिया गया है, इनको नियुक्तियां राजनैतिक दृष्टिकोण से की जाती हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आर० टी० ए० के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन एस०टी० ए० में नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स हैं, पर नियुक्तियां राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं होतीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसमें जो मेम्बर्स रखे गये हैं वे सब कांग्रेस के चवन्नी सदस्य हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उसमें जो एम० एल० ए० मेम्बर्स हैं वह सब कांग्रेसी हैं यह भी आपकी जानकारी में नहीं होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास: कांग्रेस का होना कोई गुनाह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो विरोधी दल के भी सदस्य होना कोई गुनाह नहीं है। आपने तो क्राइटेरिया रखा है कि मोटर विहिकल्स की आर्थिक स्थिति से सम्बधित नहीं हो ऐसे ही आदमियों को रखा जाता है तो आपको क्या विरोधी दल में से कोई व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आया ?

श्री रामकिशोर व्यास : विरोधी दल में क्यों नहीं हो सकता। अब और बनायेंगे तो ध्यान रखेंगे। जब नये बनायेंगे तब ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : इसके अन्दर भी परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें रुकावट नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : अब चार-छः महीने के लिए क्या परिवर्तन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

विभागीय कर्मचारी आयुर्वेद कालेजों के छात्र

१०५. डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि विभागीय कर्मचारी भी आयुर्वेद कॉलेजों के छात्र नियमित रूप से रह सकते हैं ? यदि हां, तो किस नियम से ?

(डॉ० बहादुरसिंह)

(२) क्या इस प्रकार के कर्मचारियों द्वारा संचालक, आयुर्वेद विभाग से कॉलेजों में शिक्षण प्राप्त करने की स्वीकृति प्राप्त की गई थी ? यदि हां तो उनकी संख्या क्या है ? सूची नाम, पद, वेतन स्तर सहित सदन में प्रस्तुत करें। ऐसे विद्यार्थी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए या नहीं ?

(३) क्या इस प्रकार के कर्मचारियों द्वारा नियमित कॉलेजों में शिक्षण प्राप्त करने सम्बन्धी नियम राज्य सरकार द्वारा बनाये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी जिनकी जानकारी में इस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

उप मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम-सारण) : (१) जी नहीं।

(२) केवल एक देवेन्द्रप्रसाद भट्ट को संचालक, आयुर्वेद विभाग द्वारा भिषगाचार्य परीक्षा में बैठने की स्वीकृति दी गई थी वे विवेचक पद पर आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर में कार्यरत हैं और ११० रु० से २२५ रु० की वेतन श्रृंखला में ११० रुपये पा रहे हैं। ये भिषगाचार्य परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं।

(३) जी हां, राजाज्ञा संख्या एफ० २ । ११३ । जी ए । ए ५३ । दिनांक १२-७-५४ एफ. १३ । १७ । एपाइन्ट्स ।ए। ५५ दिनांक ११-१०-५८ और एफ. १३।१७। एपाइन्ट्स । ५५ ग्रुप । ३ दिनांक ३१-७-६१ द्वारा आज्ञायें जारी की गई हैं। आयुर्वेद विभाग से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

नगरपालिका, भीलवाडा, में निर्माण कार्यों में घोटाला

१०६. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका भीलवाड़ा में निर्माण कार्यों में हुए घोटाले के सम्बन्ध में जांच कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि उस कार्य में डेढ़ लाख की गड़बड़ी हुई है ?

(२) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पत-राम) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है इसको अगले टर्न पर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

मुंसिफ मजिस्ट्रेट कपासिन की अदालत में चोरी

१०७. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या न्याय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कपासिन की अदालत से दिनांक २६-६-६० को चोरी हो गई थी ? यदि हां, तो कितनी और कैसे ?

(२) क्या यह सही है कि इस चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई थी ? यदि

(श्री भैरोंसिंह)

हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि इस चोरी के सिलसिले में भूरा चौकीदार पर २००) रु० जुर्माना किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ?

(४) क्या यह जुर्माना वसूल कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितना और बाकी कब तक वसूल किया जायेगा ?

न्याय मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) हां, दिनांक २६-६-६० की रात को मालखाना मुन्सिफ कोर्ट में चोरी हुई थी, कुल अनुमानित नुकसान ३९७ रु० ३० नये पैसे का था।

(२) यह सत्य है कि स्थानीय पुलिस में इसकी रिपोर्ट की गई थी, पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में यह बताया कि मुलजिम व माल दोनों का ही पता नहीं लगा।

(३) नहीं, लेकिन विभागीय जांच के बाद मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कपासिन ने दिनांक १-१०-६० को राजस्थान सिविल सर्विस क्वालिफिकेशन, कन्ट्रोल व अपील नियम, १९५८ के नियम १४ (III) के अन्तर्गत श्री भूरा चौकीदार से ३९७ रु० ३० नये पैसे के सरकारी नुकसान, जो उसकी असावधानी के कारण हुआ, २००) रु० की वसूली २० रु० प्रतिमाह की किश्त में उसकी तनख्वाह में से काटे जाने की आज्ञा निकाली।

(४) मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कपासिन की आज्ञा दिनांक १-१०-६० के अनुसार वसूली की पहली किश्त सितम्बर माह की तनख्वाह से वसूल की जानी थी। अतः पूर्ण रकम वसूल की जा चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो पुलिस को रिपोर्ट की गई थी उसमें मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने इस भूरा चौकीदार का नाम संदेहास्पद व्यक्ति के नाम से लिखाया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट में क्या लिखाया था, मुझे पता नहीं है; लेकिन वह ट्रेस आउट नहीं हो सका एक्यूज्ड।

श्री भैरोंसिंह : जिस मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने २००) जुर्माना किया है क्या उसी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने पुलिस में रिपोर्ट की थी कि भूरा चौकीदार ने चोरी की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : भूरा चौकीदार निगरानी करता था, यह लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : फैक्चुअल रिपोर्ट जो पुलिस में की है, क्या उसमें नामजद रिपोर्ट की गई थी कि रिपोर्ट भूरा चौकीदार ने की है ?

श्री अध्यक्ष : चौकीदार की निगरानी में सारा सामान था।

श्री रामकिशोर व्यास : चौकीदार की निगरानी में सामान था।

श्री भैरोंसिंह : निगरानी में बहुत कुछ चीजें हैं और चोर पहुंच जाते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर सारी जांच के बाद किसने चोरी की है यह मालूम नहीं हो सका।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह कि जिस समय पुलिस में रिपोर्ट की और भूरा चौकी-

(श्री भैरोंसिंह)

दार के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की, लेकिन माल का पता नहीं लगा, उसके बाद में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी, लेकिन चौकीदार पर २००) जुर्माना कर दिया और उन्हीं मजिस्ट्रेट महोदय ने जुर्माना कर दिया है जिन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की थी। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वह मजिस्ट्रेट जुर्माना नहीं कर सकते तो बाकायदा राजस्थान सर्विस रूल्स की तहत यह कहकर कि भूरा चौकीदार की निगरानी में सरकार का नुकसान हुआ है इसलिए यह जुर्माना किया गया है और उसने इस बात की रिपोर्ट या अपील सरकार के सामने अब तक कर रखी है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह चौकीदार था उसकी निगरानी में माल था तो जिम्मेदारी तो उसकी थी ही।

श्री भैरोंसिंह : जिम्मेदारी थी. इस बात में कठिनाई नहीं है। जब २००) का जुर्माना किय था वह जुडीशियल पॉवर में नहीं था और जुडीशियल पॉवर में होते हुए एग्जीक्यूटिव पॉवर में सारे फन्क्शन किये हैं, इसका ही एतराज है।

श्री अध्यक्ष : जुडीशियल पॉवर्स के अन्तर्गत जुर्माना नहीं किया, सर्विस रूल्स के अन्तर्गत किया है, ऐसा मन्त्री महोदय ने बताया है।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरा निवेदन भी यही है कि विभागीय जांच के बाद मुन्सिफ मजिस्ट्रेट करालिन ने दिनांक १-१०-६० को राजस्थान सिविल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल व अपील) नियम, १९५८ के नियम १४ (३) के अन्तर्गत श्री भूरा चौकीदार से ३९७) ३० न० पै० का सरकारी नुकसान, जो उसकी असावधानी के कारण हुआ, उसके २००) रु० की वसूली का हुक्म दिया।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : यह विभागीय जांच होने के बाद जुर्माना किया गया है या जब जुर्माना कर दिया और ख्याल हुआ कि यह तरीका गलत है तब जाकर विभागीय जांच करके उसको कायदे के मुताबिक किया गया?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग से पूछते तो जानकारी करता कि पहली प्रोसीडिंग में किया है या सैकण्ड प्रोसीडिंग में किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सवाई माधोपुर से देवली वाया अलीगढ़ बस का परमिट

१०८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सवाई माधोपुर से देवली वाया अलीगढ़ के लिए क्या किसी को बस का परमिट दिया हुआ है ? यदि हां, तो वह बस किसकी है और उसका क्या नम्बर है ?

(२) क्या उक्त बस सवाई माधोपुर से प्रतिदिन देवली जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) सवाई माधोपुर से टोंक वाया अलीगढ़ रूट पर कितनी बसों को परमिट दिया हुआ है ? इन बसों के मालिक कौन कौन हैं ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(४) क्या उक्त रूट पर चलने वाली सभी बसों की टैक्नीकल जांच की जाती है ? यदि हां, तो अन्तिम जांच कब की गई थी ? जांच के समय क्या सभी बसें हर दृष्टि से ठीक थीं ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सवाई माधोपुर से देवली वाया अलीगढ़ का अस्थायी परमिट नं० १०२६ बस नं० आर. जे. एस. ७३८६ के लिए प्रकाश ट्रांसपोर्ट कम्पनी टोंक के नाम २६-७-६१ से २५-११-६१ तक का दिया हुआ है।

(२) उपर्युक्त परमिट प्रदान करने के पश्चात् इस बस के सवाई माधोपुर से प्रतिदिन देवली न जाने के विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बरसात की वजह से सवाई माधोपुर से उनियारा तक ही चलती है देवली तक नहीं जाती।

(३) सवाई माधोपुर से टोंक वाया अलीगढ़ रूट पर निम्नांकित ३ मालिकों की उनके सम्मुख लिखी हुई बसें चल रही हैं :-

१. महमूद खां, आर. जे. एक्स. २६।

२. बद्रीदास कन्हैयालाल, आर. जे.एक्स. ५१

३. जसवन्तसिंह, आर. जे. यू. २३५

(४) उक्त रूट पर चलने वाली सभी बसों की टैक्निकल जांच की जाती है और यह जांच हर ६ मास में होती है और बसें ठीक होने पर ही पास की जाती हैं, अन्तिम जांच निम्नलिखित तारीखों को की गई :-

१. आर० जे० एल० ७३८६-२७.४.६१

२. आर० जे० एक्स० २६-२.१०.६०

३. आर० जे० एक्स० ५१-७.१.६१

४. आर० जे० यू० २३५-१८.७.६१

श्री मुरलीधर व्यास : उसको जो परमिट दिया है तो बरसात के दिनों में नहीं जायगा उसके साथ में लिखा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं। बरसात है, इसलिए नहीं जा सकती।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस दिन लोग जा नहीं पाये इस कारण उनकी शिकायत रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मैं निवेदन करूं कि टोंक से सवाई माधोपुर जाती है जो बस, वह सवाई माधोपुर से उनियारा के अगल-बगल पल्ली तरफ से आती है और जो देवली को जाती है वह देवली टोंक होती हुई उनियारा तक आ सकती है और उनियारा से एक फर्लाङ्ग होगा, उसके आगे सड़क होगी; फिर सड़क से सवाई माधोपुर जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में बस क्यों नहीं जा सकती ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे मालूम है कुछ मामलों में कि टोंक से सवाई माधोपुर जो बसें चलती हैं, वे बसें इधर की इधर रह जाती हैं और उधर की बसें उधर ही रह जाती हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : देवली की क्यों नहीं जाती ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सिरोही जिले में मध्यम सिंचाई योजनाए

१०९. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) :

Page No.21

(श्री मोहब्बतसिंह)

Will the Minister for Irrigation be pleased to state :

Whether Angore and Kamedi medium irrigation schemes in Sirohi District have been sanctioned from the C. P. W. C.? If not, at what stage these cases are at present ?

उप-मन्त्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जी नहीं । इन योजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

(१) अंगोरी तखमीना सरकार के विचाराधीन है ।

(२) कामेरी । इस योजना का तखमीना बनाया जा रहा है ।

श्री मोहब्बतसिंह : अंगोरी की स्कीम का विचाराधीन है तखमीना, वह कब से. है, उसको कितने साल हो गए हैं और कितने और लगेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : २३.६.६१ को सरकार के पास भेजा है, और उस पर फाइनेन्स, राजस्व विभाग और कृषि विभाग के कमेन्ट्स मांगे हैं, वह आने पर फाइनल किया जायगा ।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या यह बात सही है कि सर्वे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने २१.६ को एक बार सरकार के पास भेजा था और फिर सरकार को वापिस लौटा दिया है ?

श्री दौलतराम सारण : वह चीफ इन्जीनियर के पास भेजा होगा । चीफ इन्जीनियर जांच करते हैं और सुझाव देते हैं। मैं नहीं कह सकता कि वापिस उन्होंने उसमें कुछ संशोधन चाहा हो या उन्होंने कोई अपनी राय दी, लेकिन चीफ इन्जीनियर के यहां से सरकार के पास २३.६.६१ को आया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्राम गांवड़ा मीना में मृत्युभोज का आयोजन

११०. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील हिंडौन के ग्राम मीना में तारीख २०.७.६० को एक मृत्यु भोज का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग दस हजार व्यक्तियों ने भाग लिया ?

(२) क्या यह सही है कि इस कार्यक्रम की सूचना तार द्वारा एस० डी० एम० हिंडौन को श्री सूरजमल वकील, हिन्डौन ने उसी रोज प्रातः दे दी ?

(३) क्या यह सही है कि एस०डी०एम० हिन्डौन ने उसी दिन लगभग ११ बजे श्री सूरजमल वकील हिन्डौनके बयान इस सम्बन्ध में कलम बन्द किये ? यदि हां, तो तत्पश्चात् एस० डी० एम० ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

(४) क्या यह सही है कि एस०डी०एम० ने उसी समय उक्त ग्राम में न जाकर मौके की जांच करने हेतु सिर्फ फरीकेन को तलब करने की आज्ञा दे दी ?

(५) क्या उक्त घटना की सूचना पटवारी, पटेल या सरपंच को किसी ने भी नहीं दी ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ?

Page No.22

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उक्त तार व तार डिलीवरी होने के समय की पोस्ट ऑफिस की रसीद व वकील सा० के हल्फिया बयानों की नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रश्न का सम्बन्ध विभाग से नहीं है, फिर भी उत्तर पेश कर देता हूँ।

(१) इस प्रकार की एक सूचना एस० डी० एम० हिन्डौन के पास प्राप्त हुई।

(२) जी हां।

(३) जी हां, बयान लेने के बाद एस० डी० एम० हिन्डौन ने हस्ब दफा २०२ ता० फौ० जांच हेतु मामले को तहसीलदार, हिन्डौन को सुपुर्द किया।

(४) जी नहीं, नियमानुसार जांच किये जाने के लिए मामले को तहसीलदार हिन्डौन के सुपुर्द किया गया।

(५) पटवारी उस दिन अपने हल्के में नहीं था व सरपंच तथा पटेल ने नुकता न होने की रिपोर्ट की।

(६) श्री सूरजमल वकील के तार में नुक्ते में दस हजार व्यक्तियों के भोजन, ४५ टीन घी व सौ मन आटे की तैयारी का वर्णन किया है तथा उनके ही हल्फिया बयान में दस हजार व्यक्तियों के भोजन व सौ मन आटे की तैयारी का उल्लेख है।

एक माननीय सदस्य: जब यह पता लग गया कि किस जगह अपराध हो रहा है, तो पुलिस अधिकारी को क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस का सम्बन्ध नहीं है क्योंकि नॉन काग्नीजेबल ऑफेंस है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या मंत्री महोदय उद्घाटन करने गये थे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब यह हो रहा था तो सरकार ने रोकने का क्या प्रबन्ध किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : एवीडेन्स मांगी तो वह दी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : इत्तिला आती है तो मजिस्ट्रेट का फर्ज हो जाता है कि फौरन पाबन्दी बरती जाय ताकि वह मृत्युभोज न करे, ऐसा प्रोवीजन है।

श्री रामकिशोर व्यास : प्राइमाफेसी एवीडेन्स रेकॉर्ड करते हैं उसके बाद ऑर्डर जारी किया है, लेकिन उन्होंने बयान दिये हैं कि नहीं किया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या बात है कि हाथ ही कानून बनाकर हाथ ही तोड़ते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि प्रिवेन्टिव एक्शन इसलिए नहीं लिया गया कि एस. डी. एम. को तसल्ली नहीं थी कि जो जानकारी दी जा रही है वह सही है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैं नहीं कह सकता कि तहसीलदार को दे दिया, लेकिन २०० सी आर. पी. सी. के अन्डर में गवाही पेश नहीं की।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस कोर्ट को वकील ने सूचना दी और हल्फिया बयान दिया; यह इस बात के लिये पर्याप्त नहीं ताकि उसकी तुरन्त जानकारी की जाती ?

(श्री भैरोंसिंह)

श्री रामकिशोर व्यास : इसको अदालत ने काफी नहीं समझा ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : When did the S.D.M. receive the report? When did he go on the spot!

श्री रामकिशोर व्यास : He did not go on the spot.

श्री श्रीभानसिंह : Why did he not go on the spot when he had received the report.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : टेलीग्राम किस तारीख को दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोर्ट मुनासिब समझे न समझे, उसका हम क्या कर सकते हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : After the report, S D M. should have gone on the spot when the report had been lodged.

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : क्या यह सही है कि सूचना मिलने पर एस. डी. एम. तुरन्त इन्जक्शन दे सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह उनके डिस्क्रीशन की बात थी, मौके पर जाना चाहते तो जा सकते थे, एविडेन्स रेकॉर्ड करना चाहते तो करते, यह कोर्ट के डिस्क्रीशन की बात थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एस. डी. एम या तहसीलदार ने इस बात की जांच नहीं की है कि नुक्ता हुआ और १० हजार आदमी जीम कर गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने पटेल से पूछा और सरपंच से पूछा और उनकी रिपोर्ट ली और उस रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसा कोई नुक्ता नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पटेल और सरपंच नुक्ता होने का उत्तर देते तो ओटोमेटिकली उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन होता । इससे बचने के लिये उन्होंने कहा होगा कि नुक्ता नहीं हुआ है ? क्या तहसीलदार ने मौके पर जाकर जांच की है कि नुक्ता हुआ या नहीं ?

स्वास्थ्य मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) मौके पर नहीं गये । फेक्चुअल पोजीशन यह है, कि उन्होंने एविडेन्स मांगी थी जो नहीं दी गई, फिर पटेल और सरपंच से पूछा; इन्फरेन्स आप जो भी निकालना चाहें निकालें ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि थानेदार या तहसीलदार मौके पर इसलिये नहीं गये कि १० हजार आदमियों को जीम जाने दें ?

श्री तनसिंह : क्या यह सही है कि जिनको पूछा गया वे यदि सही बात बताते तो वे खुद एक्यूज्ड होते और सरकार ने उनके कहने पर मान लिया कि नुक्ता नहीं हुआ; हम यह समझते है कि असेम्बली में हमने कानून पास किया है उसको एन्फोर्स करने में किसी एस० डी० एम० की गलती हो तो मन्त्री जी को उसे छिपाना नहीं चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने सही फरमाया, लेकिन यह हमारे पॉवर की बात नहीं है, जुडीशियल कोर्ट की बात है ।

श्री श्रीतनसिंह : हद हो गई, समझ में नहीं आता कि आपके नीचे के ऑफिसर

(श्री तनसिंह)

यदि ठीक तरह से अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करते हैं यह जानते हुए कि नुक्ता हुआ है और उस पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है तो क्या उनके सर्विस रोल पर आप रिमार्क नहीं लिख सकते या और कुछ उनके खिलाफ नहीं कर सकते ? यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि सरकार को रिजाइन करना चाहिये ।

श्री श्रीभानसिंह : In order to make the order effective, is the Government contemplating to bring certain amendments ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तक ऐसा नहीं किया ।

श्री श्रीभानसिंह : Then my sincere request to the Hon'ble Minister is that if you are not going to make it effective, then scrap it.

श्री रामकिशोर व्यास : आपको ख्याल होगा कि सदन में इस पर डिसकशन हुआ था और इसको कॉग्निजेबल ओफेन्स बनाने का था लेकिन यहां जो डिसीजन हुआ वह यह हुआ कि जिस किसी को शिकायत हो वह कोर्ट में जावे ।

श्री श्रीभानसिंह : लेकिन अब जब यह लेकुना सरकार के सामने आया है तो since the exercise of this discretion is resulting in more crimes the Government should make the offence as cognisble.

श्री रामकिशोर व्यास : डिस्क्रीशन तो अदालत को हमेशा देना पड़ेगा. आप उसको टाइटडाउन नहीं कर सकते कि वह स्पोट पर जायगा और एविडेन्स रेकॉर्ड करेगा । उसको डिस्क्रीशन देना ही होगा । आप इस प्रिजम्पशन पर चल रहे हैं कि ऐसा हुआ ही है लेकिन असल में क्या हुआ है, यह नहीं कह सकते । कोई कानून बनावें तो उसके अन्तर्गत अदालत को टाइटन डाउन नहीं कर सकते कि उसको वहां जाना पड़ेगा, अमुक एविडेन्स लेनी पड़ेगी बल्कि उसको डिस्क्रीशन देना होगा, एविडेन्स रेकॉर्ड करना चाहे तो करे, मौके पर जाना चाहे तो जावे ।

श्री तनसिंह : यदि आप मजिस्ट्रेट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो हम समझ सकते हैं कि एक बात है, लेकिन आप पटवारी के खिलाफ, सरपंच के खिलाफ तो कार्यवाही कर सकते हैं जिनकी कि ड्यूटी थी इत्तिला देने की । उनको रेस्पोन्सिबल बनाने के लिये आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब कोर्ट ने ऑफेन्स नहीं माना तो हम क्या कर सकते हैं ।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा सु०) : जब विधान सभा ने कानून पास किया कि पटवारी और सरपंच सूचना नहीं देंगे तो उनको सजा देंगे, लेकिन जब यह मालूम हुआ कि नुक्ता हुआ है और मन्त्री जी कहते कि नहीं हुआ तो अब जब कि चर्चा चल रही है तो क्या दुबारा जांच करके सजा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सन् १९५५ से सर्जरी के लेक्चरार्स की नियुक्ति

१११. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Medical and

Page No.25

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Health Minister be pleased to state :

1. How many persons have been appointed as lecturers in surgery since 1955 till this day ? Please place a list of all such persons, stating their qualifications, year of qualifying, date of appointment and previous experience.

2. Are there any rules for such recruitment ? If not, what is the criteria laid down for these appointments ?

3. Were these posts advertised? If so, when and if not, why ?

4. Is it a fact that some of these persons were holding the posts of C.A.S. Class II prior to their selection ? If so, under what rules they were promoted as lecturers ?

5. Was any departmental circular issued for the information of all concerned so as to give them an opportunity to apply for these posts? If not, why ? If any list of M. Ss. available was ever prepared, please place a copy of the same on the Table of the House.

6. Is there any difference in emoluments of C.A.S. Class I in comparison to C. A. S. Class I holding lecturership ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

1. 11 in all. A list has been placed on the Table of the House.

2. Persons having Post Graduate Qualifications are selected according to the seniority and suitability for these posts by the Selection Board constituted vide Government order dated 24-1-58.

3 These posts are part time and hence these were not advertised, but candidates who were eligible for these posts were considered by the Selection Board for these posts.

4. No. There is no such case in which any C.A.S Class II was promoted as C.A.S. Class I-cum-Lecturer.

5. No circular was issued departmentally for these posts but the list of all Medical Officers holding degree of M.Ss. was prepared departmentally and was put up to the Selection Board to consider these cases according to the seniority cum-suitability for teaching posts. The list of doctors who are M.Ss. is always kept ready; a copy of which has been placed on the Table of the House.

6. Lecturer in Surgery is a part time post attached to the post CAS Class I who is allowed Rs. 100/- p.m. extra for this teaching job.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What is the qualification laid down for these posts ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : M. S.- Post

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

Graduate qualification is necessary.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो २७ आदमियों की लिस्ट दी है वे सब पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के हैं? क्या उन सबको इन्टर्व्यू के लिये नहीं बुलाया गया था?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनके रेकॉर्ड हमारे पास रहते हैं, उनको देखकर सिलेक्ट करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह माना जाय कि सिलैक्शन बोर्ड ने उन २७ ही आदमियों के रेकार्ड को कंसीडर किया और उनको कंसीडर करने के बाद ही ११ लोगों का सिलेक्शन किया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ११ लोगों का सिलेक्शन टाइम टू टाइम हुआ है। बी लिस्ट मैने आपको दी है। एक ही दिन में उन सबका सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी ने ५४ में एम. एस. या एम. डी. पास किया है तो ५५ में उनका सिलेक्शन हुआ होगा व ५६ में पास किया है तो ५७ में या ५८ में सिलेक्शन हुआ होगा। टाइम टू टाइम जितने लोग एलिजिबल थे उनको कंसीडर करके सीनियोरिटी-कम-मेरिट के ऊपर अपोइन्टमेन्ट हुआ है, एक टाइम में नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पोस्ट प्रमोशन की है या सिलेक्शन की है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एम० डी०, एम० एस० वगैरह जो लोग इसके लिए क्वालिफाइड हैं उनकी लिस्ट हमारे यहां मौजूद है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ११ लोगों का जो सिलैक्शन किया उनका इन्टर्व्यू हुआ था क्या?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये हमारे यहां के ही लोग हैं, उनका रेकार्ड यहां पर मौजूद है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उनका इन्टर्व्यू नहीं हुआ और उनको बिल्कुल रेकॉर्ड के आधार पर सिलेक्ट कर लिया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिल्कुल रेकॉर्ड के आधार पर, सीनियोरिटी-कम-मेरिट से सिलैक्शन किया गया और यह सिलैक्शन एक साथ नहीं हुआ; टाइम टू टाइम हुआ। जिन्होंने ६० में पास किया वे इस तारीख को क्वालिफाइड नहीं हैं। सिलेक्शन बोर्ड ने सीनियोरिटी-कम-मेरिट पर सिलेक्शन किया।

(१२ मध्यान्ह)

नगरपालिकाओं को पिछड़ी जाति व हरिजन जाति के व्यक्तियों को नियुक्त करने के आदेश

११२. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :--

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने विज्ञप्ति सं० डी० २९७१६-२९८७६ डी० एल०बी०५४।१००, दिनांक १६-१२-५४ द्वारा समस्त नगरपालिकाओं को यह आदेश दिये थे कि वे पिछड़ी जाति व हरिजन जाति के लोगों को अपने यहां, जहां भी सम्भव हो, नियुक्त करें?

(२) क्या इस विज्ञप्ति के आदेशानुसार जोधपुर नगरपालिका अध्यक्ष नेको ई

Page No.27

(श्री अनूपसिंह)

नियुक्तियां की हैं ? अगर हां, तो किन किन की, और किस किस जगह और किस दिन से ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां ।

(२) जी हां। तालिका पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बस्सी द्वारा अनिवार्य बीमा रकम की कटौती

११३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बस्सी ने अक्टूबर सन् ५९ से पंचायत समिति के अध्यापकों के वेतन से ६।१।२ प्रतिशत के हिसाब से अनिवार्य बीमा की कटौती की है ? यदि हां, तो अब तक कुल कितनी कटौती की गई ?

(२) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी ने यह अनिवार्य बीमा की कटौती की कुल रकम अभी तक ट्रेजरी में जमा नहीं कराई है ? यदि हां, तो क्यों और कितनी ?

(३) किस किस माह में कितनी कितनी रकम की कटौती की गई और किस किस माह में कितनी कितनी कहां कहां रकम जमा कराई गई ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) (१) जी हां । कटौती की कुल रकम ६५१७) रु० है ।

(२) जी नहीं ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने सूची रखी है, उसके अनुसार अक्टूबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च की इस प्रॉवीडेन्ट फन्ड की रकम को ३१-३-६० को जमा करवाया है । अक्टूबर से मार्च तक यह रकम जमा न करने के क्या कारण हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोई खास नहीं है, जमा करानी चाहिए थी ।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं कराई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह पूछा जा सकता है । उनसे पूछ लेंगे ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अब तक क्यों नहीं पूछा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब नोटिस में आया है; आपके प्रश्न से अब यह नोटिस में आया है, अब पूछ लेंगे ।

श्री श्रीभानसिंह : प्रश्न से इन्फोर्मेशन ले रहे हैं, नोटिस में तो पहले आ जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

Page No.28

श्री भैरोंसिंह : आपके स्वयं के कोई चीज, जब तक कोई दूसरा न बताये, नोटिस में नहीं आती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यहां जयपुर में बैठे बैठे जब तक निगाह में न लाई जाय तब तक कैसे आ सकती है ?

श्री भैरोंसिंह : ये चार हजार रुपये ट्रेजरी में नहीं रखे तो कहां रखे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर बैराठ ट्रेजरी में नहीं रखे हैं तो अपने पास रखे होंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोई सरकारी अधिकारी अपने पास सरकारी रकम रख सकता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं रख सकता।

श्री श्रीभानसिंह : जब रकम अपने पास रखी है तो क्या गवर्नमेन्ट यह नहीं सोचती कि सीरियस इर्रेगुलेरिटी हुई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इर्रेगुलेरिटी हुई है।

श्री श्रीभानसिंह : जब इर्रेगुलेरिटी मानते हैं तो क्या स्टेप्स उनके अगेन्स्ट लिये जायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : स्टेप्स लेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने शायद यह कहा कि यह पाया गया कि इर्रेगुलेरिटी हुई है तो क्या एक्शन लेंगे। अब उसका जवाब तलब किया जायगा और उससे संतोष नहीं होगा तो कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : संतोष होने की अब आवश्यकता नहीं है। जब आपने अधिकृत रूप से जवाब दिया है कि इर्रेगुलेरिटी हुई है; अब तो एक्शन लिया जायगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्यों हुई, यह जवाब लेना पड़ेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): एक्शन लिया जायगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बिना जवाब लिये क्या फांसी पर चढ़ा देंगे। उससे जवाब लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

आमेर में नाथद्वारे के महंत श्री के कब्जे से जवाहरात आदि का पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया जाना।

११४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : **क्या यह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :**

(१) नवम्बर सन् १९५८ में आमेर में नाथद्वारे के महन्त श्री के कब्जे से जो जवाहरात आदि पुलिस ने अपने कब्जे में लिये थे उस सम्बन्ध में पुलिस ने चालान किस मजिस्ट्रेट की अदालत में किस धारा के तहत पेश किया ?

(२) क्या यह सही है कि इस मुकदमे में सरकार की ओर से भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, श्री महाजन को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्यों ? क्या टेम्पल बोर्ड व महाराज श्री इस पर राजी हो गये हैं ?

(३) क्या आर्बीट्रेटर नियुक्त किये जाने के विषय में किसी ने अदालत में कोई दरख्वास्त पेश की ? यदि हां, तो किसने और कब ?

(४) क्या सम्पूर्ण सम्पत्ति आर्बीट्रेटर के हवाले कर दी गई है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कार्यवाही बरामदगी धारा ५५० जा० फौ० की गई थी। उक्त बरामदगी के बाबत तत्काल ही धारा ५२३ जा० फौ० की कार्यवाही के लिये प्रार्थना-पत्र सिटी मजिस्ट्रेट, जयपुर को प्रस्तुत कर दिया गया था और बाद में दिनांक २२-२-६० को मुकदमा नं० ६ धारा ४०६। १२० बीं ता० हि० के तहत दर्ज थाना आमेर किया गया।

(२) दिनांक ६-२-६१ को नाथद्वारा मन्दिर बोर्ड व तिलकायत गोविन्दलाल जी ममद राज में १९५८ में आमेर में पकड़ी गई सम्पत्ति, जवाहरात आदि पर अधिकार सम्बन्धी विवाद को आर्बीट्रेटर द्वारा निपटाने के लिये एक इकरारनामा हुआ जिस पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई। इस इकरारनामे को हाई कोर्ट में पेश किया गया। इकरारनामे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस श्री एम. सी. महाजन को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया गया है।

(३) जी नहीं। आर्बीट्रेटर की नियुक्ति टेम्पल बोर्ड व तिलकायत जी के सामूहिक इकरारनामे के अन्तर्गत हुई।

(४) सम्पूर्ण सम्पत्ति टेम्पल ट्रस्ट व तिलकायतजी के सामूहिक नाम में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर में सेफ डिपोजिट के रूप में जमा करा दी गई है। सम्पत्ति किसके सुपुर्द की जावेगी, वह प्रश्न आर्बीट्रेटर के निर्णय पर निर्भर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आर्बीट्रेटर का फैसला हो गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : आज अखबार में पढ़ा है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Please give him a copy of it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर्बीट्रेटर को दिया गया, कोर्ट के केस का क्या हुआ ? सिटी मजिस्ट्रेट के पास केस पैंडिंग था, उसका क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह खत्म हो गया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): आर्बीट्रेटर नियुक्त करने के बारे में सरकार पक्ष में थी या विपक्ष में थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : पार्टी देना चाहती है, तो सरकार को क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन में सरकार की तरफ से केस पेश किया जाता है, तो सरकार भी पार्टी होती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार ने पूछा था, सरकार ने स्वीकृति दी है।

श्री भैरोंसिंह : टेम्पल बोर्ड में जो

Page No.30

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार का प्रतिनिधि था, उसको क्या सरकार ने आदेश दिये थे कि टेम्पल बोर्ड में किस तरह से रिप्रेजेन्ट किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो आर्बीट्रेटर नियुक्त हुआ वह टेम्पल बोर्ड की मेजोरिटी से तय हुआ । आदेश का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

श्री भैरोंसिंह : जो प्रतिनिधि है सरकार का, उसको क्या आदेश दिये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह अलग प्रश्न पूछे, अलग से नोटिस दें तो जानकारी करके बता सकता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

बीमा विभाग के अधिकारी रोटरी क्लब व अग्रवाल कालेज के पदों पर

११५. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि बीमा विभाग के कुछ अधिकारी रोटरी क्लब व अग्रवाल कॉलेज के भी पदाधिकारी है ?

(२) क्या यह सही है कि विभाग के कर्मचारियों से इन संस्थाओं का जबरन कार्य करवाया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि विभाग के कर्मचारियों द्वारा लिखित पत्र बैंक आदि में भी दिये जाते हैं ?

वित्त उप-मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई):

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) साधारणतया सारा कार्य पदाधिकारी स्वयं ही करते हैं । हो सकता है कि कभी कोई कार्य किसी कर्मचारी ने कार्यालय के समय के बाद स्वेच्छा से किया हो ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि कार्यालय के समय के अन्दर बैंक से जितना काम होता है, बैंक में जमा कराने का, ड्रॉ करने का, वे विभाग के कर्मचारी करते है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसका उत्तर दिया है नम्बर ३ में ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने कहा है कि कार्यालय के अतिरिक्त समय के अन्दर करते है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह एक दूसरे के मुखालिफ चीजें हैं । मैंने निवेदन किया कि ऐसा नहीं होता है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि अगर माननीय मंत्री इसकी जांच करें तो लिखी हुई अकाउन्ट्स बुक, वाउचर्स, ड्राफ्ट, बिल्स, जिस समय पर बैंक में दिये, वे आज भी देखने को मिलेंगे.......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने निवेदन किया कि जो ऑफिस का समय है, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया होगा । ऑफिस के वक्त नहीं किया ।

श्री भैरोंसिंह : बैंक में जाकर रुपया ड्रॉ करने का, जमा करने का टाइम और सरकारी दफ्तर का टाइम एक होता है । इस

Page No.31

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार की कार्यवाही मिली तो क्या जांच करने को तैयार हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

पाली म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा काश्त की जमीन में नये रास्ते का निर्माण

११६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:--

(१) क्या पाली शहर के रोदावा की जमीन और उसके पास ही बसी हुई सिरवियों की ढाणी काश्त की जमीन है और उसका खसरा नम्बर ११७० है ?

(२) क्या यह सत्य है कि पाली म्युनिसिपल बोर्ड के प्रशासक ने सिरवियों की ढाणी में से उनकी कब्जा शुदा जमीन में से नया रास्ता निकलवाने की कभी इजाजत दी है ? यदि नहीं, तो फिर पुलिस में जाकर, जबरदस्ती से काश्तकारों की बाड़ हटाकर उनका घास फेंक कर नया रास्ता क्यों बनाया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) वैसे तो इस भाग का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है..फिर भी जानकारी की गई, उसके आधार पर पाली शहर में रोदावा की जमीन काश्त की है और उसका नया खसरा नं० ११७० है किन्तु सिरवियों की ढाणी जो रोदावा की जमीन के पास बसी हुई है काश्त की जमीन नहीं है।

(२) जी हां।

श्री अध्यक्ष : डॉ. बहादुरसिंह।

भूतपूर्व अजमेर पुलिस रेडियो विभाग के कर्मचारियों का वेतन

११७. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व अजमेर पुलिस रेडियो विभाग के कर्मचारियों का वेतन फिक्सेशन अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि करना चाहते हैं, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : कुल ३३ कर्मचारियों में से १२ का फिक्सेशन हो चुका है तथा एक ने अजमेर स्केल को ऑप्ट किया है, अतः उसके फिक्सेशन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। शेष २० में से एक का इन्टीग्रेशन विचाराधीन है, तथा १९ के ऑप्शन फार्म प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें ताकीद की गई है। फार्म्स प्राप्त होते ही फिक्सेशन शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

खादी ग्रामोद्योगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता

११८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने खादी ग्रामोद्योगों को राज्य सरकार की ओर से सन् १९५९--६० में कितनी आर्थिक सहायता मिली ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या राज्य सरकार ने अब तक कभी भी इस प्रकार प्रदत्त धनराशि के व्यय की परिनिरीक्षा की है ? यदि हां, तो कब तथा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

परिनिरीक्षा का क्या परिणाम रहा ?

(ग) क्या विक्रयार्थ स्थापित खादी भंडारों को पृथक से कोई सहायता मिलती है ?

(घ) क्या खादी भंडार, रामपुरा कोटा में एक कर्मचारी द्वारा रकम सम्बन्धी कई घोटाले किये गए हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उनकी जांच करवायेगी ?

खादी ग्रामोद्योग मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) राजस्थान सरकार से सन् १९५९--६० में खादी ग्रामोद्योगों के लिये १० हजार रुपया बोर्ड के द्वारा निम्न दो संस्थाओं को सहायता स्वरूप दिया गया है।

१. नागौर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति रींगस :

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : नागौर में रींगस कैसे आ गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : खादी ग्रामोद्योग समिति है, उसका नाम है।

श्री भैरोंसिंह : रींगस आपने कहा है। आप दुरुस्त कर लीजिये, सीकर होगा।

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): खादी बोर्ड का जुरिस्डिक्शन लम्बा-चौड़ा होता है, इसलिए होगा; रींगस और नागौर जुड़ा हुआ हो।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनके राज्य अलग-अलग हैं, सीमा अलग अलग हैं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : उनकी दुनिया अलग है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, आपकी दुनिया से अलग है।

१. नागौर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति रींगस ५,०००--००

२. नागौर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, नागौर : ५,०००--०० १०,०००--००

(ख) जिन संस्थाओं को राजस्थान सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग में सहायता दी गई है उसके काल की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि जिस हेतु सहायता दी गई उसका परिणाम सन्तोषजनक रहा।

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे किसी भंडार को कोई सहायता नहीं दी गई है।

(घ) कोटा खादी भंडार को राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई। इसलिए उसकी जांच किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर नगर--अजमेर रोड पर जमना डेयरी की बस्ती

११९. डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) . क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर नगर-अजमेर रोड पर जमना डेयरी की बस्ती कब बसी ? क्या यह सच है कि शुरू में यहां पर एक डेयरी की स्थापना हुई थी ? यदि हां, तो कब ? उक्त डेयरी के संचालक मंडल में कौन कौन थे ? वह डेयरी कब तक चली ?

(ख) डेयरी के पास कुल कितनी जमीन थी ? उक्त जमीन में से कितनी पर श्री हंस

Page No.33

(डॉ० चन्द्रकला)

श्री. राय ने कब्जा कर अपने लिए मकान तथा दुकानें बना ली है ?

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र की सारी जमीन को श्री राय अपनी बता कर उसे बेचने की योजना बना रहे हैं और कुछ प्लॉट बेच भी दिए हैं ?

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी नगर विकास मंडल अथवा नगर-पालिका की न मान कर श्री राय की मानती है ? यदि नहीं, तो श्री राय का प्लॉट काट कर बेच देना अथवा आवास योजना बना कर देना कहां तक ठीक है ?

(ड) क्या व्यक्ति विशेष की इस अनुचित कार्यवाही को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जायगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) भूतपूर्व जयपुर राज्य ने श्री इस डी. राय को जमना डेयरी के लिये सन् १९४५ में जमीन दी थी। परन्तु उक्त डेयरी की स्थापना कब हुई अथवा इसके संचालक मंडल में कौन कौन थे: आदि की जानकारी सरकार को नहीं है।

(ख) श्री इस डी. राय को ६००--६०० का एक भूखंड, ३००--३०० का दूसरा भूखंड तथा १०३ बीघा ४ बिस्वा का तीसरा भूखंड दिया गया था। इससे अधिक भूमि पर उनका कब्जा होने की सूचना सरकार को नहीं है।

(ग) उपरोक्त भूमि के लिये श्री राय ने एक योजना पेश की है जो अभी स्वीकार नहीं हुई है और सरकार के विचाराधीन है। इनके द्वारा बेचे गये प्लॉटों की कोई जानकारी सरकार को नहीं है।

(घ) जब तक श्री राय का भूमि सम्बन्धी हक सत्यापित नहीं हो जाता, जो प्रश्न कि सरकार के विचाराधीन है, यह नहीं कहा जा सकता कि श्री राय की कार्यवाही कहां तक उचित है अथवा नहीं।

(ड) पैरा "घ" के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्पन्न होने पर ही उचित कदम उठाया जा सकता है।

डा० चन्द्रकला : यह राय साहब ने जो योजना दी है और सरकार के विचाराधीन है तो क्या सरकार नहीं सोचती कि जयपुर नगर में विकास के कार्यों के लिए अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बना हुआ है और नगर पालिका बनी हुई है। फिर व्यक्ति विशेष की बात पर विचार करने की क्या आवश्यकता हुई ?

श्री सम्पतराम : विचार तो, यहां माननीय सदस्य जो भी सूचना दें, चाहे वह सही हो या गलत हो, उस पर भी किया जाता है। उन्होंने योजना दी है। वह सही है या गलत है, इस पर भी विचार तो किया ही जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस डेयरी की भूमि में काफी पक्के मकान बने हुए हैं और अभी अभी बने है ?

श्री सम्पतराम : यह मेरे पास सूचना नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि अभी के बने हुए हैं या कब के बने हुए हैं ?

श्री भैरोंसिंह : यह सूचना नहीं है कि अभी के बने हुए हैं या कब के बने हुए हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

तो यह तो बता सकते हैं कि वहां मकान बने हुए हैं कि नहीं ?

श्री सम्पतराम : यह मैं नहीं-कह सकता, जब मैंने देखे ही नहीं हैं तो कैसे कह सकता हूँ कि बने हैं या नहीं बने हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जितने मकान बने हैं उनके नक्शे नगरपालिका के पास भेज कर एप्रूव कराये जा रहे हैं।

श्री सम्पतराम : नगरपालिका की स्वीकृति नहीं ली है; अगर ली गई है तो मैं जानकारी करके जिनकी गलती होगी उनके खिलाफ एक्शन लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस प्रकार के मकान बनने चाहिए उस प्रकार के नहीं बने हैं ?

श्री सम्पतराम : मैंने अर्ज किया कि अगर किसी ने गलती की है तो, एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राय साहब ने लोगों को लिखित नोटिस दिया है कि या तो मकानों को खाली करो या अमुक हिसाब से पैसा जमा कराओ ?

श्री सम्पतराम : यह तो उनके प्राइवेट डीलिंग्स हैं, सरकार किसी के प्राइवेट डीलिंग्स में इन्टरफीयरेंस नहीं करती।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी जमीन है, प्राइवेट डीलिंग्स सरकारी जमीन का कैसे हो सकता है ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य जोश में नहीं आयें, अपने मेरे उत्तर को जिस शांति से सुनना चाहिए था नहीं सुना। मैंने अर्ज किया है कि अगर किसी ने गलती की है तो एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : यह 'अगर-मगर' का सवाल नहीं है, तीन चार वर्ष हो गये हैं। जो जमीन उनकी नहीं है, जो जमीन सरकार की है उसको कोई बेचता है तो इसको आप प्राइवेट डीलिंग्स कैसे कह सकते हैं ?

श्री सम्पतराम : Is the Local Self Government responsible for it ? I refuse to reply to the irrelevant questions.

श्री भैरोंसिंह: This is not for your, this is for the Speaker to admit the question or not.

श्री श्रीभानसिंह : He is merely trying to evade, because...

डॉ चन्द्रकला : अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि प्राइवेट डीलिंग्स में सरकार इन्टरफियर नहीं करती, तो जो जमीन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दी गई थी उसका कोई भी कैसे व्यक्तिगत डीलिंग्स कर सकता है ?

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष, सवाल बहुत साफ है अगर सदन का यह इम्प्रेशन बन गया है कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाना चाहती है तो गलत है। पहले यह जानना चाहिये कि वह जमीन आबादी की है या काश्त की जमीन है, इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जानकारी के लिए रेफर किया गया है। अगर किसी ने गलत तरीके से कब्जा किया है तो एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो लोग वहां पर बसे हुए हैं उनको नोटिस दिये गये हैं। सात-आठ वर्ष से यह मामला चल रहा है। दो लाख रुपयों की जमीन उन्होंने लोगों को बेच दी है, लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए हैं और उनको खाली करने के लिए नोटिस दिये हैं और अर्बन इम्प्रूवमेंट को योजना दे दी है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि उनके विभाग से सम्बन्धित नहीं है, उन्होंने रेवेन्यु विभाग से पूछा है कि यह किस तरह की जमीन है।

श्री भैरोंसिंह : यह उन्होंने बता दिया है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को गया है।

श्री सम्पतराम : मेरे उत्तर को शान्ति से सुना नहीं है। मेरे पास स्कीम आई थी; मैंने पूछा है कि यह आबादी लैंड है या रेवेन्यू की है, इस प्रकार की जानकारी के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रेफर किया गया है। जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उत्तर नहीं आ जाता तब तक क्या कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी जांच करवा लेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द !

सब-इन्सपेक्टरों के ग्रेड

१२०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार ने अभी सब-इन्सपेक्टरों के ग्रेड ८०-५-१४०-१०-२०० के बजाय १००-५-१४५-१०-२२५ कर दिये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि जिन सब-इन्सपेक्टरों की ५ या ६ साल की सर्विस हो गई है उनको इससे कोई फायदा भविष्य में नहीं होने वाला है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हाँ, ग्रेड ८०-५-१००-८-१४० —१०-२०० के बजाय १००-५-१४५ --१०--२२५ कर दिया है।

(ख) जी नहीं, क्योंकि नियमानुसार जब तक व जो भी ग्रेड नया या पुराना उनको लाभप्रद होगा वे रख सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : चार साल पुराना सब इन्सपेक्टर है उसको भी १००) मिलते हैं और आज जो नया सब इन्सपेक्टर होता है उसको भी १००) मिलते हैं इस प्रकार के डिफरेंस के प्रति आपके विभाग में उदासीनता कैसे है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिस ग्रेड को वह ऑप्ट करता है वही उसे मिलता है।

प्रश्न संख्या २१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर जिले के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, महाजन का स्थानान्तरण

१२१. **श्री मुरलीधरव्यास** (बीकानेर-सिटी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) बीकानेर जिले में कृत्रिम गर्भाधान

(श्री मुरलीधर व्यास)

केन्द्र, महाजन कब से शुरू हुआ और उस केन्द्र का नवलगढ़, जिला झुंझुनू में स्थानान्तरण क्यों हुआ ?

(२) स्थानान्तरण होने से पूर्व उस केन्द्र पर जनहित का क्या क्या काम हुआ ?

(३) उस केन्द्र पर कुल कितने सांड किस नस्ल के रखे गये थे और ये सारे जानवर किस किस कीमत में और कहां कहां से खरीद किये गये थे ?

(४) उक्त केन्द्र का नवलगढ़ स्थानान्तरण होने से पूर्व उन सांडों का बैल बनाकर क्यों बेचा गया और बेचा गया तो किन कीमत पर ?

(५) क्या ये सांड किसी स्थान पर काम नहीं आ सकते थे ?

(६) जिस अर्से में यह केन्द्र महाजन में रहा उस पर कितना खर्चा हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अगली टर्न पर दिया जायगा ।

(१२.८ म. प.)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

पुरःस्थापित विधेयक

(क) राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६१

श्री रामचन्द्र (कर व आबकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामचन्द्र : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

(ख) राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९६१

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामचन्द्र : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(ग) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६१

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेजिस्लेटिव

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स) अमेंडमेंट बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घ) राजस्थान बाट माप (प्रवर्तन) संशोधन विधेयक, १९६१

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वेट्स एण्ड मेजर्स (एन्फोर्समेंट) अमेन्डमेंट बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बाट व माप (एन्फोर्समेंट) अमेंडमेंट विधेयक १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(ङ) राजस्थान स्थानीय निधि अंक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, १९६१

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकल फंड ऑडिट (अमेंडमेंड) बिल, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : पुरः स्थापित करने से पहले यह कानून पेश करने की मंशा क्या है, यह साफ कर दें ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पंचायत एक्ट और जिला परिषद् एक्ट में यह है कि हिसाब का ऑडिट किया जाय, पर यह नहीं है कि हिसाब मेन्टेन किया जाय। इसमें यह है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकल फण्ड ऑडिट (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान म्युनिसिपल इलेक्शन्स (वेलिडेटिंग) बिल, १९६१।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(१२.९ म. प.)

राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) विधेयक, १९६१

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा संकल्प की प्रस्तुति, विधेयक पर खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-

Page No.38

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपल इलेक्शन्स (वेलिडेटिंग) अध्यादेश जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में एक विधेयक विचारार्थ आने वाला है, उसमें मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया है और वह संकल्प इस प्रकार है :

"यह सदन राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या २ सन् १९६१) को निरनुमोदित (disa) करता है यानी डिसएप्रूव करता है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में नगर-पालिकाओं के चुनावों के सम्बन्ध में जो कुछ अनियमितताएं हुई उनमें से कुछ बातों को लेकर यह म्युनिसिपल इलेक्शन्स वेलिडेटिंग बिल, १९६१ सदन के सामने विचारार्थ आ रहा है, इससे पूर्व राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया। उसके द्वारा दो-तीन प्रावधान किये। उसके सम्बन्ध में मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, संकल्प प्रस्तुत करने के पीछे जो मेरी भावना है वह दो प्रकार से है।

एक तो यह कि इस सदन में कई बार जब जब राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किये हैं उस समय सर्व सर्वा रूप से सदन ने राज्य सरकार की इस मनोवृत्ति का विरोध किया है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है, लेकिन अध्यादेश जारी करने के लिये जो परम्परा रही है, उसके पीछे जिस प्रकार की मनोवृत्ति ने काम किया है जिस प्रकार अधिकारों का दुरुपयोग राज्य सरकार ने किया है, उसके लिये इस सदन ने कभी स्वीकृति नहीं दी।

अध्यादेश, मैं यह कहूँगा कि, बहुत ही विशेष परिस्थितियों में निकाले जाते हैं और मैं यह कहूँगा कि बहुत ही ग्रेव और सीरियस सरकमस्टान्सेज पैदा हो जाती हैं और उसको कन्ट्रोल करना होता है तो अध्यादेश जारी हो। तब ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश जारी होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के हमारे संविधान में होने के बावजूद ऐसे अध्यादेश जारी हो जाते हैं। इसके लिये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना है कि आज सदन में ५ अध्यादेश आनेवाले हैं। उनके संबन्ध में विधेयक प्रस्तुत किये हैं। मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार के अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? जब हमारे यहां अधिवेशन, विधान सभा का चलता है, उस समय यह कानून नहीं आता और जिस समय अधिवेशन प्रारम्भ होता है और समाप्त होता है उस समय स्थिति खराब होती है उस पर विचार नहीं करते। आज हमारा अधिवेशन चल रहा है। यह लगभग १० दिन तक चलेगा क्योंकि लेजिस्लेटिव बिजनैस नहीं है। इस कारण अधिवेशन की कार्यवाही आगे चलाने की जरूरत नहीं होती। इसका कारण यह है कि अध्यादेश विधेयक हम ला सकते हैं। सदन की जब कार्यवाही समाप्त हो जावेगी। दूसरा अधिवेशन प्रारम्भ होने से पहले राज्य सरकार के सामने एक एक मामले आवेंगे और राज्य सरकार उनके लिये ऑर्डिनेन्स जारी करेगी। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की परम्परा हमारे संविधान में दिये गये अधिकारों में अच्छी नहीं कही जा सकती। इसलिये नगरपालिका निर्वाचन वैधकरण विधेयक, १९६१ को राज्यपाल महोदय ने ऑर्डिनेन्स के जरिये जारी किया है वह किसी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता। इस पर मैं अपने विचार दो प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ।

Page No.39

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक तो अध्यादेश जिस प्रकार से जारी किया गया है उसके उस क्रिटिकल आस्पेक्ट की दृष्टि से अपने विचार प्रकट करूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार का स्टीरिओटाइप्ड का सा उत्तर न दें जैसा कि वे हमेशा देते रहे हैं कि विरोधी दल के लोगों की यह आदत सी हो गई है कि वे हर बात की आलोचना करते ही हैं। मैं इसके बारे में सारी कॉन्स्टीट्यूशनल पोजीशन और लीगल पोजीशन के व्यूज को सदन के सामने रखना चाहता हूँ और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे सारी कॉन्स्टीट्यूशनल पोजीशन और लीगल आस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करें और अपना प्रत्युत्तर सदन में दें।

अध्यक्ष महोदय, यह ऑर्डिनेन्स १५ जुलाई, १९६१ को जारी किया गया। एक ऑर्डिनेन्स को जारी करने का अधिकार विधान सभा की कार्यवाही जब न चले उस समय संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को दिया गया है। मगर उसमें जो रेस्ट्रिक्शन लिखे हुए हैं उनके अनुसार वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं और मेरी यह निश्चित मान्यता है कि कोई भी आदमी अगर इसको गौर के साथ संविधान की पुस्तक खोलने के बाद पढ़ेगा तो वह यही कहेगा कि यह उस संविधान की धारा २१३ की पूर्ति नहीं करता और अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस अध्यादेश जारी करने की दृष्टि से संविधान की धारा २१३ में जो लिखा हुआ है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। इसमें दो बातें दी गई हैं। किस प्रकार से ऑर्डिनेन्स जारी किया जा सकता है, उसके लिये दो शर्तें लिखी हैं।

एक तो यह कि विधान सभा का सत्र जब नहीं चल रहा हो; सबसे पहला ग्राउन्ड तो यह है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि उस समय विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था। दूसरी बात जो इसमें दी हुई है उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ :

"Government should be satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action."

"Circumstances exist which appear to make him to take such an action."

इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की दो परिस्थितियां इसमें हमारे संविधान की धारा २१३ में दी गई है और अगर इस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर मौजूद नहीं हों तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह ऑर्डिनेन्स वैधानिक नहीं कहा जा सकता, यह कानून के जरिये जारी किया हुआ नहीं कहा जा सकता और मैं सदन के सामने प्रमाण देने की कोशिश करूंगा कि यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है वह इन दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं करता इसलिये संविधान की धारा के प्रतिकूल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूँगा कि जहां तक संविधान के अनुच्छेद २१३ का प्रश्न है, हमने इस धारा को क्यों बनाया ? इसकी आवश्यकता का न बनानेवालों को क्यों प्रतीत हुई ? उनको इसकी आवश्यकता इस कारण से प्रतीत हुई कि जब विधान सभा का अधिवेशन नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चलता हो, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई हों कि किसी प्रकार के कानून को बनाना आवश्यक हो, अगर वह कानून नहीं बनाया गया तो राज्य की सुरक्षा या शांति के भंग होने की संभावना हो, तो इस दृष्टि से इस प्रकार का कानून बनाया जाना जरूरी है। इस प्रकार का लेजिस्लेशन का पॉवर अनुच्छेद २१३ में दिया हुआ है। अनुच्छेद २१३ में साफ लिखा है कि राज्यपाल को सेटिस्फेक्शन होना चाहिये, उनको संतोष होना चाहिये कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण ऑर्डिनेन्स जारी करना जरूरी है।

दूसरी शर्त दी है वह यह है कि मैं इससे संतुष्ट हूँ और ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार का कदम उठाना और ऑर्डिनेन्स जारी करना जरूरी है। इसमें इस प्रकार की दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं होती। माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब यह ऑर्डिनेन्स दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं करता तो इस ऑर्डिनेन्स को संविधान के अनुसार जारी किया हुआ नहीं माना जा सकता। अध्यक्ष महोदय; जो ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है उसका आप अवलोकन करें :

"Whereas the Rajasthan Legislative Assembly is not at present in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it neceseary for him to take immediate actiou to validate certain municipal elections held or to be held in the State of Rajasthan, notwithstanding any omission or defect of form or procedure in the publication of municipal electoral rolls as a step preliminary thereto;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by article 213 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan is pleased to make and promulgate in the Twelfth Year of the Republic of India the following Ordinance."

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रिएम्बल ऑर्डिनेन्स का दिया हुआ है उसमें जो लिखा है वह यह लिखा है कि वह ऑर्डिनेन्स किस संबन्ध में जारी किया गया है और वे परिस्थितियां इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स जारी करने की कैसे पैदा हुई ? इसमें लिखा है : 'any omission or defect of form or procedure in the publication of municipal electoral rolls.'

नगरपालिका निर्वाचन की दृष्टि से इलेक्टर रोल्स तैयार किये जाते हैं उसमें किसी प्रकार की गलतियां तथा प्रारूप व प्रणाली में कुछ गड़बड़ी रह गई, इसके सम्बन्ध में सेटिस्फैक्शन किया। इसमें यह देखना है कि आया जो गल्ती इलेक्टर रोल्स में रही है उसका क्या कारण है और वे गलतियां क्यों रह गई और रह गई तो क्या इसको जारी करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि केवल म्युनिसिपल इलेक्टर रोल्स के बारे में ही क्या, मगर आप सारे बॉडी ऑफ दी ऑर्डिनेन्स को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि रिट एप्लीकेशन के बारे में भी रोक लगा दी है। उन्होंने जुडिशियरी में जाने से भी इन्कार किया है। मैं समझता हूँ कि इसकी क्या आवश्यकता है। अगर राज्यपाल आवश्यक समझते कि म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन को चैलेंज नहीं दिया जा सकता। उनको सेटिस्फाई होना चाहिये और इसको प्रिएम्बल ऑफ दी बिल में लिखना चाहिए था कि इस कारण से। इसके बारे में उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : पाली में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाली का मामला है। इसलिये उनको यह भाषण अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं यह कहूँगा कि किसी एक माननीय सदस्य के प्रभाव में आकर जो यह किया है यह परम्परा अच्छी नहीं है। माननीय सदस्य बड़े प्रसन्न होंगे लेकिन मैं यह कहूँगा कि वे हमेशा सरकार को टीक करते रहे हैं और जहां तक इस अध्यादेश का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि वे इस पर कुछ न कहेंगे। उन्होंने इस परम्परा का हमेशा विरोध किया है। मगर इस समय वे इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वे नगरपालिका के प्रधान बन बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह परम्परा कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि धारा ४ और धारा ५ बोडी ऑफ ऑर्डिनेन्स में दी हुई हैं। इसके बारे में सेटिस्फैक्शन गवर्नर महोदय को नहीं है और मैं निवेदन करूंगा कि यदि गवर्नर महोदय को सैटिस्फेक्शन न हो तो प्रिन्सिपली वह ऑर्डिनेन्स में नहीं रखा जा सकता है और चूंकि यह रखा गया है इसलिए अवैधानिक है, जायज नहीं कहा जा सकता।

दूसरा प्रश्न है म्यूनिसिपल इलेक्टररोल्स के बारे में। यह सदन को ही तय करने का है कि यदि किसी नगरपालिका के, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्टरल रोल्स के अन्दर कोई त्रुटि रह गई है, कोई खामी रह गई है, कानून के खिलाफ काम हुआ है, किसी अधिकारी की नासमझी अथवा जान-बूझकर गलती कर देने के उपरांत भी उसको बचाने की दृष्टि से ऐसे मामलों में ऑर्डिनेन्स कहां तक उचित है, जारी किया जाना? क्या परिस्थितियां थीं जिनके कारण से सरकार बाध्य हुई और उनको इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़ा। यह तो माननीय मन्त्री महोदय ही बतायेंगे कि इतने कितने मामले थे, इलेक्टरल रोल्स में खामियां होने के कारण चुनावों के ऊपर असर पड़ सकता था, कितने इलेक्शन पिटिशन्स इस कारण कोर्ट्स में मंजूर हो जाते और किस प्रकार से इतने इलेक्शन सैट असाइड हो जाते यदि इन खामियों को दूर करने के लिए इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स न निकाला जाता और इलेक्शन हो गए होते। ये आंकड़े आप आज प्रस्तुत नहीं कर सकते कि कितने इस प्रकार के तथ्य राज्य सरकार की जानकारी में आ गए थे और हाईकोर्ट में और अन्य न्यायालयों में कितने इस प्रकार के केसेज चैलेन्ज किए जा सकते थे यदि म्युनिसिपल इलेक्टरल रोल्स का प्रोपर पब्लिकेशन न होने से और इसके साथ ही प्रोपर पब्लिकेशन न होने से कितनी नगरपालिकाओं के चुनावों पर असर पड़ने वाला था और कितने केसेज इस प्रकार के इलेक्शन पिटिशन के कोर्ट्स में पेन्डिंग थे जिनके बारे में इस प्रकार की बातें दर्शाई गई हों? यह कहना पड़ेगा कि सरकार और राज्यपाल महोदय के पास इस प्रकार के तथ्य नहीं थे जिनके आधार पर यह पास किया था। माननीय मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि यह तो सेटिस्फेक्शन का सवाल है और इसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल को सेटिस्फेक्शन हो गया कि किस प्रकार के हैं। चैलेन्ज नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, लेजिस्लेटिव पॉवर्स राज्यपाल को दी हुई हैं, सदन की ही पॉवर्स हैं। विधान सभा की अनुपस्थिति में, सत्र न चलने के कारण संविधान के अन्तर्गत राज्य-

Page No.42

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पाल को अधिकार दिया गया है। मैं जानना चाहूँगा और दावे के साथ कहूँगा कि जो सेटिस्फेक्शन हो वह रीजनेबल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, रेशनल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यह इर्रेशनल सेटिस्फेक्शन है। इलेक्शन पिटिशन तब मन्जूर हो सकती है जब कि अदालत के सामने यह साबित कर दें कि इस प्रकार की गलती के आधार पर result of the Election has been materially affected. सदन की जानकारी के लिए मैं अध्यादेश अधिनियम की धारा ३४ भाग डी (४) सामने रखना चाहूँगा।

"34. (d) that the result of the election, in so far as it concerns returned candidate, has been materially affected.

(i) by the improper acceptance of any nomination, or

(ii) by any corrupt practice we are not concerned with or by any non-compliance with the provisions of this Act or of any rules or orders made thereunder."

यह एक भाग ३४ डी (४) है जिसके अन्तर्गत कोई आदमी नगरपालिका के चुनावों को चुनौती दे सकता है। यह सूची बनाई, पब्लिकेशन नहीं हुआ; कोर्ट्स से दरख्वास्त कर सकते हैं कि इसको रोकना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, क्वालिफाइंग क्लॉज है और वह यह है :

'the result of the election has been materially affected,"

यह जब तक कोई आदमी साबित नहीं कर सकता तब तक नहीं कहा जा सकता कि हर एक केस में चैलेन्ज की जा सकती है और पिटीशन मन्जूर की जा सकती है। हर एक केस पर किस प्रकार से हो सकता है? मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इलेक्टरल रोल्स में खामियां रह गईं, कानून में खामियां नहीं रहनी चाहिए और अधिकारियों ने, जान बूझ कर खामियां दीं, कानून में खामियां रहने के कारण जनता की जानकारी के लिए सूचियां प्रकाशित नहीं हो सकीं, तो कौन कौन सी नगरपालिकाओं के इलेक्टर रोल्स में उस प्रकार की कमियां रहीं जिनके कारण न्यायालयों और हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटिशन, याचिकायें पेश हुईं और जिनके कारण यदि यह इलेक्शन होता तो उन पर क्या असर पड़ता?

दूसरा प्रोविजन भी इसमें किया है, इस ऑर्डिनेन्स के जरिये से किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर को अपोइन्ट जिस दिन किया जाय, गजट में पब्लिकेशन न हो लेकिन तारीख निश्चित कर दी हो तो कोई बात नहीं मानी जायगी। मुझे जहां तक जानकारी है राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला हुआ है कि रिटर्निंग ऑफिसर का अपोइन्टमेंट उस दिन हुआ जिस दिन डेट मुकर्रर की है तो इर्रेगुलेरिटी नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने यह रखा है, पालों से आने वाले माननीय सदस्य इसके विरोध में बोलेंगे, लेकिन वे इस सम्बन्ध में पुष्टि करेंगे, रिटर्निंग ऑफीसर का अपोइन्टमेंट उस दिन हुआ जिस दिन इलेक्शन डेट मुकर्रर की है और उसके लिए राजस्थान की हाई कोर्ट कहती है कि कोई इर्रेगुलेरिटी नहीं, मैं समझता हूँ कि यह राजस्थान हाई कोर्ट के जजेज की राय है, तो कौन सी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ऐसी परिस्थितियां थीं, कौन सी नगरपालिकाओं की ऐसी स्थिति बन गई थी जिसके कारण यह शंका पैदा हुई और इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी कराया और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि आगे क्लॉज रखा है वह है ५ ।

'Municipal elections not liable to be challenged.'

साथ में यह भी और कर दिया । यह कहा गया कि इस आधार पर; मेरा तो मानना यह है कि राजस्थान को नगरपालिकाओं के निर्वाचन में जो कमियां धारा ३ व ४ में रह गई थीं जिनके लिए ऑर्डिनेन्स जारी किया है उसके बावजूद भी इलेक्शन पिटिशन में चैलेन्ज नहीं किया जा सकता जब तक कि result of the election has been materially affected, साबित न कर दिया जाय । मेरी स्वयं की यह राय है और अगर यह परिस्थिति कानूनन सही है तो ऑर्डिनेन्स जारी करने की कौन सी सरकमस्टान्सेज थी और साथ साथ यह लिखना कि कई नगरपालिकाओं के निर्वाचन हमेशा के लिए इन कमियों के बावजूद भी होते रहेंगे, उनको चैलेन्ज नहीं किया, आगे भी होते रहेंगे उसको भी चैलेन्ज नहीं किया जा सकता । आर्डिनेन्स को मंशा यह है कि जो इलेक्शन हो गये, गलती के कारण हो गये । उसके लिए अधिकारियों को संरक्षण के साथ साथ इन्डेम्निटी का भी सर्टिफिकेट दे दिया । ये इलेक्शन चेलेन्ज नहीं हो सकते और इस ऑर्डिनेन्स को धारा ५ इसीलिए रखो है :

"No municipal election shall be liable to be challenged on the ground of non-publication or improper publication of the electoral rolls"

यह जो उन्होंने लिखा है, म्युनिसिपल इलेक्शन की परिभाषा दी है :

'municipal election' means an election or bye-election to a municipal council or board heldor to be held..."

हो गया है, या आगे होगा; वर्षों तक होगा । इस तरह से जितने भी निर्वाचन होंगे उनमें रिटर्निंग ऑफिसर को लाइसेन्स दे दिया गया है । किसी बात की चिन्ता वे न करें । वहां वोटर्स को जानकारी हो या न हो, यहां की विधान सभा कानून बनाये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, उसके अन्तर्गत चाहे किसी प्रकार की व्यवस्था हो, इलेक्टरल रोल्स के पब्लिकेशन के बारे में व्यवस्था की गई । उसमें चाहे कुछ लिखा हुआ हो उनके सारे एक्शन्स होंगे, चाहे इलेक्टरल रोल्स की कॉपियां सारे वार्डों में रखी जायेंगी वे न रखी जायं, इसकी सरकार को जरूरत नहीं; तुम तो किसी प्रकार से इलेक्शन करा दो, उन सारी धाराओं को बलाये ताक में रख कर इलेक्शन करा दो । कोई कोर्ट में उसको चैलेन्ज नहीं कर सकता, कोई कोर्ट में जा नहीं सकता । मैं यह नहीं समझ सका कि आगे आने वाले चुनावों की दृष्टि से भी इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स को आवश्यक क्यों समझा गया । वे चाहते तो और भी तरह से इसमें अमेन्डमेन्ट ला सकते थे, इलेक्टर रोल्स का जो ड्राफ्ट निकलता है उसमें संशोधन कर सकते थे । अध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि जिन तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर ये सारी चीजें की हैं, मंत्री महोदय उन सारे तथ्यों को सदन के सामने रखेंगे ।

Page No.44

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक बात सही है। हम नहीं चाहते कि नगरपालिका के चुनावों में छोटे छोटे आधार पर चुनौती दी जाय। नगरपालिकाओं का चुनाव इलेक्टरल रोल्स के प्रोपर पब्लिकेशन न होने के कारण यह ऑर्डिनेन्स लाया गया हो इस बात से माननीय सदस्य गुमराह न हों इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह ऑर्डिनेन्स १५ जुलाई, १९६१ को जारी किया गया अगर माननीय मंत्री महोदय की सद्भावनायें थीं उस पब्लिकेशन में एक शब्द वे यह भी जोड़ सकते थे। पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टरल रोल्स, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट रह गया हो तो उस आधार पर कोई चुनावों को चेलेन्ज नहीं कर सकता। यदि चुनाव कराने की ही भावना होती तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जयपुर नगरपालिका का निर्वाचन जो १८ जुलाई १९६१ को स्थगित किया गया उसके सम्बन्ध में जो सरकार द्वारा रीजन्स दिये गये हैं उसमें यह था कि इलेक्टरल रोल्स के प्रिपेरेशन में कुछ गलतियां रह गई थीं और इसी आधार पर चुनाव स्थगित किये गये। उसमें हाई कोर्ट का सहारा लिया गया। सरकार यह चाहती है और समझती है कि इलेक्टरल रोल्स के प्रिपेरेशन की खामी को आधार बनाकर जो चुनाव रोक दिये गये थे माननीय मंत्री महोदय की यदि वास्तव में सद्भावना थी, वास्तविक रूप से वे यह चाहते कि जयपुर नगरपालिका के चुनाव हो जायें तीन साल से लगातार रुकते आ रहे हैं तो वे इसमें इलक्टरल रोल्स के प्रिपेरेशन का भी आधार कर सकते थे। इससे सद्भावना उनकी जाहिर नहीं होती है। इससे तो यह साफ जाहिर होता है कि उनके पास जिनके एप्रोच हैं उनके आधार पर वे चलते हैं, वे दबावों के आधार पर चलते हैं और उसी आधार पर आर्डिनेन्स जारी हो जाते हैं और इस तरह से इस प्रकार की परम्परा डालते जा रहे हैं कि जहां कहीं किसी प्रकार की परिस्थिति हो राज्य सरकार से, उससे लाभ उठाने से चूकती नहीं है। कहीं कुछ बहाना लिया जाता है कहीं कुछ आधार बना लिया जाता है। पिलानी के अन्दर इसी प्रकार से चुनाव होने वाले थे लेकिन सरकार वहां के चुनावों को टालना चाहती थी इसलिये नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हम पिलानी का विभाजन करना चाहते हैं। विद्याविहार को म्युनिसिपैलिटी में जोड़ना चाहते हैं, इस आधार पर वहां इलेक्शन पोस्टपोन करा दिये। इस पर वहां २६ दिन तक भूख हड़ताल चलती रही. वहां का वातावरण गरम हो गया; उस कार्य में केवल जनसंघ ही हो, यह बात नहीं। बाकी पार्टियां भी उसमें शामिल थीं। कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे। उन्होंने भी इस बात का विरोध किया कि नगरपालिका के चुनाव स्थगित हों। जहां हर राजनैतिक पार्टी विरोध करती है कांग्रेस पार्टी विरोध करती है फिर भी आप वहां पर चुनाव नहीं कराते। इसलिये नहीं कराते कि पिलानी बिड़लाजी का घर है। वे बड़े उद्योगपति हैं। राजस्थान में वे बड़े बड़े उद्योग खोलने वाले हैं। राज्य सरकार को बड़ी सहायता देने वाले हैं! कुछ पार्टी को चन्दा भी दिलवा देते हैं। वहां उनकी मर्जी के बिना कैसे हो सकता है? इसी आधार पर बिड़ला जी ने आपको १८ लाख का चन्दा कलकत्ते में करवा दिया और उसी आधार पर आपने चाहा कि पिलानी के दो टुकड़े कर दिये जायं, विद्याविहार को उसमें जोड़ दिया जाय। इस प्रकार से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना शोभा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय अभी कुछ दिनों पहले नये मिनिस्टर बने थे। पुराने डिप्टी मिनिस्टरों का प्रोमोशन भी हुआ था। उस प्रकार की पदोन्नति के समय कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की प्रसन्नता प्रकट की थी कि हमारे आजकल के स्वायत शासन मंत्री जो उस समय इस विभाग के उपमंत्री थे उनकी पद-वृद्धि की गई और उन्हें इस विभाग का मंत्री बनाया गया। हमने सोचा उनकी लियाकत को देखते हुए जो मंत्री पद का भार उन्हें दिया गया इस स्वायत शासन विभाग में बहुत कुछ सुधार करेंगे....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह प्रोमोशन योग्यता के आधार पर नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो मैं भी नहीं कहता। लेकिन आशा जरूर यह थी कि जिस प्रकार किसी को बी० ए० की डिग्री हमारी राजस्थान युनिवर्सिटी देती है उस समय वाइस चान्सलर महोदय यह कहते हैं, 'I hope, you will prove worthy of the same" इसलिए उनका प्रोमोशन हुआ, उनका मंत्री पद दिया गया; यह बिल्कुल योग्यता के आधार पर दिया गया हो, यह मैं नहीं कहता जैसे इंगलैन्ड में कहावत है....

"Now he is good for nothing except for being made a Minister."

मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये सब चीजें उनसे अलग हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस समय जब उप-मंत्रीजी का प्रोमोशन हुआ, यह लोगों ने शुभेच्छा प्रकट की थी कि हमारा स्वायत्त शासन विभाग जो उनको मिला है वे इस विभाग में शुचिता-शुद्धता लायेंगे। जहां तक स्वायत्त शासन विभाग का सवाल है, मैं समझता हूं, यह विभाग पुलिस विभाग की दृष्टि से, ट्रान्सपोर्ट के हिसाब से, इन्डस्ट्रीज के हिसाब से, माइन्स के हिसाब से लुक्रेटिव विभाग नहीं है। यह बात हो सकती है कि इस विभाग में किसी प्रकार का जरिया हो प्राप्ति का, सो बात नहीं है। यह बात जरूर है कि यह विभाग यदि जनतंत्र की भावना रखने वाले के पास हो जिसका डेमोक्रेटिक व्यू हो तो वह जनतंत्र की इस विभाग के द्वारा वास्तविक सेवा कर सकता है। स्वायत्त शासन मंत्री सही रूप में जनतंत्र की सेवा कर सकता है वह उस हालत में जब कि उनके दिये हुए अधिकारों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न करे। मुझे अध्यक्ष महोदय, बड़े भारी हृदय से कहना पड़ता है' हमारे इन मंत्री महोदय के पास जब से यह विभाग आया है तब से राजस्थान के अन्दर इनके मंत्रित्वकाल में जितनी नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित हुए हैं उतने गये चार सालों में भी नहीं हुए। छोटी छोटी बातों का आधार लेकर चुनावों को पोस्टपोन किया गया है....

श्री सम्पतराम : क्या माननीय सदस्य यह बतायेंगे, कितने म्युनिसिपल इलेक्शन्स पोस्टपोन किये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक तो आप यहां का ही ले लीजिये।

श्री सम्पतराम : यह तो आप स्वयं जानते हैं कि किस हालत में यहां के चुनाव स्थगित हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपको बताऊं; अजमेर, जयपुर, हिन्डोन, छोटी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सादड़ी बड़ी सादड़ी, इस तरह से १९ की लिस्ट तो आपने ही निकाली है ?

श्री सम्पतराम : अजमेर म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन की तो तारीख ही फिक्स नहीं हुई ?

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : आपको डर है कि चुनाव में कहीं हार न जायं, इसलिए आप चुनाव नहीं कराते।

हिन्डौन का आपने पोस्टपोन किया, छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी का किया, देवगढ़ का किया। देवगढ़ में तो एक दिन पहले किया। मीटिंग वहां हो गई, मीटिंग के भाषण तैयार हो गये और लोग देवगढ़ पहुँचे तो मालूम हुआ कि चुनाव स्थगित हो गये। आप तो एक दिन पहले पोस्टपोन करते हैं; दो-तीन दिन पहले भी नहीं करते। हो सकता है कि आपका डिप्लोमैटिक वे यही हो कि चुनावों में सब जनता के उम्मीदवारों को लड़ने दें, पैसा खर्च करने दें, वे सब जब एग्जॉस्ट हो जावेंगे तो ठीक होगा, हमारे कांग्रेस वालों के तो अनएग्जॉस्टेबल पेट्रोल की पाइप लाइन लगी हुई है कलकत्ता और बम्बई के पूंजीपतियों की, जहां से पैसा मिलता रहता है और वे एग्जॉस्ट नहीं होंगे। हमारे यहां के रामकिशोरजी सा व्यास जिला कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हैं। उनके उम्मीदवारों को पैसे की परवाह नहीं। वे भले ही लाख खरचो, दो लाख खरचो, चार लाख खरचो, इसकी चिन्ता नहीं पर नाक रह जावे। चिन्ता तो होती है उनको जिनके अनएग्जॉस्टेबल पाइप लाइन नहीं लगी है। इसलिये आपका यह तरीका हो सकता है। इलेक्शन की डेट पहले फिक्स कर दो और लोगों को खूब दौड़ धूप और खर्च करने दो; थक जाने दो और फिर दो तीन दिन रह जाते हैं तो कहते हैं चुनाव नहीं हो सकता।

और भी अध्यक्ष महोदय, आपके मन्त्रित्वकाल में ऐसी ऐसी भी नगरपालिकाएं हैं जिनकी आर्थिक हालत आपने ऐसी खोखली कर दी है कि चुनावों को कराने के लिये सौ,दो सौ रुपया खर्चने के लिये नहीं है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, ऑर्डिनेन्स के मूलभूत आधार पर नहीं बोलकर क्या यह कोई इलेक्शन स्पीच कर रहे हैं, माननीय सदस्य। ऐसी स्पीचों के लिये तो बाद में भी काफी मौका मिलेगा।

श्री अर्जुनदास : आपने ईमानदारी नहीं दिखाई इस आर्डिनेन्स के निकालने में। आर्डिनेन्स की मंशा के विपरीत काम किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि नाम बताओ, मैंने नाम बता दिये। अब आपको जोर क्यों आता है ? कुन्ती ने सूर्य को आह्वान किया, सूर्य सामने आ गया तो अब इधर-उधर क्यों होते हैं। तो जो ऑर्डिनेन्स आपने जारी किया है उसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए मैंने सदन के सामने कुछ तथ्य रक्खे हैं कि ये आर्डिनेन्स किस उद्देश्य से और किन आधारों पर जारी किये जाते हैं ? किस प्रकार के कारण अपने कोरे सेटिस्फेक्शन के लिये इसमें उल्लेख कर दिये जाते हैं। माननीय मन्त्री महोदय, मैं समझता हूँ, कि इन सारी बातों के बारे में पूरी तौर से सोच विचार कर सदन के सामने सारी परिस्थितियां रखेंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय,, मैं पूरे

Page No.47

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दावे के साथ यह कहता हूँ कि इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो शब्द इसमें लिखे, जिन परिस्थितियों से वे सब इस बात के लिये आमादा हुए हैं, वे सब पर्याप्त नहीं हैं जिनके आधार पर इस तरह का ऑर्डिनेन्स जारी किया जा सकता था। मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

हाई कोर्टों के रखकर ज्यादा समय नहीं लूंगा, साबित कर सकता हूँ कि इस प्रकार की परिस्थितियों में ऑर्डिनेन्स जारी करना अपने अधिकारों का दुरुपयोग मात्र है। जिस इरादे से यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है उसको मैं मैलाफाइडी कह सकता हूँ। मैलाफाइडी इरादों से इसे जारी किया गया है। एक दो जगह एक दो नामों के पब्लिकेशन में गलती हो गई। इसके आधार पर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर न हो जावे दुबारा चुनाव न हो जावे सारी चुनाव की मशीनरी के साथ खिलवाड़ किया गया और बराबर किया जाता है।

आज जनतन्त्र के युग में चुनावों की व्यवस्था ही सबसे ऊंची व्यवस्था है। अगर चुनावों की प्रणाली और व्यवस्था श्रेष्ठ नहीं है तो लोकतान्त्रिक प्रणाली की जड़ें खोखली रह जावेंगी। अगर इस लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत बनानी हैं तो इसके बुनियादी चुनावों की व्यवस्था में सरकार को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कभी भी नहीं करना चाहिये। अगर करेंगे तो हमारे इस जनतान्त्रिक महल की नींव को खोखली करेंगे और इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से चुनावों के बारे में यह सरकार हस्तक्षेप न करे। यह ऑर्डिनेन्स निकाल कर बड़े हल्के दर्जे की कोशिश की है। अगर चुनाव प्रणाली में कहीं कोई गलती रह गई है, कोई छोटी-मोटी अनियमितता हो गई है तो इसके लिये आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है; आप को ऑर्डिनेन्स इसके लिये जारी करना जरूरी है नहीं। अगर इलेक्शन ठीक नहीं हुआ है या कोई इल्लीगेलिटी हो गई है तो कानून में इसकी स्पष्ट व्यवस्था है। जिसको ग्रीवान्स हो वह इलेक्शन पिटीशन में जा सकता है, चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। आप इस रास्ते से लोगों को जाने दें, आप इसमें हस्तक्षेप इस तरह से न करें। मान लीजिये आपने हस्तक्षेप किया, इसके बाद भी क्या गारन्टी है आपके पास कि फिर ऐसी कोई गलती नहीं रह जायगी जिसकी बिना पर लोग इलेक्शन पिटीशन में नहीं जावेंगे। आपके अधिकार की बात नहीं है यह, यह अदालतों के अधिकार की बात है? आप अदालतों के फैसलों पर क्यों बैठते हैं। तो मैं इन सारे शब्दों के साथ माननीय मन्त्री महोदय से तो यही निवेदन करूंगा कि वे उन सारी परिस्थितियों के बारे में, सारी बातों के बारे में, आंकड़े के बारे में जिनके आधार पर ऑर्डिनेन्स जारी करने की बात है वह वे प्रस्तुत करेंगे।

इसके अलावा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सरकार पर इस तरह के काम करने में अंकुश और चैक लगाना है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस ऑर्डिनेन्स को निरस्त करने के कारण, इसे अस्वीकार करने से, डिसएप्रूव करने से कोई इल्लीगेलिटी नहीं होगी, कोई सीरियस डेन्जर नहीं होगा, पर सदन के माननीय सदस्य एक बार परिचय दें कि इस ऑर्डिनेन्स को अस्वीकार करके वे सरकार को यह सबक दे दें कि जिससे हमेशा के लिये वह इस बात के लिये मजबूर हो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जावे कि इस प्रकार से हलके तौर पर जो यदा कदा ऑर्डिनेन्स जारी कर देती है वह इस तरह से आगे से नहीं कर सके, उसकी इस प्रवृत्ति पर और हलके तौर पर ऑर्डिनेन्स जारी करने की उसकी परम्परा पर रोक लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मोशन मूव्ड। (मन्त्री महोदय से) आप अपना प्रस्ताव पेश कर दें।

श्री सम्पतराम : पहले इस पर बहस हो ले, फिर मैं कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया है, आप भी अपना प्रस्ताव रक्खें; फिर दोनों पर एक साथ बहस हो जायगी।

श्री सम्पतराम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "Rajasthan Municipal Elections(Validating) Bill, 1961' को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ये इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब भी देंगे और अपना प्रस्ताव भी मूव करेंगे। मन्त्री महोदय चाहें तो जवाब पहले दे सकते हैं, नहीं तो दोनों पर डिबेट हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या मालूम अगर वे स्पष्टीकरण पहले कर दें तो डिबेट की जरूरत ही न रहे। इसके वे पहले कुछ रीजन्स बतावें कि किन रीजन्स से इसे जारी किया गया है। यदि रीजन्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इन्टेन्शन पर हिट न करते हों तो डिबेट की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : अभी उत्तर दे दीजिये।

श्री सम्पतराम : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या २, सन् १९६१) को डिसएप्रूव करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मुझे अचानक ऐसा आभास हुआ कि इसके कानूनी मसले पर ज्यादा विधान सभा में चर्चा की जावेगी; पर जो चर्चा हुई उससे मालूम ऐसा हुआ कि राजस्थान की सारी म्यूनिसिपैलिटियों का विश्लेषण हुआ, कहां क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ और ईमानदारी की बात तो यह है कि जिनके चुनाव पोस्टपोन हुए उनके नाम उनको याद नहीं थे। बगल में ही बैठे थे (जो) उनसे नाम पूछ रहे थे। इसके बाद कुछ नाम बताये गये। सदन को मालूम हुआ तो एक बात थी....

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : On a point of information, Sir, I looked into my papers just now. If this Validating Bill replaces an Ordinance, then the Government should have supplied the reasons for issuing the Ordinance and I do not know whether the members have got those reasons or not. This is an essential preliminary, which should have been complied with and if the reasons have not been circulated there is no point in giving them verbally to the House.

Page No.49

श्री सम्पतराम : मेरे ख्याल से रीजन्स सदन को मेज पर रख दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : I am told, when the Ordinance was laid on the Table of the House the Reasons for the same were also placed along with them.

श्री श्रीभानसिंह : Whether those Reasons were circulated to the Members ?

श्री अध्यक्ष : It is not necessary to circulate. They were laid on the Table of the House.

श्री श्रीभानसिंह : In all the Ordinances, which come in the form of Bill before the House, we always get Reasons for issuing that Ordinance. But in this case we haven't got. I have not got them and so many other members too have not got them. They should have been circulated beforehand.

श्री अध्यक्ष : The Rules say that they should be laid on the Table of the House along with the Reasons for issuing the Ordinance. This practice we have been following and the Reasons are of few lines saying why it was necessary to issue the Ordinance.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I draw your attention to Rule 63, which reads as under :

> "(1) Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance"

It does not speak for laying the statement on the Table of the House but before the House. That necessarily means that a copy of the statement, which has been placed before the House by the Minister should be circulated to the members for information; otherwise there is no sense in it.

श्री श्रीभानसिंह : This practice has been followed in every case. Now we had got the Excise Ordinance, we got Reasons; but, in this case, we have not the same.

श्री अध्यक्ष : I will look into the matter why it has not been done in this case, but I do not think we can hold up the debate.

श्री श्रीभानसिंह : This is a very vital question. If circumstances are not intimated to the members, I am afraid, the Bill cannot be taken up.

श्री अध्यक्ष : I do not think it was incumbent under the Rules that the Reasons should have been circulated. Before the debate could take place they ought to be placed before the House and this was duly done under the Rules.

श्री श्रीभानसिंह : Whether 'before

(श्री श्रीमानसिंह)

the House' means 'on the Table of the House'?

श्री अध्यक्ष : 'Before the House' and 'On the Table of the House' mean same thing.

श्री श्रीमानसिंह : Our Rules of Procedure say that on being placed on the Table of the House they should have been circulated and even if the Rules of Procedure are not clear, this practice must be followed by all the Departments and all the Ministers, so that Hon'ble members could know the circumstances for issung Ordinance. In this case I have not got them and so also many other members. Probably they were not issued.

श्री अध्यक्ष : That is why I am telling the Hon'ble member that I will see why the statement was not circulated in this case.

But there is nothing irregular. There is nothing incumbent in the rules that it should be laid on the Table of the House or it should be followed by circulation. I do not think, that interpretation is correct and, therefore, we need not hold up the debate. We can proceed on with the debate. Yes, Hon. Minister.

श्री श्रीमानसिंह : I do not intend to challenge your honour's ruling, but if the intention was to lay it on the 'Table of the House', then this expression 'before the House' would not have been used. The word 'Table' is there in the Rules of Procedure, but since that word has not been used in this specific rule but 'before the House' I think, that presupposes its circulation to all the Hon. membere.

श्री अध्यक्ष : Whether the expression used is 'Table of the House' or 'before the House'. I feel that the meaning would not make it incumbent to circulate it to members The House has been informed. It is the property of the House. Hon. members are at liberty consult the Reasons and I do to not think it is involved ipso facto that they must be circulated along with being placed before the House.

श्री अर्जुनदास Sub-rule (2) also...

श्री अध्यक्ष : They are almost identical terms,

श्री श्रीमानसिंह : In one, 'Table of the House' is used and in the other 'before the House,' is used. It is the words 'before the House', which mean that everything could be placed before the House.

(१ म० प०)

When the rule is ambiguous in that cass we have to look into the convention. Convention that has been followed uptil now here is that the Hon'ble members have been getting it. We have been getting it with other bills. In the case of ambiguity, convention should be followed in this House.

श्री अध्यक्ष : That is how I started

Page No.51

(श्री अध्यक्ष)

agreeing with the Hon'ble member that it has not been circulated. But that need not be debated at this stage.

श्री श्रीभानसिंह : But can a date continue when the Hon'ble members are not aware of it.

श्री अध्यक्ष : Let him continue.

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह : वे जो रीजन्स दिये हैं उनको एक बार पढ़कर सुना दें और फिर डिबेट स्टार्ट करें।

श्री सम्पतराम : इसको आवश्यकता नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : आवश्यकता यों है कि whatever the Hon'ble member from Jansangh has said I don't support that but you suppose कि कितनी म्युनिसिपेलिटियों का इलेक्शन सस्पेन्ड किया है। If this would have been given to us we would have been conscious...

श्री अध्यक्ष : तो आपको क्वेश्चन भ करने को जरूरत पड़ती। Yes, that may be read before the House.

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का प्रस्ताव विस्तारपूर्वक सदन में सुनने के बाद साधारणतया सभी माननीय सदस्यों के दिमाग पर यह असर पड़ा होगा कि इस आर्डिनेन्स की मूल बातों पर कुछ कम कहा गया। लेकिन राजस्थान की सारी म्युनिसिपेलिटीज की समस्याओं को यहां पर रखा गया। जहां तक आॅर्डिनेन्स के जारी करने का जस्टीफिकेशन है या नहीं, उस पर आने से पहले मैं कुछ उन बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूँ कि जिनका माननीय सदस्य ने अभी जिक्र किया। पोस्टपोनमेंट के सम्बन्ध में यदि मैं सही हूँ और सही तरीके से मेरा कयास है तो मैं बताऊं कि माननीय सदस्य को स्वयं को पता नहीं था कि कितनी म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव अब तक रुके किये गये। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो नजदीक बैठे थे उनके द्वारा उनको कुछ सूचना मिली जिसके आधार पर उन्होंने यहां कुछ कहा। पिछले अधिवेशन के बाद जब कि सरकार ने यह स्पष्ट विश्वास दिलाया था सदन को नये कानून के आने के बाद राजस्थान की जितनी भी नगरपालिकाओं के चुनाव ड्यू हैं उन सबको जितना जल्दी हो सकेगा कराया जायेगा। इस बात की भी कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ क्योंकि सदन का प्रत्येक सदस्य अखबार भी पढ़ता है, अपने इलाके के चुनाव हुए उनको भी देखता है और सब कुछ उनके सामने है तो जितने चुनाव किये जाने थे वे किये थे....

श्री अर्जुनदास : कब किये गये? अजमेर का नहीं हुआ।

श्री सम्पतराम : राज्य सरकार ने इस प्रकार ...

श्री अर्जुनदास : सही नहीं कहते हैं, मैं मौजूद हूँ यहीं।

श्री सम्पतराम : राज्य सरकार से इस

(श्री सम्पतराम)

प्रकार की आज्ञा जारी की गई कि किसी भी नगरपालिका का चुनाव तब तक स्थगित नहीं हो सकता जब तक कि राज्य सरकार से परामर्श नहीं कर लिया जाये और न ही स्थगित किये जायें। उसको बहुत मजबूती के साथ निभाया गया। हो सकता है हाईकोर्ट के किसी डिसीजन की वजह से ऐसी गलती सामने आई हो जिसकी वजह से आगे चलकर सारे के सारे चुनाव अवैधानिक घोषित होने वाले हों, मैं इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार ने कुछ आदेश जारी किये। उनियारा के सम्बन्ध में मुझे अच्छी तरह पता है कि ७ दिन का नोटिस होना चाहिए था। उसमें क्लियर ७ दिन आना चाहिए था उसमें नोटिस ठीक तरह से नहीं था और मैंने स्वयं ने उसका स्टे किया था। इसी प्रकार से और बहुत से हाईकोर्ट के डिसीजन हुए उनकी कनफरमिटी के कारण ऐसी बातें नजर आई जो कि गैरकानूनी होने को थीं तो चुनाव रुक गये और वे चुनाव बाद में कराये गये। अब जयपुर नगरपालिका के सम्बन्ध में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना हैं क्योंकि यहां के अखबारों में, हाईकोर्ट के द्वारा और यहां के विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इसके बारे में काफी चर्चा की हैं। इसमें सरकार की कितनी नियत थी कितनी नहीं थी चुनाव कराने के बारे में, इसके ऊपर मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। जिस समय चुनाव किये जा रहे थे कई तरफ से यह आवाज आती थी कि जयपुर में रिटर्निंग आफिसर का अपौइन्टमेंट पहले हो गया था, वार्ड गलत तरीके से बनाये गये थे, वार्ड्स के ऊपर जो आब्जेक्शन इनवाइट किये गये वे गलत थे। माननीय सदस्य जिस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके भी किसी माननीय सदस्य से बात हुई तो मैंने स्पष्ट कहा था कि सरकार को जो कुछ कदम उठाने चाहिए थे इसकी लोगेलिटी कहां तक ठीक है, कहां तक ठीक नहीं है वह कदम सरकार ने उठाये और उसको उच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी। अब अगर कोई ऑब्जेक्शन्स हाइकोर्ट ने दिये हैं और उसके आधार पर किसी भी सीट का इलेक्शन इधर या उधर होने की गुंजाइश होती है तो फिर सरकार का कर्तव्य होता है कि उनका रेक्टिफिकेशन करके इलेक्शन करवाये और वही सरकार ने किया। आप कहते हैं कि मेटीरियली इफेक्ट है, लेकिन इतने पहले ही इलेक्शन की धूमधाम मचती रही वह माननीय सदस्य इसको ठीक मानते हों लेकिन राज्य सरकार ने इसको ठीक नहीं माना है। एक ही साथ चुनाव कराने चाहिये और जिस दिन तारीख रखी थी उस दिन भी यह कहा जा रहा था कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, उसी दिन नोटीफिकेशन निकाला था। तो जहां तक यह कहना है कि चुनाव नहीं कराने की मन्शा नहीं भी रही है तो यह बात गलत है और इसको मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्यों को मानना चाहिए कि इसमें कहीं अत्युक्ति या गलत बात नहीं है।

पिलानी का जहां तक संबध है इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। पिलानी का केस बिल्कुल अलग है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। पिलानी राजस्थान का ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र हैं। वहां पर इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पर हम अपने आगे आने वाले इन्सानों का निर्माण करते

(श्री सम्पतराम)

हैं, इन्जीनियर बनाते हैं और दूसरे क्षेत्रों में योग्य नागरिक बनाकर निकालते हैं। जहां तक संभव है मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य स्वयं भी इस बात से सहमत होंगे कि हम अपनी आनेवाली भावी संतान को जब तक वे अपने अध्ययनकाल में चलते हैं इस प्रकार के राजनैतिक अखाड़ो से दूर रखें, और इसी ख्याल से विद्याविहार नाम को म्युनिसिपैलिटी का निर्माण हुआ, वहां पर कोई दुकानें नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की बात नहीं है। जो ट्रस्ट उन शिक्षण संस्थाओं का संचालन करता है वही सड़क निर्माण करता है, पानी व्यवस्था उसी के जरिये से होती है, इरिगेशन की व्यवस्था भी उसी के जरिये होती हैं, सबका इन्तजाम उसके जरिये होता हैं। उसको देखते हुए कुछ शिक्षण संस्थाओं को मिलाने के बाद वहां पर नागरिकों या दूसरे लोगों में यह भावना पैदा हुई कि वह नहीं मिलना चाहिए तो उसके बारे में साफ बात थी कि एजीटेशन के जरिये या कोई अन्य प्रदर्शन द्वारा जनता की भावना को सरकार के सामने रखना चाहिए। यही एक प्रजातान्त्रिक तरीका है, उसका आधार लेना चाहिए लेकिन गवर्नमेन्ट को फोर्स किया जाय कि हम भूख हड़ताल करेंगे; आप यह करिये, नहीं तो हम मरते हैं, यह बात बिल्कुल गलत थी। वे मुझसे भी मिले थे। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्शन इनवाइट किये गये हैं। ऑब्जेक्शन्स आने के बाद में सरकार एक स्वतन्त्र दृष्टिकोण से और जिस उद्देश्य से नगरपालिका का क्लाईफिकेशन किया गया था और उन्हीं वस्तुओं के आधार पर ऐसे ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये गये हैं तो उनका निर्णय किया जायगा। सारा एक्जामिनेशन में है इसलिए मुझे कुछ विशेष कहना नहीं है। यहां एक स्टेज मिलती है हरेक माननीय सदस्य को बोलने की, कोई पहेली होती है। पिलानी का सवाल आ गया और जयपुर के सवाल पर इस बात का बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : On a point of information sir. अभी जो माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है उससे ऐसा लगता है कि आज से तीन दिन पहले राजस्थान कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष ने वहां पर हड़तालियों को आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्य मंत्री ने उनको कहा है कि पिलानी का क्लाइफिकेशन नहीं होगा। क्या यह आश्वासन उन्होंने स्वयं दिया है या सरकार ने इस प्रकार का निर्णय किया है, उस निर्णय को गलत ढ़ग से पब्लिक के सामने रखा है।

श्री सम्पतराम : इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और न इस प्रकार से कांग्रेस के किसी बहुत बड़े नेता या कार्यकर्ता ने इस प्रकार की बात कही है। जो भी संशोधन के प्रस्ताव या एमेंडमेंट्स आवेंगे उन पर न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से विचार किया जायगा, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा।

तो यह कुछ मौका मिलता है तो कह देते हैं जयपुर के बारे में कि नगर की व्यवस्था ठीक नहीं है, दूसरी नगरपालिकाओं का काम ठीक नहीं है क्योंकि चुने हुए नुमाइन्दे हैं और बहुत से माननीय सदस्य उधर बैठे हुए किसी न किसी नगरपालिका के पदाधिकारी रहे होंगे या आगे चलकर रहेंगे, यह हमारी सब की जिम्मेदारी है; लेकिन मेरे आने के बाद में कोई इस प्रकार की आज्ञा जारी कर दी गई हो जिससे कि कामकाज में दिक्कत पैदा हुई

(श्री सम्पतराम)

हो या मैंने उनके ठीक तरह से संचालित होने में सहयोग नहीं दिया है तो वह बात जरूर आब्जेक्शनेबल हो सकती है। मैंने कार्य किस प्रकार से किया है वह माननीय सदस्यों को जानकारी है। अगर उसमें कुछ कमी है तो वे बतायें, मैं उसको ठीक करने के लिए तैयार हूँ और तैयार रहूँगा; लेकिन कम्प्लीटली यह चीज मानकर चलना कि सारे का सारा अगला पीछा प्रबन्ध था, वह बहुत खराब हो गया है, यह बात गलत है। यह कभी नहीं होता है और न आज तक कभी हुआ है। अगर यह मान कर चलते हैं तो मुझे कयास होता है कि वे सत्यता के परे राजनैतिक पहलू में फंसे हुए हैं। उसे लेकर सदन में आया करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहूं कि मैंने जितना ठीक हो सका उतना करने की कोशिश की है।

यह बात भी उन्होंने कही। इलेक्शन के बारे में मौका आयेगा तो दूसरे रेफरेंस में बताऊंगा कि कितने इलेक्शन हुए और कितने स्टे किये गये और कितने बाकी रहे। आज इस बिल का जो मूल उद्देश्य है जिसके आधार पर माननीय सदस्यों के सामने पेश किया जा रहा है उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहां म्युनिसिपल एक्ट की धारा १६ के सबसेक्शन (२) में यह व्यवस्था है कि जिस समय वोटर लिस्ट बनाई जाय तो विधान सभा की जो बिल्कुल तैयार की गई वोटर लिस्ट है उस वोटर्स लिस्ट को एडॉप्ट कर लिया जाय। उसको एडॉप्ट करने के बाद में किसी भी नगरपालिका के जितने वार्ड्स होते हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं। विभाजन करने के बाद उनका दो-तीन जगह पर पब्लिकेशन होता है। म्युनिसिपैलिटी के दफतर में होता है, कलेक्टर के यहां होता है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह का पब्लिकेशन किया जाय कि आम लोग जो कि वहां के रहने वाले हैं सबको मालूम हो जाय। तो यह जो वोटर्स लिस्ट है उस वोटर्स लिस्ट में बराबर परिवर्तन करने के बाद वह वोटर्स लिस्ट हमेशा तैयार होती रहती है। उस पर आब्जेक्शन इन्वाइट किये जाते हैं। उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम अमुक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने की बात है या एक वार्ड निकालने की बात है या वह वहां रहता ही नहीं है। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना-पत्र पेश करने पर वह जो अधिकारी उसका इन्चार्ज होता है उसको ठीक कर सकता है। जयपुर की म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के बारे में यही बात हुई थी कि वोटर्स लिस्ट को ठीक किया गया। वोटर्स लिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह मिलाई गई। यह भी ठीक है कि जिस व्यक्ति विशेष का नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में किया गया उसका व्यक्तिगत रूप से प्रार्थनापत्र नहीं लिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि छोटी सी बात के लिये मान लें कि नाम भेजा नहीं, यह जो वजूहात इसमें दी है वह बिल्कुल विपरीत है कि पब्लिकेशन किया गया है। सब्स्टेन्टिव प्रोविजन के आधार पर कम्पलीट एक तरह से देखा गया है और उसके देखने के बाद अगर वोटर्स लिस्ट में कुछ पब्लीकेशन हो गया और सब्स्टेन्टिव प्रोवीजन ऑफ दी एक्ट है उसका ठीक तरह से पालन हो गया और किसी छोटी-मोटी बात पर, मेरी बात तो पहले ही उन्होंने ले ली थी, वह तो उनके दिमाग में पहले ही थी। माननीय सदस्य पहले ही प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि माननीय मंत्रीजी यह बात कहेंगे। यह बात तो ठीक है कि नॉर्मल माइन्ड हमेशा

(श्री सम्पतराम)

नोर्मल बात कहेगा। अगर नोर्मल थिंकिंग की तरह से सोचते हैं तो सोचना और समझना मिलना ही चाहिए। मैंने पहले ही कयास करके यह कहा कि इस प्रकार की छोटी मोटी बातों को किसी भी कानून विशेष के सब्सटेन्टिव प्रोविजन के विरुद्ध में पड़ती हो और जिसकी वजह से सारी की सारी नगरपालिका के फिर इलेक्शन हों। इलेक्शन में जितनी धूमधाम होती रहती है, जो खर्चा होता है, जो एनर्जी खर्च होती है, नागरिकों पर गलत तरह का इम्प्रेशन पड़े उसको रोकने के लिए सरकार को जो वाजिब स्टेप हो वह लेना चाहिए और उसी बात को लेकर इसमें संशोधन किया है। कई जगह ऐसा हुआ है कि इलेक्शन की तारीखें तय की गईं, रिटर्निंग ऑफिसर का अपोइन्टमेंट किया गया। वह गजट में भेज दिया गया। किन्हीं कारणों की वजह से पहले निकल गया और जहां रूल्स में था वहां नहीं निकला या एक साथ निकल गया या वहां के रहने वाले लोगों को मालूम नहीं हो सका। एक उदाहरण के लिए बताऊं कि बाड़मेर के लोगों को पता है कि सब कुछ काम कर रहे हैं ठीक तौर से, लेकिन एक छुंटे से नोटिफिकेशन की वजह से सारे के सारे चुनाव दुबारा हों, पब्लिक के धन का दुरुपयोग हो, लोगों की शक्ति नाजायज तरीके से खर्च हो और इलेक्शन का वातावरण सही बनना चाहिए वह सही नहीं बने तो ऐसे वातावरण को बनाने के लिए जो वैधानिक प्रतिबन्ध दिये गये हैं देश की पार्लियामेंट, कॉन्स्टीट्यूशन या विधान सभाओं द्वारा उसके आधार पर काम कर रहे हैं या नहीं; यही इसमें किया गया है। इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, पार्टी विशेष का सवाल कोई नहीं है। यह नहीं लिखा है कि फलां पार्टी के मेम्बर होंगे तो उस पर लागू होगा। यह मामूली तरह की इस प्रकार की दिक्कतें हैं कि कानून के सब्स्टेन्टिव प्रोविजन के मुताबिक तो है लेकिन एक छोटी सी बात के लिए इलेक्शन सेट-असाइड हो, इसलिए ऑर्डीनेन्स जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस सस्पेन्शन को ठीक नहीं माना क्योंकि इसमें इन्टरप्रिटेशन का और ख्याल का सवाल होता है। हम हाई कोर्ट में देखते हैं और दूसरी कोर्टों में देखते हैं कि एक कोर्ट ने एक इन्टरप्रिटेशन लिया है दूसरी कोर्ट ने दूसरा इन्टरप्रिटेशन लिया है। सरकार के बहुत से काम होते हैं उसकी उस तरफ से तारीफ होती है और कितनी ही आलोचना होती है और किसी नुक्ते नजर से होता है यह गलत बात है। लेकिन सरकार ने ठीक समझा है कि छोटी-मोटी बातों को रेक्टिफाइ किया जाय और ऐसा मौका न दिया जाय जिससे नाजायज तरीके से लोगों को परेशानी हो। मुझे विशेष कुछ कहना नहीं है। जहां तक इलेक्शन स्टे करने की बात है, मैं लिस्ट दूंगा कि किन किन कारणों से हुआ लेकिन फिर भी यह कहता हूँ कि राजनैतिक कारणों से एक भी चुनाव नहीं रोका गया।

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश के कारण आपके पास हैं उनको पढ़ दें।

श्री सम्पतराम : Certain Municipal elections held in the State of Rajasthan run the risk of being declared invalid due to certain omissions or defects of form or procedure in the publication of municipal electoral rolls as a step preliminary thereto. These omissions and defects have to be regularised by means of a validating measure.

(श्री सम्पतराम)

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not then in Session and the matter was urgent, the Rajasthan Municipal Elections' Validating Ordinance, 1961 was promulgated.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अभी तक समझ में नहीं आया कि ऑर्डिनेन्स इश्यु करने के लिये अर्जेन्सी बताई है वह कौनसी नगरपालिका थी जिसके इलेक्शन करा दिये गये या कौन कौनसी रिट्स थीं जिनके स्वीकार होने के भय से इसे जारी किया गया। कम से कम कोई तो कारण होगा जो गवर्नमेंट के नोटिस में आया जिसकी वजह से ऑर्डिनेन्स इश्यु किया गया।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : पहले इसका जवाब तो आ जाय।

श्री अध्यक्ष : जवाब भी आ जायगा।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्रीजी ने जो कुछ कहा वह तो प्रिएम्बल में है, उसके बाद में यह क्लेरिफिकेशन कर दें कि कौन सी इर्रेगुलेरिटी या रिट उनके नोटिस में आई जिससे उन्होंने यह सोचा कि ऑर्डिनेन्स जारी नहीं किया तो अमुक अमुक दिक्कत आयेगी और फिर इलेक्शन होगा।

श्री अध्यक्ष : कोई निश्चित है क्या ? आप बता सकते हैं ?

श्री सम्पतराम : कुछ के नाम मैं बता सकता हूँ पाली, आबूरोड और एक दो म्युनिसिपेलिटीज कोटा डिविजन की हैं। मुझे निश्चित याद नहीं है। एक-दो जोधपुर की भी है, उनके नाम बता दूंगा। I don't remember them at this time. आबूरोड, किशनगढ़, पाली उन तीनों के नाम मुझे याद हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान म्युनिसिपल इलेक्शन बिल हमारे सामने पेश हुआ और इस ऑर्डिनेन्स पर कई बातें कही गई, मैं यह समझता था, किसी चीज को यदि राजनैतिक स्टन्ट बना दें तो...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, सदन में ऐसी परम्परा है कि किसी भी विधेयक का सम्बन्ध किसी माननीय सदस्य से हो या वे इसमें इन्ट्रेस्टेड हों तो उन माननीय सदस्य को उस पर न बोलने दिया जाय। अभी माननीय मन्त्रीजी ने यह कहा था कि पाली और आबूरोड म्युनिसिपेलिटी में चक्कर था इसलिये अध्यादेश जारी किया गया था। माननीय सदस्य पाली नगरपालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और इसमें उनका हित है; इसलिये मैं समझता हूँ उनको बोलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिये। यह सदन की परम्परा है। अध्यक्ष महोदय, उनको बोलने का आदेश न दें क्योंकि उनका हित है; इसलिये उनको बोलने में कठिनाई भी होगी।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): There is no personal interest.

श्री मूलचन्द डागा : इसमें मेरे हित अहित की कोई बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहीं इलेक्शन सैट असाइड हो गया तो अध्यक्ष

(प्रो सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं रह सकेंगे और आगे टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.) : ये तो एम. एल. ए. हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ये सदन में इधर-उधर घूमते रहते हैं; इनको अपने स्थान पर बैठाया जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह बीच में अड़चन पैदा की गई और इसलिये की गई कि सही बात को हाउस के सामने आने से छिपाया जाय । सवाल यह नहीं है कि पाली म्युनिसिपैलिटी या आबूरोड म्युनिसिपैलिटी या किशनगढ़ म्युनिसिपैलिटी से ही संबंधित हो । सवाल हमारे सामने यह है कि स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं, जो संस्थाएं चलती हैं उनके जो चुनाव होते हैं उन चुनावों के समय जो इर्रेगुलेरिटीज रह जाती हैं वे किस कारण से रह जाती हैं. यह जानना चाहिये । कुछ कारण ये हैं कि जब लेजिस्लेशन नया बनता है, कानून बनता है और उसकी जो भाषा होती है उसके इन्टरप्रिटेशन का सवाल होता है । एक व्यक्ति विशेष भाषा का एक अर्थ निकाल सकता है और दूसरा किसी दूसरी प्रकार से निकाल सकता है और इस कारण से कभी कभी यह होता है कि जो स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको हजारों रुपये या बड़ी रकम के नीचे आना पड़ता है; वे खर्चा करते हैं, चुनाव होता है, नियमानुसार चुनाव होता है । लेकिन भाषा का अर्थ निकालने का सवाल होता है, अलग-अलग अर्थ निकालने के कारण ऑर्डिनेन्स जारी होता है । मैं उदाहरण देता हूँ कि जब पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव हो रहे थे उस समय एक सवाल उठाया गया कि गांवों में ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की जो सूचियें प्रकाशित की गई वे एस.डी. ओ. द्वारा प्रकाशित की गई और जगह जगह मतदाता सूचियां केवल एस डी. ओ. ने ही प्रकाशित कर दीं । इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पेश की गई । कानून में लिखा है कि कलेक्टर को अधिकार है और वही प्रकाशित करा सकता है, एस. डी. ओ. नहीं करा सकता । लेकिन हमारे यहां के विभाग द्वारा यह ऑर्डर निकाला जा चुका था कि कलेक्टर एस. डी. ओ. को पॉवर डेलिगेट कर सकता है । इस हालत को चुनौती दी जा सकती थी, लाखों रुपये खर्च होते, वापिस चुनाव होते । लेकिन ज्यों ही यह ऑर्डर निकला कि यदि किसी एस. डी. ओ. ने मतदाता सूची निकाली है तो वह ठीक मानी जायगी । सवाल यह नहीं है कि पाली में रोका गया या आबू में रोका गया लेकिन सवाल यह है कि कभी कभी कानून का क्या अर्थ लेते हैं और क्या अर्थ होता है । मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के कानून को चैलेन्ज देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ न उनको चुनौती देता हूँ । मेरा सवाल तो यह है कि यह कानून के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है । आप क्या चाहते हैं ? ऑर्डिनेन्स है क्या ? ऑर्डिनेन्स वह चीज है जो लाखों आदमियों की इच्छाओं को कानूनी रूप देता है । लाखों आदमियों की इच्छाओं को कानूनी रूप देने के लिए ही ऑर्डिनेन्स निकाला गया । इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स निकाला जाना चाहिए ताकि किसी को मिस-अण्डरस्टेन्डिंग न हो ।

आप अपने ही तरीके से बात बना लेते

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं। सेक्सन २१३ में कहीं नहीं है कि ग्रेव सरकमसटान्सेज हों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टान्सेज हों तो ऑर्डिनेन्स निकाला जाय। इस आर्टिकल की लैंग्वेज है, जो भाषा है उसमें कहीं नहीं है। इसमें दो-चार बातें आपने कहीं ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टान्सेज होने चाहिए, ग्रेव और सीरियस होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। सेक्शन २१३ कहती है :

"If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist......"

मेरी समझ में कहीं ऐसी बात नहीं लिखी हैं कि उसके लिए ग्रेव सर्कमस्टान्सेज हों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टान्सेज हों; ये वर्ड्स कहीं नहीं हैं। उन्होंने यह एड कर दिया कि Ordinance under this Article can only be issued when the Governor is satisfied. Satisfaction of the Governor about the necessity of the immediate action and of passing an Ordinance is purely a subjective satisfaction.

आपको ये रीजन्स देने की जरूरत नहीं थी कि ऑर्डिनेन्स में इस प्रकार के ग्रेव और सीरियस सर्कमस्टान्सेज थे। आप शब्द जैसे भी बनायें, कुछ भी कह सकते हैं। सवाल यह है कि गवर्नर वाज सेटिस्फाइड और उन्हें सेटिस्फेक्शन है वह सब्जेक्टिव है, उसके लिये जरूरी नहीं है कि यह बतावें कि मैं इसलिए सेटिस्फाइड हुआ हूँ।

म्युनिसिपल इलेक्टरल रोल पब्लिश हुईं, रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में टांग दी गई। मतदाताओं की सूची कलेक्टर के कार्यालय में टांग दी गईं और टाउन की कई कॉन्स्टीच्यूअन्स प्लेसेज पर चस्पा कर दी गई जिससे वहां जाकर मतदाता, मतदाता-सूची को देख लें। एक बात यह हो गई, दोनों सूची हर वार्ड में लगा देनी चाहिए। एक रास्ता ऐसा निकल गया। मान लिया जाय कि हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, यह इस बात पर दिया कि आपकी मंशा है कि हर वार्ड में सूची नहीं लगाई गई, इसलिए चुनाव को सेट असाइड करते हैं। सवाल यह था, 'इन दी मेनर प्रेसक्राइब्ड'। जो सेक्शन आपने पास किया है, राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में सेक्शन है, उसमें यह बात लिखी हुई है 'इन दी मेनर प्रेसक्राइब्ड'। सेक्शन १६ है, वह यह है:

"rolatable to the area comprised in a ward shall be apopted and published in the manner prescribed."

अब 'in the manner prescribed', में, रिटर्निंग ऑफिसर, जिसे कलेक्टर पॉवर डेलीगेट करता है, ने यह किया मैं ठीक समझता हूँ; रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में मतदाताओं की सूची लगानी चाहिए, कलेक्टर के कार्यालय में सूची लगानी चाहिए, टाउन की कॉन्स्टीच्यूअन्स प्लेसेज में मतदाता सूची लगानी चाहिए, वहां जाकर मतदाता देख लें और अगर उसमें कोई इर्रेगुलेरिटी मालूम हो तो उसे सेट असाइड कर दिया जाय। इसमें कौनसी बहुत बड़ी बात होगई, कौनसा मतदाताओं के अधिकारों पर कुठाराघात कर दिया? मैं समझता हूँ कि चुनाव के मैदान में जो आद मी

Page No.59

(श्री मूलचन्द डागा)

हार जाता है, वह हार के कारण में आश्रय ढूंढता है। दरअसल में जो आदमी मैदान में जो लड़ाई होती है, दंगल होता है, जिसकी पार्टी पिट जाती है, तो उसके लिए एक रास्ता रहता है और वह रहता है हाईकोर्ट में जाकर सिर फोड़े, आश्रय ले जाकर ला कोर्ट में। मैदान में पिछड़ने वाला आदमी इस बात का बवंडर मचाता है और वह जो कुछ बवंडर मचाता है उसके लिए उसको मालूम है कि इस बात से लाभ होने वाला नहीं है। लिस्ट की बात है, यह हर एक आदमी जानता है कि लिस्ट शाया हो गई, पब्लिश हो गई। एक बात यह निकली आर्डीनेन्स में। दूसरी बात यह निकाली गई है।

"defect of form or procedure in the publication of the municipal electoral rolls"

अब आप इसमें कह रहे थे कि बड़ी ग्रेव सिचुएशन है। मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन १९ में है, 'इन दी मेनर प्रेस्क्राइब्ड'। इससे समझते हैं कि सूची इस तरह से निकाली जाती है जो इन दी मेनर प्रेस्क्राइब्ड हो। हम समझते हैं कि गजट में निकालना जरूरी है। पब्लिसिटी किस तरह से उसकी हो सकती है। उसकी पब्लिसिटी का मेनर है, वह तीन तरह से हो सकता है, एक तो पब्लिसिटी दी जाय गजट में, दूसरा बाई बीट आफ ड्रम, ड्रम बजाये जायं शहर में। हम कहते हैं हर नगरपालिका में पूरी पब्लिसिटी हो जाय, हर वार्ड में नोटिस लगा दिये जायं। आप कहते हैं, नहीं साहब, पब्लिसिटी पूरी नहीं हुई। अब पब्लिसिटी कम हुई है, यह कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वे देखें। आप इस बात को लाकर ऑर्डीनेन्स को चेलेंज कर रहे हैं, संकल्प लाया जा रहा है। आप यह बताते कि हजार आदमी रह गये, मतदाताओं की सूची में आने से ये लोग वंचित रह गये। उसका भी जवाब नहीं, सवाल यह नहीं है साहब। सवाल ऑर्डिनेन्स को चैलेंज करने का नहीं है। सवाल है, हमारा कोई दर्द है, उसको निकालने का तरीका चाहिए। अच्छा है, इससे मौका मिलता है। हम कोई बात और कभी नहीं कह सकते हैं, तो इन मौकों पर कह सकते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको आप गलत समझते हैं क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझ रहा हूँ। आपको कहना चाहिए कि मतदाताओं की सूची में आने से इतने मतदाता उस कारण से वंचित रह गये; पाली में, आबू में, किशनगढ़ में, और और म्युनीसिपेलिटीज में। इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश होने के बाद दरअसल में क्या किया, असेम्बली के जो इलेक्टोरल रोल्स थे उनको अपना लिया। उनको अपनाने के बाद नोटिस दिया। जिस किसी आदमी को ऐतराज हो उसके लिए नियम बनाये हैं, वे नियम डेलीगेट हुए म्युनिसिपेलिटीज को, उसके अन्तर्गत रिटर्निंग ऑफिसर नोटिस निकाले कि किसी मतदाता को एतराज हो तो अपना नाम मतदाताओं की सूची में दस दिन में लिखाये, पांच दिन में लिखा ले, सात दिन में लिखा ले। उसके बाद कहा कि गजट में शाया नहीं हुआ; मैं लन्दन में था, विलायत में था इसलिए चुनाव में नहीं आ सका। मैं समझता हूँ कि सारी की सारी बातें मामूली इन्टरप्रिटेशन की हैं, 'इन दी मेनर प्रेस्क्राइब्ड'। अगर हाई कोर्ट किसी इलेक्शन को सेट असाइड कर देती है, जैसा हर बार हुआ है, पाली म्युनि-

(श्री मूलचन्द डागा)

सिपैलिटीज के साथ हुआ है। क्या होता ? यह होता है कि ये संस्थायें जिनकी आर्थिक हालत, जैसा आप कहते हैं, गिरी हुई है। हजारों रुपया चुनाव में खर्चा होता है और चुनाव कई दिनों तक चलते हैं। जो स्वायत्त शासन संस्था या नगरपालिका इन इलेक्शन्स को चलाती हैं, उन संस्थाओं को इस प्रकार के छोटे मोटे इन्टरप्रिटेशन के कारण नुकसान हो जाता है। उसका कारण यह था।

दूसरी आर्डिनेन्स में बात क्या थी, रिटर्निंग आफिसर की। सेक्शन में यह है कि हम यह शाया करें, गवर्नमेंट साया करे कि यह रिटर्निंग ऑफिसर होगा। अब उसके बाबत में है कि कलेक्टर से ऑर्डर लेकर वह उनके पास जाता है। उसके बाद जो कॉन्सीक्यूअस प्लेसेज होती है, जिस टाउन में चुनाव होता है, दरअसल में यह बात सही है, जहां चुनाव होने चाहिए, वहां यह पब्लिसिटी होनी चाहिए कि कौन रिटर्निंग ऑफिसर है। इस प्रकार की वाइड पब्लिसिटी होगी कि मिस्टर सो एण्ड सो विल बी अपोइन्टेड एज रिटर्निंग ऑफिसर और हर एक आदमी यह जानता है कि रिटर्निंग ऑफिसर हमारी म्युनिसिपैलिटी का यह है। लेकिन आप कहते हैं कि नोटीफिकेशन नहीं निकला गजट में; कुछ कलेक्टर ने ऐसा काम कर दिया। गजट में अगर उस दिन निकला गया तो कहते हैं, यह प्रोपर नहीं हुआ, इससे मेटीरियल इफेक्ट हो गया। क्या हुआ, कुछ नहीं। लेकिन यह रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी है निकालने की, उसने क्यों नहीं निकाली ? इसलिए सारे चुनाव हम अवैध घोषित करते हैं। उन कारणों को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि इस ऑर्डिनेन्स में कोई ऐसी बात नहीं है। ऑर्डिनेन्स में यह दिया है कि जहां पर ऐसा फ्लॉ रह जाय टैक्निकल पॉइन्ट आफ व्यू से। मैं समझता हूँ कि कानून की बारीकियों में से बारीकी ढूंढ कर निकाले और उनका जनता के बीच ढिंढोरा पीटा जाय कि गवर्नमेंट को सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि वह सजग रही और जागरूक रही और उसने ऐसा ऑर्डिनेन्स जारी किया समय पर। जिन कारणों से उस समय म्युनिसिपैलिटी के चुनाव अवैध घोषित किये जा सकते हैं, ऑर्डिनेन्स निकाल कर उन इर्रेग्युलेरिटीज को क्योर कर दिया। उस पर आप कहने लगे, यह क्यों किया ? क्या कारण था ? मैं समझता हूँ कि कारण यह था कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो जाय। आपने जो लिस्ट दी है, वह मेरे पास आई है। मैं चाहूँगा तो माननीय सदस्यों को बतलाऊंगा कि बीस ऐसी म्युनिसिपैलिटीज थीं, जिन म्युनिसिपैलिटीज के मामले में कई रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में पब्लिकेशन पीछे हुआ है, कई मतदाताओं की सूचियें और तरह से निकली हैं, कहीं सूची ऑफिस में लग गई है, कहीं वार्ड में नोटिस नहीं लगा है।

ये सारे झगड़े इकट्ठे करके गवर्नमेंट ने सोचा, यह जरूरी है कि अध्यादेश जारी किया जाय, यह ऑर्डिनेन्स जारी होना जरूरी है। जो म्युनिसिपैलिटीज फंक्शन करती हैं, उनको फंक्शन करना चाहिए, उनको बन्द नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी म्युनिसिपैलिटीज की अभी तक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। हजारों रुपयों का खर्च हो जाता है चुनाव में। इसके सिवाय मुमानियत कहां है ? जो इलेक्शन पिटीशन करने का सेक्शन है, उसमें मुमानियत कहीं नहीं है। सेक्शन

Page No.61

(श्री मूलचन्द डागा)

३४ है, जो इसके अन्दर मेरी समझ में, इस ऑर्डिनेन्स के निकलने के बाद भी अगर कोई आदमी यह बताये कि इस कारण से चुनाव गलत हुए तो उसको इलेक्शन पिटीशन करने की मुमानियत कहां है ? कहीं नहीं है कि इसके कारण इलेक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन इलेक्शन पिटीशन में यह बात देखी जाती है कि कोई मेटीरियल इफेक्ट हुआ या नहीं। वहां पर उस समय यह तो हुआ नहीं और सोचा धुआं करने का तरीका यह है कि जब ऑर्डिनेन्स हो जाय और देखें कि गवर्नमेंट सजग रही, तब कहने लगें कि गवर्नमेंट ने बुरा काम किया कि ऑर्डिनेन्स निकाला। अगर गवर्नमेंट सजग नहीं रहे तो कहें कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, जो २१३ में अधिकार है उसका उपयोग नहीं किया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २१३ के लिए किसी ने हाउस में प्लीड नहीं किया, हमने भी प्लीड नहीं किया। ऑर्डिनेन्स का आपने भी हमेशा विरोध किया है। आज पहली बार है कि आप समर्थन कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हाउस में विरोध है कि समर्थन है, यह अभी मालूम हो जायगा। हाउस के अन्दर इतनी योग्यता है। हाउस इसको डिसएप्रूव करेगा या समर्थन करेगा, वह अभी मालूम हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेन्डेट हो चुका है पार्टी का तो वोट देना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मेन्डेट का सवाल नहीं है। सवाल है बुद्धि का, कौन सी चीज माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए। अगर हम समझते हैं कि इस चीज को मानना और लोकतन्त्र के लिए, उसकी तरक्की के लिए जरूरी है तो मानना चाहिए।

तो सेक्शन ३४ है, उस ३४ के अन्दर कहीं मुमानियत है कि किसी इलेक्शन को चेलेन्ज नहीं कर सकते ? लेकिन आप समझते हैं कि इलेक्शन को चेलेन्ज करने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जहां कहीं हम कर सकें और गवर्नमेंट को किसी तरह भी घसीट सकें यह कहें कि आपने ऑर्डिनेन्स इस प्रकार निकाल कर लोकतन्त्र के अधिकारों का हनन किया है। मैं समझता हूँ कि जो कॉन्स्टीट्यूशन बना है, उसमें जो धारा दी है, वह बहुत सोच-समझ कर दी है। अगर उस समय असेम्बली चलती तो ऑर्डिनेन्स जारी करने का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन जब असेम्बली नहीं चल रही थी तो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेन्स जारी किया और सर्कमस्टान्सेज ऐसी थीं कि ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया। तो जो प्रस्ताव ऑर्डिनेन्स के बारे में रखा है वह गिर जाना चाहिये और समझदारी इसी में है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस ले लें। इसमें दो क्लॉजेज हैं उनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के अधिकारों पर कुठाराघात होता हो। पर जिद है कि इसी को लेकर दो-चार बातें रखें। दरअसल देखा जाय तो वह गवर्नमेंट की जागरूकता थी कि उसने समय पर ऑर्डिनेन्स जारी करके अच्छा स्टेप लिया। आपको अपना संकल्प वापिस लेना चाहिये, यही मैं उनसे अपील करूंगा।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Mr. Speaker, Sir, we have been simply dodged that the Hon'ble Governor has issued this O d i c

(श्री अर्जुनदास)

I was asking question and trying to find an answer as to what would have happened if this Ordinance had not been issued for one or two months more. I believe, nothing at all would have happened. The position would have remained the same as it is today, and if the position would have been the same then we could have conveniently said that there was no urgent necessity of issuing such an Ordinance. I think, we should disapprove this Ordinance Two Ordinances concerning the Municipalities were issued within half a month. + + + +

The very fact that the Governor issued two Ordinances concerning the Municipalities shows that the Governor or his advisers did not know what results would follow. We mean to condemn such advisers. Nobody has guts to say that they were wise enough to advise the Hon'ble Governor to issue such an Ordinance. The Hon'ble. Minister for Local Self-Government was bold enough to say that only three municipality elections were effected-Pali, Ajmer,and Kishengarh; and all the three Municipalities are being controlled by Congress. It is true that Congressmen—

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मन्त्री) : To be more correct there were Municipalities.

श्री अर्जुनदास : I think, I take your first statement as correct. Your second statement is a modification...

श्री अध्यक्ष : This is a mere statement. There is no question of modification. He is seeking to give you a complete list.

श्री अर्जुनदास : The Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government did make a categorical statement that three Municipalities are Kishengarh, Ajmer and Pali. He can add more now. But I was only saying that the Congressmen seldom make mistakes and when they make any mistakes, they are always in their favour. True, all these three municipalities are controlled by the Congress.

About Kishengarh, Jan Sangh people filed a writ petition. Therefore this Ordinance was issued with a political background. I will challenge the Hon'ble Minister in-charge of the L. S. G., and would like him to say whether any of the Local Self-Governments involved is being controlled by non-Congressmen. Elections are being held up everywhere.

But I know so far as Ajmer City is concerned that when the Congress had lost its control suspension order was issued for six months We had an assurance that time will not be extended, but we all know that the term has been extended. Because in the last general elections of 1957 an experiment was tried in Ajmer. Municipal elections were held only a little

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्य-विवरण में से निकाला गया

(श्री अर्जनदास)

before the general elections. and the result was that in the general elections so far as Ajmer city is concern they lost. They were routed like anything. I think, they want to hold municipal elections in Ajmer after the general elections. But I will advise you to please hold these elections as early as possible. Another ground for not holding the elections is that the Administrator is not an independent administrator, but he is acting as a right hand of the Congress. I can say. he is never an indepdndant officer He is an inexperienced egoist man and is playing the role of Congressman.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : What concern has this with this Bill ?

श्री अर्जनदास : Administrator, Ajmer Municpality is playing the part of Congress. I know, he is dabting in politics, and to hundreds of people he has said, if you come to me through Pursharthi Panchayat at or Jan Sangh I will not hear you. If you come to me through 'Safed Topiwalas...'

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble member will remember that it is not concerned with the Bill.

श्री अर्जनदास : I am simply answering what the Hon'ble Minister said just.

I was only suggesting that an officer who has guts like this, he is never an independent officer. I would say that he should be removed and enquiry should be held about him and he should be hanged on the nearest tree.

So I want to say that the Ordinance has been issued with no honest purpose and as soon as we disapprove it we hope the Government will be careful about their duties. Otherwise they say......

एक माननीय सदस्य : Are they not.

श्री अर्जनदास : Don't worry boys. Neglect your official duties and if there is any lacuua we would be taking no action against them, and you tell the officers that you have given full patta and you shall safeguard them.

I have, therefore, to move that this motion be approved and would also like the Hon'ble members to approve it.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय,...........

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी है। माननीय सदस्य बोलें तो संक्षेप में ही बोलें।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं संक्षेप में ही कहूँगा। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में कहूँगा।

यह जो ऑर्डिनेन्स निकाला गया इसको पढ़ने के बाद स्वाभाविक ऐसा लगा कि जयपुर के चुनावों को स्थगित करने के बाद जो निर्वाचन नामावलियों के प्रकाशन में दोष थे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उनको किसी तरह से रेक्टीफाई करने की मंशा थी। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि ५-७ ऐसी म्युनिसिपैलिटियां हैं जिनके चुनाव हो रहे थे और उनको हाई कोर्ट में चेलेंज किया जा सकता था इसके कारण इस ऑर्डिनेन्स को निकाले जाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आज से दो वर्ष पहले जब कोटा का चुनाव हुआ और वहां पर वोटर्स लिस्ट के मामले को लेकर १॥ वर्ष तक हम लोग कांग्रेस से लड़ते रहे। क्या उस समय इस प्रकार का अध्यादेश जारी करना याद नहीं आया? इस समय ही इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स निकालना याद आया? उस समय जनसंघ ने रिट पिटीशन की। आप जब देखते हैं कि यहां जनसंघ जीतने वाला है तो आप जनसंघ के [illegible] को निरर्थक करने के लिये ऐसे काम करते हैं। जहां पर कांग्रेस जीतती है तो आप इन बातों पर ध्यान नहीं रखते। एक साल तक हाई कोर्ट में इसी इश्यू को लेकर चलते रहे। कोटा का बोर्ड नहीं बना। आज कोटा का बोर्ड बन गया है, लेकिन वह ठीक तरह से अपना काम नहीं कर सकता। म्युनिसिपल कमिश्नर को बदल दिया है। आज कई लोग एडजोर्नमेंट मोशन....

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष, इन बातों का आर्डिनेन्स से कोई सम्बन्ध नहीं है। मालूम ऐसा होता है कि उनकी कुछ ग्रीवान्सेज हैं और उन ग्रीवान्सेज को वे यहां पर रखना चाहते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह कोई ग्रीवान्सेज को रखने की बात नहीं है। यह जरूरी नहीं था कि ऑर्डिनेन्स जारी किया जाता। जिस समय अधिवेशन चलता था उसी समय लिया जा सकता था। आज आप पार्टी पोलिटिक्स के बेसिस पर किसी पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिये इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स पास करते हैं। जिस समय कोटा में १॥ साल तक बराबर कांग्रेस से जनसंघ लड़ता रहा उस समय क्या आप इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स से पोजिशन को रेक्टीफाई नहीं कर सकते थे? मगर आपने कुछ नहीं किया। बराबर वहां पर १॥ साल तक मामला चलता रहा। कोई ऑर्डिनेन्स नहीं लाया गया। आज आप ऑर्डिनेन्स निकालते हैं और ऑर्डिनेन्स की भाषा से जो मालूम होता है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष महोदय, आकर्षित करूंगा। निर्वाचक नामावलियां बनाई जाती हैं, उसके लिए परिश्रम नहीं किया जाता। उनमें पुरानी सूचियों को ही लेकर रख दिया जाता है और कुछ नामों को लोगों के दबाव में आकर रख दिये जाते हैं। मुझे मालूम है कि जहां पर सरकार को यह मालूम हो जाता है कि यहां जनसंघ जीतने वाला है वहां पर कइयों के नाम नहीं लिखते। हमारे यहां पर पूरी गली के लोगों के नाम नहीं थे। हम लोगों को उससे बड़ी मुसीबत उठानी पड़ी। आपने इसमें लिखा है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ....

श्री सम्पतराम: But this is subject to section 16 which is a subsequent section.

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने यह एक्ट बनाया कि इससे किसी प्रकार से आपको चैलेंज नहीं किया जावेगा। Municipal elections shall be liable to be challenged on the ground of non-publication.

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पब्लिकेशन की गलती हो जाती है, यह दूसरी बात है और कुछ गल्तिया पब्लिकेशन में रह जावें, वह दूसरी बात है। मगर जब आप उसको पब्लिश ही नहीं करावेंगे तो किसी को कैसे मालूम होगा कि उसका नाम उसमें है या नहीं। गल्तियों किस प्रकार से दूर होंगी।

एक माननीय सदस्य : आप आगे का सेन्टेन्स तो पढ़ें।

श्री संपतराम : आप कह दीजिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जहां तक पब्लिकेशन का सम्बन्ध है सूचियां पब्लिश जरूर होनी चाहिये जब तक पब्लिश नहीं होंगी तब तक लोगों को शंका ही रहेगी। हमेशा निर्वाचन में गल्तियां होती हैं या जो लोग उसमें इन्ट्रेस्टेड होते हैं वे नाम ही लोगों के हटा देते हैं। इसके लिये दूसरा कोई तरीका नहीं है कि इस प्रकार की गल्तियां न हों, सिवाय इसके कि उसका वाइड पब्लिकेशन किया जावे। यदि आप पब्लिश नहीं करेंगे तो लोगों को मालूम नहीं होगा और जब तक लोगों को मालूम नहीं होगा तब तक दुरुस्तियां नहीं की जा सकेंगी।

दूसरी बात यह भी है कि कई जगह, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा देखने में आया है कि वार्ड गलत बने हुए हैं। एक वार्ड की जनसंख्या इतनी अधिक है कि हजारों तक बढ़ जाती है और एक वार्ड की संख्या इतनी कम है कि सैकड़ों पर रह जाती है और इस प्रकार का अन्तर रहता है। फिर वोटर्स लिस्ट की गल्तियां और निर्वाचन-क्षेत्र को ...हे जहां रखा जावे। माननीय अध्यक्ष,

(१. ५८ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य; उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर हमने इसमें ध्यान नहीं रखा तो विरोधी पार्टियों के सामने बड़ी भयंकर स्थिति पैदा होगी और उससे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक इस प्रकार के शब्द इसमें से नहीं निकाले जावेंगे, यह धारा ५ प्रतिक्रियावादी है। जब तक ये शब्द नहीं निकाले जावेंगे, मैं यह कहूँगा कि राज्य सरकार की मंशा सही तरह से है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। यह कुछ लोगों को खुश करने के लिए रखा गया है। मैं यह कहूँगा कि आज हम प्रजातन्त्र में रह रहे हैं, आज प्रजातन्त्र में रक्षा करने का कोई साधन है तो वह जुडिशियरी है। जहां जुडिशियरी में जाने में प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो मैं यह कहूँगा कि यह प्रजातन्त्र में जनता के अधिकारों का हनन होता है और प्रजातन्त्र की हत्या होती है। हम जुडिशियरी का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां पर हमें न्याय मिलता है। लेकिन जहां इतने बड़े मसले हों, वार्ड गलत हों वोटर्स की लिस्ट गलत हो और फिर भी आप लोगों से कहें कि न्यायालय में जाने के लिये आपको कोई आज्ञा नहीं है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध न्यायोचित नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल एक तरह से लाया गया है यह बिलकुल प्रतिक्रियावादी बिल है और मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का बिल यहां आना ही नहीं चाहिये। कारण यह है कि नगरपालिका एक्ट है वह इतना एक्सटेन्सिव है कि उसमें कोई गुंजायश नहीं रहती है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी प्रकार के केस आ सकते हैं। उसके

(श्री दयाकृष्ण विजय)

आधार पर इलेक्शन पिटिशन फाइल करने का अधिकार है और यदि कोई न्याय चाहता है तो आपको किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आप एक्ट में लिखते हैं, कोई कानूनी गलती रह गई है, कम्प्लायन्स नहीं हुई है, आप कहेंगे कि पब्लिकेशन भी नहीं हुआ है तो भी रिट पिटिशन नहीं कर सकते तो बेस्ट तरीका यह था कि क्लाजेज ३, ४ को निकाल ही देते, लेकिन क्लॉज ५, अदालत तक न पहुंचे यह, यह बात जोड़नी थी। चाहे रिटर्निंङ्ग ऑफिसर का नाम डेट घोषित करें, उस दिन निकालें या पहले इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। निर्वाचन अधिकारी को तारीख के सम्बन्ध में यदि कोई केस कहीं गये हों तो मुझे जानकारी नहीं है ...

श्री सम्पतराम : राजगढ़ में गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : I accept it. अगर कोई केस गया भी है तो आपने खण्ड ३४ में कम्प्लायन्स पूरी करने की बात रखी है। वह उठाया जा सकता था। गया भी तो मेटिरियल चीज न हो। आखिर हाईकोर्ट भी देखेगी कि क्या परिस्थिति थी ?

श्री मूलचन्द डागा : हाईकोर्ट ने यह देखा कि डेट गलत थी, इसी पर खत्म कर दिया।

श्री दयाकृष्ण विजय : इन सब आधारों पर कह सकता हूँ कि यह केवल एक प्रतिक्रियावादी बिल है और केवल विरोधी पार्टी के अधिकारों को सीमित करने मात्र के और कुछ नहीं। राजसमन्द हिंडौन आदि कई जगहों पर चुनाव नहीं हुए। हिन्डौन में कई दफा मयाद खत्म हो चुकी, वहां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। जिनकी मयाद खत्म हो गई उनके चुनाव नहीं करवाते और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देते हैं। और चुनाव करने की भावना क्यों नहीं है ? इसका कारण यह है कि कांग्रेस वहां पर हारती है और विरोधी दल की शक्ति मजबूत है। इसलिए इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी बिलों को आप खत्म करिये। यदि केवल अपने बहुमत के आधार पर ही इसी प्रकार के प्रतिक्रियावादी बिलों को पास कराना है तो यह प्रजातन्त्र की हत्या करने वाले बिल हैं और केवल विरोधी दलों के सामने कठिनाई ही आने वाली है। मैं समझता हूँ कि सरकार बुद्धिमानी के साथ काम करेगी और इसको वापिस लेगी।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूँ। इसके पक्ष में विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने दलील देते हुए कहा कि यह बिल एक प्रतिक्रियावादी बिल है। यदि बिल की धाराओं को देखें तो केवल इस कारण प्रतिक्रियावादी नहीं हो जाता कि आर्डिनेन्स निकाल दिया गया और कुछ फार्मस के प्रोसिजर को रेगुलेराइज किया गया। इसकी जो स्पिरिट है उसको देखें तो मालूम होगा कि जो म्युनिसिपल लॉ का सब्स्टेन्स था उसमें कोई तरमीन नहीं की गई है। फॉर्म है, मान लिजिए पब्लिकेशन न हुआ हो, हर एक वार्ड में इलेक्टोरल रोल्स की लिस्ट न लगाई गई हो और यदि पब्लिकेशन हो जाता है और म्युनिसिपल ऑफिस के बाहर या रिटर्निंङ्ग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर लिस्ट रख दी गई हो और यदि वार्ड में

Page No.67

(श्री मोहनलाल भटनागर)

न रखी जा सकी हो तो सब्स्टेन्स में ऐसी क्या चीज आ जाती है जिससे यह बिल प्रतिक्रियावादी हो जायेगा दूसरी जो धारा है उसमें भी सब्स्टेन्समें कोई चीज नहीं है। केवल फॉर्म है । डेट पहले घोषित हो चुकी हो और रिटर्निंग ऑफिसर बाद में मुकर्रर हुआ हो। ये दोनों भी नोमिनल चीजें हैं। म्युनिसिपलिटीज के जितने इलेक्शन्स होते हैं, उनमें जो चुनाव पिटिशन्स होती हैं वे मामूली, फॉर्मल छोटे से प्रोसिजर को लेकर ही होते हैं और साल-साल, दो-दो साल तो कोर्ट्स में लिंगरिंग होते हैं, खर्चा होता है। ऐसी परिस्थिति रहती है जिसमें ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ किया गया है वह सब नष्ट किया जा रहा है। इसी प्रकार से एक फार्म को रेगुलेराइज करने के लिए यदि ऑर्डिनेन्स निकाल देते हैं और उसको असेम्बली से पास करा देते हैं तो ऐसी कौनसी बात हो जाती है कि जिससे जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं, विरोधी दल के अधिकार छीने जा रहे हैं।

मैं एक बात सरकार से अवश्य निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने भी गत वर्ष इलेक्शन लड़े । हमारे विधान और नियम इतने कॉम्पलीकेटेड हैं कि जिनको क्रियान्वित करने वाली जो मशीनरी है वह इतनी काबिल नहीं हैं कि वे उनको ठीक प्रकार से कर सके । जो प्रोसिजर ठीक तरह से होना चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर भी ठीक प्रकार से नहीं देख सकते। फॉर्म छपवाने में, लिस्ट आदि में कई गल्तियां कर देते हैं जिससे जनता को काफी नुकसान होता है, केन्डीडेट्स को भी काफी नुकसान होता है,काफी श्रम का दुरुपयोग होता है। पंचायतों के भी चुनाव हुए, मशीनरी ट्रेन्ड थी लेकिन नगरपालिकाओं के जो चुनाव होते हैं उनमें जितने पिटिशन होते हैं उतने पंचायतों के बारे में नहीं हुए। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मशीनरी को ट्रेनिंग दी जाय और फर्म के बारे में रिटर्निंग ऑफिसर गल्ती न करे और एक अनिश्चितता की स्थिति न रहे और ऑर्डिनेन्स पास न करना पड़े, इसके लिए व्यवस्था करें: एक इस सम्बन्ध में इन्स्ट्रक्शन निकालेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर्स को हिदायतें देंगे।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त-शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की मूलभूत बातों के ऊपर मैंने संक्षेप में पहले ही सदन के सामने निवेदन किया था और कई माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे उन्होंने भी जो खास-खास बातें थीं उन पर प्रकाश डाला। तो मेरे ख्याल से सदन इस बात से संतुष्ट है कि जो कुछ एक्शन लिया जा रहा है वह लेना वाजिब था और लेना भी चाहिये। बार-बार यह कहा जाता है, आर्डिनेन्स लाकर किसी विरोधी पार्टी को खत्म किया जा रहा है या जो सब्स्टेंटिव कानून था उसकी किसी धारा या प्रोविजन का उल्लंघन किया जा रहा है या एक दल को बल देने और दूसरे दल को कमजोर करने के लिए इस प्रकार के मेजर्स लिये गये। जब इलेक्शन के बारे में कोई कानून कायदा बनाता है तो इससे कमजोर दलील और कोई नहीं हो सकती कि कोई आदमी यह कहे कि पार्टी विशेष को बल देने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इसमें किसी की काबू की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कोई पार्टी सब जगह हार जाये और उसका कुसूर सरकार का होवे। कुसूर है उनकी विचारधारा का, पब्लिक के साथ ठीक डीलिंग न करने का और खिदमात न

(श्री सम्पतराम)

करने का ।

हमने ऑर्डिनेन्स निकाला है इससे जनसंघ वालों ने किसी इलेक्शन को जीता हो उस पर लागू होगा, कम्युनिस्टों ने किसी इलेक्शन को जीता हो उस पर लागू नहीं होगा, यह बात नहीं । कहीं भी इलेक्शन में इस प्रकार की दिक्कत आयी हो, उसको हम दूर करेंगे । हमारे इलेक्शन रूल्स में कमी है, हमारे एक्ट की धारा १६ की अवहेलना होती है जिसके सब-सेक्शन टू में लिखा है । असेम्बली के रूल्स एडॉप्ट कर लेते हैं । दूसरी बात होती है उनका पब्लिकेशन किस प्रकार होगा :–

'Published in the prescribed manner'

"प्रेसक्राइब्ड मैनर" ये ऐसी बातें हैं । इसमें रूल्स का सवाल है । हरेक वार्ड में वोटर्स लिस्ट रखी जायगी । वह वोटर लिस्ट एस० डी० ओ० या कलेक्टर के सामने ही रखी जाती हो यह बात नहीं । एक वार्ड को जहां दो जगहों पर लिस्ट रखी जानी चाहिये एक जगह रख दी; हालांकि उसको सब लोगों ने देख लिया, फिर भी इस बात पर इलेक्शन सेट असाइड हो जाता है तो यह निश्चित तौर से छोटी सी बात है । हरेक नागरिक ने मतदान किया । हरेक को अपने अपने मत की जानकारी है । एक सिर्फ छोटी सी बात के लिये सारा इलेक्शन फिर से हो, यह कोई भी उचित नहीं कहेगा । ऐसे इलेक्शनों में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनकी पार्टी हार जाती है । उनको सदमा गुजरता है और यदि दुबारा हार जाती है तो और ज्यादा सदमा होता है । इसलिये हारती हुई पार्टी को सदमे से बचाने के लिये भी यह मेजर जरूरी है ।

कोटा के बारे में और अजमेर के बारे में भी कहा गया । यह तर्कसंगत दलील नहीं थी । इसका इस बिल के प्रोविजन से सम्बन्ध नहीं । यह बात अजमेर के सिलसिले में पहले भी कई बार आ चुकी है । अजमेर में जो काम किया जा रहा है वह शहर को ठीक करने के लिये, वहां की बहबूदी के लिये किया जा रहा है । वहां का एडमिनिस्ट्रेटर कलेक्टर है । वह इने-गिने राज्य के अच्छे अफसरों में से एक है । बार-बार सदन में उनके लिये कहा जाय, यह शोभा नहीं देता । हो सकता है उन माननीय सज्जन को ऐसा हो कि उनके ऊपर के ऑरगन में कुछ डिफेक्ट हो गया है, इससे उनका एक्सप्रेशन गलत निकलता है । जो अधिकारी ईमानदारी और शहर के हिसाब से उसके विकास के लिये काम करता हो उसके लिये यहां गलत तरीके से इन्टरप्रेट किया जाय, हमारे लिये यह शोभा की बात नहीं है....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : जनसंघ के कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका व्यवहार है वह ठीक नहीं है ।

श्री सम्पतराम : आपको समझने में गलती हुई है । मैंने जनसंघ के लिये नहीं कहा । हो सकता है अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य जनसंघ के हों, उनका संबंध जनसंघ पार्टी से हो । यह मानकर चलना चाहिये कि जो आलोचना हम करते हैं वह जनसंघ द्वारा ही की जाती हो; यह मैं नहीं कहता । यहां जो दलील अजमेर के लिये दी गई मैं नहीं समझता उसका ताल्लुक इस ऑर्डिनेन्स से कहां आता है, लेकिन उन्हें

Page No.69

(श्री सम्पतराम)

तो अपने विचारों के एक्सप्रेशन का मौका मिलना चाहिये। अजमेर के वीकली में स्टेटमेन्ट दिया वहां सब कुछ चलता है। मैं इसको एक तरह से अक्ल की नासमझी हो कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से जो ऑर्डिनेन्स लाया गया है "पब्लिश्ड इन दी प्रेसक्राइब्ड मेनर" उसके लिये रूल्स बनायें। उसको फलां फलां जगह पब्लिसिटी दी जाय। गलती से एक वार्ड का पब्लिकेशन दो जगहों पर हो जाता है तो यह है तो छोटी सी गलती, लेकिन इस प्रकार की छोटी सी गलती की वजह से इलेक्शन सेट असाइड हो जाय, इस प्रकार की गलतियां होने से बचे ऐसा मौका नहीं देवें यह व्यवहारिक प्रश्न है।

रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति का सवाल है। रूल्स के मुताबिक सबसे पहले इलेक्शन की तारीख निश्चित की जाती है, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति होती है। पाली के केस में पोजीशन कुछ अलग तरीके की रही है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): May I draw the attention of the Chair, Mr. Deputy Speaker, Sir, that the Hon'ble Minister in-charge of the Bill has been making speech without any quorum for the last so many minutes.

उपाध्यक्ष: The bell may be rung.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Congress Members don't seem interested in his speech.

श्री उपाध्यक्ष: Not interested in the election......

(घन्टी)

श्री सम्पतराम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था। पाली के एक केस का जिक्र आया उसमें इलेक्शन की डेट १५-५-६१ तय की गई और रिटर्निंग ऑफिसर का अपोइन्टमेंट १०-३-६१ को किया गया बाकायदा। इसका नोटिफिकेशन हुआ, सब लोगों को इस बात का पता चल गया। ये दोनों ऑर्डर्स कलेक्टर ने निकाले। १३-४-६१ को सबको पता हो गया। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर का ऑर्डर सिर्फ एक दिन पहले निकल जाता है। यह इर्रेगुलेरिटी नहीं थी, एक दिन बाद में निकाल सकते थे। इसके कारण सारे के सारे इलेक्शन खत्म हो गये। किसी मतदाता को मतदान से वंचित किया गया हो यह बात नहीं। किसी ने वोट नहीं दिया हो, यह भी बात नहीं, किसी के वोट को दर्ज करने से इन्कार कर दिया हो; इस प्रकार की कुछ भी बात नहीं हुई, सिर्फ नोटिफिकेशन में देरी हो गई....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): कलेक्टर को सजा क्यों नहीं दी? उसकी एक गलती के कारण ऑर्डिनेन्स निकालने के लिये तैयार हो गये। क्या कलेक्टर को सजा दी गई?

श्री सम्पतराम: कलेक्टर को सजा देने का सवाल नहीं। मान लीजिये कलेक्टर को सजा दे भी दी जाय, फिर भी ऑर्डिनेन्स तो निकालना ही पड़ता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उसको लेसन तो मिल जाता कि मेरी गलती की वजह से ऑर्डिनेन्स निकालना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष: we are not concerned

(श्री उपाध्यक्ष)

with that issue. This is something different.

श्री सम्पतराम : हो सकता है उनको पनिशमेंट दें। लेकिन आखिर पब्लिक को भी तो न्याय मिलना चाहिये। माननीय सदस्य स्वतन्त्र हैं। वे चाहे जिस प्रकार कह सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई मिस्टेक करता हो उसको आगाह न किया जाय; उसका सिम्पलीफिकेशन भी करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और जोड़ी है। राजस्थान म्युनिसिपल इलेक्शन नये एक्ट के जरिये हों। दो-चार इलेक्शन हो गये उसके बाद तो सिम्पलीफाई हो जायेंगे। आम-तौर पर इलेक्शन में बहुत चेन्जेज होते हैं। जनरल इलेक्शन में भी ले लीजिये। पहले से काफी चेन्जेज हुए हैं और इस बारे में सरकार को सतर्क भी होना चाहिये। इसके लिये हाई कोर्ट के डिसीजन्स का बाकायदा ऑर्डर बना कर कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसरों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

एक माननीय सदस्य ने एक बात कही। कानून जो बनाया जाता है उसका गलत इन्टर-प्रिटेशन किया जाता है। उसका आम पब्लिक पर क्या असर होता है? आप जयपुर की वोटर्स लिस्ट को ले लीजिये एक वार्ड में वहां विरोधी पार्टियों का भ्रम था इसका एक सेन्टर वार्ड बन रहा है, एक वार्ड में बहुत ज्यादा मतदाता आ जायेंगे। माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वार्ड का डिविजन किस प्रकार होता है :

"For the purposes of elections to a board, a municipality shall be divided into as many wards as there are general seats fixed for the board under sub section (2) of section 9."

वर्ड 'पॉपुलेशन' को डिफाइन किया गया है तो कहा है ?

" 'Population' used with reference to any local area means the population according to the returns of the most recent Government Census for the time being;"

'अब यह सेंसस रिटर्न' शब्द क्या है? सेंसस ऑल इन्डिया का सब्जेक्ट है और जब फिगर कम्पलीट हो जाते हैं तो पब्लिश होते हैं। तो हमारे इलेक्शन कानून के अन्दर सन् ५१ की पॉपुलेशन को आधार माना है। आज हमारे आम चुनाव भी ५१ की पॉपुलेशन के आंकड़ों के आधार पर ही हो रहे हैं।

कोटा की बात कही एक माननीय सदस्य ने तो कोटा को ले लीजिये। वहां विधान सभा की एक सीट बनी। इसकी पॉपुलेशन मान लीजिये इस तरह से ५०-६० हजार होगी। पर प्राकृतिक साधनों के कारण कोटा का विकास ज्यादा हुआ, इन्डस्ट्रियां खुलीं और इस कारण आबादी अधिक हो गई, डबल हो गई। तो जहां एक सीट मिली हुई है, वहां आबादी अधिक होने पर भी दो सीटें नहीं मिलने वाली हैं क्योंकि लीगल आधार ५१ के आंकड़े हैं।

इसी प्रकार की बात जयपुर में कही गई। कहा गया कि नये सेंसस के फिगर्स आने वाले हैं तो २५ परसेन्ट इन्क्रीज होने चाहिये नॉर्मली। पर हमारा आधार कानूनी तौर से ५१ की गणना ही रहेगी। तो इस

(श्री सम्पतराम)

तरह की भ्रमोत्पादक बातें जान-बूझ कर नहीं करनी चाहिये। जो कुछ कहा जावे वह एक्ट के अन्तर्गत कहा जावे तो अच्छा है।

फिर ये वार्ड भी कौन बनाता है? यह भी जान लें। केवल हमारी ऑफीशियल मशीनरी बनाती हो, ऐसा नहीं है। म्युनिसिपैलिटी से भी राय मांगते हैं, लोगों से ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट करते हैं, उन पर विचार किया जाता है, फिर फाइनेलाइज किया जाता है। तो इसमें कोई ऐसी ऐतराज जैसी बात फिर कहां रह गई? सब्सटेन्टिव प्रोविजन का पालन किया गया है। किसी छोटी मोटी गलती से या यह सम्भावना होती हो कि हाई कोर्ट से गलत हो जावेगा तो इससे बड़ा आधारभूत सिद्धान्त ऑर्डिनेन्स के जारी करने का और क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेन्स अगर नहीं निकालें तो क्या करें? आप कहते हैं कि आप अपनी पार्टी को बल देने के लिये करते हैं, पर आप बताइये न कि इसके अलावा हम करें क्या? क्यों यह करें कि विरोधीपार्टी जीते नहीं तो उसे जिताने का ऑर्डिनेन्स ले आवें?

तो मैं समझता हूँ कि यह आखिरी सैशन है और इस मौके पर जितने लेजिस्लेचर मेजर्स आवेंगे उन पर जब भी किसी भी सदस्य को मौका मिलेगा अपनी अपनी भावना अपने अपने दृष्टिकोण से व्यक्त करने का उनको मौका मिलेगा। पर जो सही हैं जो पब्लिक को राहत देने वाले प्रोवीजन आते हैं तो उनमें उनको अपने दलगत फीलिंग छोड़ कर सहयोग देना चाहिये। इस आधार पर मैं इसमें इस संकल्प का विरोध करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्यूनिसिपल इलेक्शन्स (वेलिडेटिंग) ऑर्डिनेन्स को डिसएप्रूव करने के सम्बन्ध में संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया था। उसके सम्बन्ध में सदन में वाद विवाद हुआ।

सदन के माननीय सदस्यों ने जो विचार मेरे संकल्प के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये मैंने बड़े ध्यान से सुना और माननीय मन्त्री महोदय ने भी जो जवाब दिया उसको भी मैंने बड़े गौर से सुना।

जहां तक माननीय सदस्यों का सवाल है सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपने विचार प्रकट किये। मैं उनके सम्बन्ध में कुछ इसलिये नहीं कहना चाहता क्यों कि मेरी जानकारी के अनुसार यह उनकी सदन में आखिरी स्पीच है और इसलिये ...।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): आपकी भी मुझे ऐसी ही लगती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपको तो टिकट ही नहीं मिला।

श्री सोहनलाल भटनागर: आप तो टिकट मिलने के बाद भी हार सकते हैं।

श्री सम्पतराम: उपाध्यक्ष महोदय, किसी को टिकट नहीं मिलने से टिकट मिल जाने के बाद हार जाना यह ज्यादा दुखद घटना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह निश्चित विश्वास रखें कि जिसको एन्ट्री ही नहीं मिली, जिसको मैदान में आने की इजाजत ही नहीं मिली उनको अधिक दुःख रहता है।

मैं निवेदन कर रहा था कि इसलिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उनके सम्बन्ध में नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि इस समय उनको काफी दुःख है और मैं उनके दुःख में शामिल होना चाहता हूँ।

पाली से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी कुछ बातें मेरे संकल्प के सम्बन्ध में कहीं। वे कानून के ज्ञाता हैं और एक अच्छे वकील भी हैं और मैं नहीं समझ सका कि एक अच्छे वकील होने के बावजूद भी सिर्फ इस कारण से कि यह अध्यादेश उनके स्वयं की नगरपालिका के चुनावों से सम्बन्ध रखता है, समर्थन किया। मैंने वैसे उनके कई भाषण सुने हैं पिछले दिनों में और उन्होंने सदन में सरकार की अध्यादेश जारी करने की प्रवृति की बड़ी भर्त्सना की है। पर फिर भी जब इस तरह की बात इस अध्यादेश के सम्बन्ध में कही तो मैं उनकी बात को इसलिए महत्व नहीं देता कि उनको बात प्रेजूडस्ड है, वेस्टेड इन्टरेस्ट की है क्योंकि पाली नगरपालिका के निर्वाचन की दृष्टि से भी ऑर्डिनेन्स किया गया था।

श्री सम्पतराम : और भी शामिल हैं, पाली भी शामिल है, मैंने यह कहा कि अकेला वही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने नगरपालिका के अधिकारों की रक्षा करना अपना कर्त्तव्य समझा इसलिये कहा होगा। पर एक बात जो कही उसके जवाब में कहना आवश्यक समझता हूँ। उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि मैंने यह कहा था अपने भाषण में; ऐसे ग्रेव और सीरियस सर्कमसटान्सेज का जिक किया था। कौनसी ऐसी एमर्जेन्सी थी जिसके लिए पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सन्देह प्रकट किया कि ऑर्डिनेन्स जारी करने के लिये एमर्जेन्सी की आवश्यकता नहीं है। ग्रेव, सीरियस सिचुएशन की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय राजनैतिक दृष्टि से इस मुद्दे को देख सकते हैं, पर एक वकील और कानून का जानकार संवैधानिक कानून की दृष्टि से देखेगा। मैं एक एकेडेमिक पोइन्ट से मानता हूँ कि मन्त्री महोदय के उत्तर के अलावा इस बात की चेष्टा उन्होंने की है कि वे इस बहस में कानूनी बहस के रूप में भाग ले सकें।

जो उन्होंने कहा उसके लिए मैं उनका ध्यान पटना हाई कोर्ट की १९५० की एक नजीर की तरफ दिलाना चाहूँगा जिसमें ऑर्डिनेन्स के बारे में निर्णय दिया गया है और जहां ऑर्डिनेन्स को चैलेन्ज किया गया था। चीफ जस्टिस और आज के राजस्थान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसमें जज थे। डिविजन बैंच में मामला पेश हुआ। डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन वहां हुई तो सिन्हा के पास केस रेफर किया। यह तीन जजों का डिसीजन है। उसके केवल दो-चार कोटेशन्स सदन की जानकारी के लिए, विशेषकर पाली से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिये और माननीय मंत्री महोदय के अन्तःकरण में कानूनी भाव जो सुप्त अवस्था में हैं जाग्रत करने के प्रयास करने की दृष्टि से क्वोटेशन प्रस्तुत करना चाहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके जजमेंट के अन्त में जो राजस्थान के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं उनका क्वोटेशन है पेज ३४४ पर;

"I have approached the problem purely from the legal stand-point, and I have also purported to cta

Page No.73

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

under the assumption that if there are two interpretations possible of a provision in the Consitution Act, the one which leans in favour of the liberty of the people should be adopted in preference to the one which purport to curtail that liberty. I am not forgeful of the fact that Courts are guardians of the fundamental rights of the people, and that the fundamental rights guaranteed to the people under the Constitution must be scrupulously upheld and safeguarded. But it must be remembered that Art. 213 of the Constitution Act is intended to deal with emergency legisations where the Governor finds immediate action is necessary. In such cases of emergency where the security of the State is in danger and the maintenance of public order is essential the head of the executive in every country has been allowed a certain amount of latitude, and the ordinary rules of interpretation which apply to legislations in general are not so freely applied."

और इसके साथ उन्होंने आगे कहा है :

"This shows that (in the) cases of such emergency legislations, safety of the State is the primary consideration"

ऑर्डिनेन्स जारी करना एमर्जेन्सी लेजिस्लेशन है और यह एमर्जेन्सी की चीज नही है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 'सरकम्सटान्सेज' वर्ड के पीछे ग्रेव और सीरियस है। मैं कहता हूँ कि धारा २१३ के अन्दर यह वर्ड्स नहीं हैं। यह आपने अपनी तरफ से लगाये है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कानून की धाराओं में वह शब्द नहीं होते। वे शब्द तो धारा के पीछे छिपे रहते हैं और उनका जानकार ही उनका मतलब निकालता है और उसके लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : दूध से मक्खन निकाला जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसीलिए रूल्स होते हैं। यह जो कुछ मैं कह रहा हूँ यह आर्टीकल २१३ के तहत ऑर्डिनेन्स एमलगमेट किया गया था उसको हाईकोर्ट में चैलेन्ज किया उसके संबंध में मैं कोटेशन पढ़ रहा हूँ और कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ और न ही विश्लेषण कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का एक तात्पर्य यह है कि माननीय सदस्य ने कहा कि किसी भी विशेष परिस्थिति में जब चाहें ऑर्डिनेन्स जारी किया जा सकता है। यह बात गलत है। ऑर्डिनेन्स जारी करने का मतलब यह है कि वह एमर्जेन्सी लेजिस्लेशन है जो कि विधान सभा का सत्र नहीं होने के कारण आवश्यकता के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है और एमर्जेन्सी लेजिस्लेशन किन परिस्थितियों में जारी करना चाहिए उसकी भी कुछ रेस्ट्रिक्शन्स हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दलील यह दी जाती है कि राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश जारी किया है यह उनके सेटिस्फेकशन की चीज है और इसके संबंध में कुछ नहीं कहा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जा सकता है ।' मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह सदन से निवेदन करना चाहूँगा कि जो राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश जारी किया है यह केवल उनके स्वयं के सेटिफिकेशन का सवाल नहीं है कि इस प्रकार का सेटिफिकेशन होना चाहिए । पटना हाई-कोर्ट ने कहा है कि यदि वह सेटिफिकेशन अनरीजनेबल है तो उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है । इसलिए उस ग्राउन्ड के ऊपर जो डिफेन्ड किये जाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ कि वे सारे तथ्य तथ्य-हीन है । मैं एक-दो बातों की तरफ भी सदन का थोड़ा ध्यान आकर्षित करूंगा जो कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान में कही हैं । उनके संबंध में इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने यहां पर कुछ म्युनिसिपैलिटी के इलेक्टोरल रोल्स में गलती रहन के बारे में कहा । नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत ही वाजिब सवाल खड़ा किया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर और कलेक्टर इस प्रकार की गलतियां करते है सरकार उनके खिलाफ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करती ताकि इन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो सके । इसके अलावा मंत्री महोदय ने कह दिया कि नया कानून था इसलिए गलती होना स्वाभाविक है ।

मैं पूछना चाहूँगा कि पंचों के, सरपंचों के प्रशिक्षण केन्द्र लगते हैं वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है; तो क्या नये नियम बनने के बाद, नये कानून बनने के बाद राजस्थान के जितने भी निर्वाचन अधिकारी थे उनको ट्रेनिंग के काम में लगाया, उनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया ? आप क्या समझते हैं इलेक्शन के काम के बारे में ? राजस्थान में और हिन्दुस्तान में जितने भी विकास के कार्य हैं बाकी के और जितने भी काम हैं उनसे कम महत्व हम इलेक्शन की मशीनरी को नहीं दे सकते । अगर चुनाव इम्पार्शयल वे से नहीं होते, शुद्ध तरीके से नहीं होते तो ये सारी बातें गौण होंगी । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि नया कानून लागू हुआ है और उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है तो मैं यह पूछना चाहूँगा कि आप हिन्दु-स्तान के किसी भी सेन्ट्रल ऑर्डिनेन्स का हवाला दे दें जिसको किसी भी जनरल इले-क्शन को वेलीडेट करने की दृष्टि से कोई ऑर्डिनेन्स जारी किया गया हो । जहां तक मेरी जानकारी है हिन्दुस्तान की सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट ने, प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया ने एक भी ऑर्डिनेन्स ऐसा जारी नहीं किया कि जनरल इलेक्शन में कोई डिफेक्ट रह गया हो, कोई ओमीशन हो गया हो और इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट के पास या ट्रिब्यूनल के पास पेन्डिग हो और उसको दूर करने लिए कोई ऑर्डिनेन्स जारी किया गया हो, आप एक भी मिसाल नहीं दे सकते । हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ भी इलेक्शन पिटीशन चली हैं लेकिन प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया ने एक ऑर्डिनेन्स जारी नहीं किया, पार्लियामेन्ट ने एक कानून पास नहीं किया जिसके द्वारा सारी अनियमितताओं को वेलीडेट करने की कोशिश की गयी हो । उन्होंने यह सब अदालतों पर छोड़ा और यह कहा कि कोई गलती रह गयी हो चुनाव की प्रणाली में तो यह हाईकोर्ट का मसला है, यह अदालत का मसला है इसमें पार्लियामेन्ट को बीच में नहीं आना चाहिए, प्रेसीडेन्ट को बीच में नहीं आना चाहिए । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सख्त अफसोस इस बात का है कि जहां राजस्थान के चुनाव का सवाल है हमारी सरकार समय समय पर इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रकार हस्तक्षेप करके अनियमितताओं के नाम पर, इर्रेगुलेरिटी के नाम पर, ओमीशन के नाम पर, पब्लिकेशन के नाम पर हमेशा इस प्रकार से चुनावों में हस्तक्षेप करती आई है; मैं समझता हूँ कि यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। इन सारे शब्दों के साथ मैं सदन से अपील करूंगा कि जो संकल्प मैंने इस प्रकार के अध्यादेशों को अस्वीकार करने के बारे में रखा है उसको स्वीकार करें और जो यह अध्यादेश जारी किया है उसे डिसएप्रूव करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या २ सन् १९६१) को निरनुमोदित करने के संबंध में जो प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(मतदान के पश्चात्)

"ना" पक्ष जीता

श्री भैरोंसिंह : "हां" पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : You want a division then.

(विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या २, सन् १९६१) को निरनुमोदित करने के संबंध में जो प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये

(मत-दान के पश्चात्)

"ना" पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : हां पक्ष जीता, 'ayes' have it, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:-- 'Ayes' have it.

श्री उपाध्यक्ष:-Whether 'ayes' have it or 'noes' have it is pulpably clear.

श्री भैरोंसिंह : No Sir, some of the members from Congerss went to join the opposition.

श्री उपाध्यक्ष : Then I would allow the division.

(२. ३०. म० प०)

(विभाजन के पश्चात्)

('हां' और 'ना' पक्ष की दीर्घाओं से सदस्यों के लौटने पर)

श्री उपाध्यक्ष : House to order.

(विराम)

Ayes 41, noes 14

संकल्प गिर गया।

[विभाजन के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के सदस्य

'हां' पक्ष

श्री अनूपसिंह

श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)

श्री दयाकृष्ण विजय

Page No.76

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री हीराभाई

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

श्री किशनाराम

श्री मोहरसिंह

श्री नरेन्द्रसिंह

श्री नाथीसिंह

श्री नाथूलाल

श्री रघुवीरसिंह

रावराजा श्री सरदारसिंह

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री तनसिंह

'ना' पक्ष

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

श्री भवानीशंकर

श्री भीमसेन

श्री भोलानाथ

श्री बृजेन्द्रपाल

श्री चन्दनमल बैद

श्री दलीपसिंह

श्री दामोदरलाल व्यास

श्री धर्मपाल

श्री गणपतलाल वर्मा

श्रीमती गौरी पूनिया

श्री गोपीसहाय

श्री गुलाबसिंह

श्री अमृतलाल यादव

श्री हरिदेव जोशी

श्री हरिप्रसाद यादव

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री

श्री हरिश्चन्द्र

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

श्रीमती कमलाबाई श्रोत्रिय

श्री लल्लूराम

श्री महादेव प्रसाद ढंका

श्री मनोहर कोठारी

श्री मूलचन्द डागा

श्री नारायणलाल

श्री नरोत्तमलाल जोशी

श्री नाथूराम

श्री नाथूराम मिर्धा

श्री पी. के. चौधरी

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

श्री रामचन्द्र

श्री रामलाल बंसीवाल

श्री सम्पतराम

श्री शिवनाथसिंह

Page No.77

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री सोहनलाल भटनागर

श्री श्रीमानसिंह

श्री सूबेदारसिंह

श्रीमती सुमित्रा देवी

श्री उमेद

श्री वली मोहम्मद]

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल उठना चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : किस रूल के अन्तर्गत आप क्या उठाना चाहते हैं, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, पोइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन या पॉइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन ?

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : You take it as a point of disorder.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप सुन लें। रूल फिर आप निकाल लेना।

श्री भैरोंसिंह : आप बताइये, what is there, whether it is a point of order or point of personal explanaion or what ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेशन की जो घबराहट है वह मुझे मालूम है। उपाध्यक्ष महोदय। सदन के सामने स्पष्ट रूप से मिस्सा देकर झूठ बोलना गलत है। हाउस का समय बचता, आगे विचार करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ सदस्य हमारे साथ वोट देंगे....

श्री उपाध्यक्ष I will not allow any discussion.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : श्री भैरोंसिंहजी महाशय ने यह कहा....

श्री उपाध्यक्ष : In must be a point relevant under some provision of the Rules of Business. I will not allow explanatory...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I rise on a point of order.

श्री भैरोंसिंह : Under what reule ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : My point of order is this. Whether a member can misguide the Chair by saying this that some of the Congressmen want to vote with us. He wanted this division and the Chair was persuaded to have a division on this ground.

श्री उपाध्यक्ष : I don't take it as a point of order. It is ruled out.

श्री भैरोंसिंह : Then it should be taken as a point of disorder.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Then it is allowed, Sir, that they can speak lies ?

श्री उपाध्यक्ष : No, there was no aspersion on the Chair. There was nothing wrong.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : सदस्य महोदय, प्रयोग में शब्द लाये थे 'मिस्सा देना' और झूठ बोलना; दोनों के दोनों शब्द क्या पार्लियामेन्टरी हैं ? मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहूँगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा रूलिंग देने से पहले....

श्री उपाध्यक्ष : ये शब्द इतने प्रचलित हो गये हैं कि इनका कोई सिग्निफिकेन्स नहीं रहा।

श्री तनसिंह : झूठ बोलना तो कोमन है, लेकिन घिस्सा देना भी कोमन है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मैं भी इनकी बातों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देता हूँ, कच्ची कौड़ी मानकर ही चलता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "the Bill to validate certain municipal elections held or to be held in the State of Rajasthan" को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री संपतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) विधेयक, १९६१ को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) धारावाहिक लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २ और ३ विधेयक के अंग बनें।

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज ३ पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : Whether you are speaking on 2 or 3 ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दोनों ही पर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉजेज २ में....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, जब माननीय सदस्य का अमेन्डमेंट नहीं है तो वे इस स्टेज पर बोल नहीं सकते। अमेन्डमेंट टेबल करते तो राइट ऑफ स्पीच उनको होता। यदि सारे क्लॉजेज को ऑपोज करना है तो वह भी कंसीडरेशन स्टेज पर अपोजिशन कर दिया। Now they have forfeited their right to oppose the Bill as we have taken the Bill in its third reading instead of taking in clause by clause.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब किसी क्लॉज को डिलीट करने का सवाल आता है तो उसके डिलीशन के लिये अलग से अमेन्डमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार की हमारे यहां प्रेक्टिस है।....

श्री उपाध्यक्ष : I have understood the point of order. The position is like this. In view of the practice as well as rules, the Hon'ble member is entitled to oppose the clause. He has, therefore the right. Besides there is one amendment over which the debate is to be held.

श्री श्रीभानसिंह : For opposing a clause also there is certain procedure. He should table an amendment for negativing the clause even though that amendment might be rejected. But that notice should have been there. Then the Chair could have permitted the debate. But without that notice he cannot have the deletion of the whole clause.

श्री उपाध्यक्ष : No. This has been the practice of the House.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

महोदय, यह हो सकता है कि वर्तमान विधेयक द्वारा हमारी राज्य सरकार ने जो कुछ भी गलतियां की हैं उन्हें क्षमा कर दिया जाय। मंत्री महोदय ने और इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों ने जो कुछ गलतियां की हैं उनको सदन सार्टिफिकेट देता है कि जो कुछ गलतियां आपने की हैं उनको क्षमा करते हैं। लेकिन पिछली भूलों के परिणामों पर यह नहीं हो सकता कि इस प्रकार से सदन संरक्षण दे दे कि भविष्य में गलतियां करें तो भी उन पर यह वर्तमान कानून लागू नहीं होगा। नियम किस प्रकार के बनाना चाहते हैं ? यदि मंत्रीजी को कुछ परिवर्तन करना होता तो मूल विधेयक पर गंभीरता से विचार करके उसमें परिवर्तन करते। जिस समय नगरपालिका कानून बनाया गया था उस समय यहां पर चर्चा की गई थी कि जिस प्रकार वोटर्स लिस्ट बनाते हैं, उनका प्रकाशन होता है, उसकी पद्धति बिल्कुल गलत है मनमाने ढंग से निर्वाचन अधिकारी की मर्जी पर करते हैं। उस समय सारे सदन ने एक मत से तय किया था कि ये जो वोटर्स लिस्टें हैं आम चुनाव के लिये उनको म्युनिसिपल चुनाव के लिये भी मान्य कर दें, जो पद्धति जनरल इलेक्शन के लिए लागू की है, क्यों नहीं उसको इनके लिये भी लागू कर दिया जाय। जो पद्धति आम चुनावों के लिये लागू की जाय वही सारी की सारी इन नगरपालिकाओं के लिये लागू की जाय। ये सारी की सारी बातें उस समय हमने मानी थीं, लेकिन आज इस विधेयक के द्वारा सरकार को अधिकार देना चाहते हैं कि जिस बात को हमने उस समय स्वीकार किया था इसलिए कि हमारे अधिकारियों से गलती होगी, इसलिये उनसे गलती होगी कि वे योग्य अधिकारी नहीं हैं राजस्थान में जो गलतियां न करें इसलिए सारे देश में जो व्यवस्था आम चुनाव की है वही व्यवस्था स्वायत्त शासन विभाग के लिए की जाय जिससे कि स्वायत्त शासन विभाग को अलग से नहीं बनाने पड़ें। इलेक्शन कमीशन ने चुनावों के लिए रूल्स बनाये हैं जिनको हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट की स्वीकृति मिल चुकी है, उनकी स्वीकृति के बाद जो नियम बने हैं उनमें क्या परिवर्तन करना चाहते हैं; उनमें यदि परिवर्तन किया गया तो वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। हमने उसके लिए रखा था कि उसके लिए अधिकारी मनमानी करेंगे। गड़बड़ी की संभावना न हो इसलिये नियम में परिवर्तन न करें।

अब सवाल यह आता है कि चेन्ज हो गई उसका क्या करें.....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्लॉज २ पर बोल रहे हैं न ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इलेक्शन द्वारा जो हालत म्युनिसिपल इलेक्शन के अन्दर आई है, इलेक्शन हो चुके हैं और आगे भी होंगे उन सारे के सारे पर अमेन्डिग कानून लागू करना चाहते हैं, उस पर विरोध है। जो कुछ हो चुका है उसको क्षमा करदें। मंत्रीजी ने गलतियां कीं, लेकिन भविष्य का आधार लेना चाहते हैं। भविष्य में इलेक्शन होगा; या तो यह कहें कि जो कुछ बना हुआ कानून है उसमें गलती है। आज यह नहीं कहा है कि कानून में गलती है। कानून में गलती नहीं है बल्कि शुद्ध है, नियमानुसार है, हिन्दुस्तान के आम चुनाव के नियम के अनुसार बने हुए हैं, जिनमें एक एक बात दी हुई है, किस प्रकार वोटर्स लिस्ट बनेगी, किस प्रकार पब्लिकेशन होगा, किस प्रकार एतराज होंगे, किस प्रकार एतराजों का डिस्पो-

Page No.80

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जल होगा, किस प्रकार उसका फाइनल

(३. म. प.)

पब्लिकेशन होगा। ये सारी बातें उस कानून के अन्दर और कानून के अन्तर्गत जो नियम बने हैं, उनमें दी हुई हैं विधिवत्। उनमें कोई गलती कर दी गई, तो उसको क्षमा किया जा सकता है। लेकिन भविष्य में इन सारी बातों को न देखते हुए, जैसी मर्जी हुई, वैसा कर दिया, उस तरह पब्लिश कर दी, इसके सम्बन्ध में आगे जाकर क्लॉज पांच में दिया गया है, उसमें दिया हुआ है; नॉन पब्लिकेशन, इम्प्रोपर पब्लिकेशन इन सारी बातों को क्षमा कर दिया जाय भविष्य में भी। जो क्लॉज पांच आगे आयेगा, उसके अन्दर यह दिया गया है–नॉन पब्लिकेशन हुआ हो, इम्प्रोपर पब्लिकेशन हुआ हो, इसके लिए पिछली गलतियों को माफ किया जा सकता है और भविष्य में भी मंत्री महोदय को मन्शा है कि भविष्य में भी पब्लिकेशन न हो, गलत पब्लिकेशन हो, आगे आने वाले अधिकारी इस प्रकार की गलती करते रहें और वे कहें कि राज्य की विधान सभा ने इस पर स्वीकृति दे दी है, इसलिए करते रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं। इस प्रकार की कोई गलती करता है और उसके लिए इस प्रकार की स्वीकृति अगर विधान सभा देती है, उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा को वैसे अधिकार हैं, वह जिस प्रकार का कानून चाहे उस प्रकार का कानून बनाये, लेकिन अगर इस प्रकार की गलती करने के लिए इजाजत देती है तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य के लोग और विधान सभा के सदस्य होंगे वे कहेंगे कि पिछली विधान सभा ने ऐसा कार्य किया कि भविष्य में भी गलती करते रहें। इस तरह की जो विधान सभा,ने स्वीकृति दी है, वह गलत दी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि म्युनिसिपल इलेक्शन की परिभाषा है उसमें जो रखा है, उसमें "इलेक्शन टू बी हेल्ड" जो शब्द हैं, उनको निकाल दें और भविष्य में जो चुनाव हों उनको ठीक ढंग से करें, नियमानुसार इलेक्शन हों, हिन्दुस्तान के जो चुनाव के नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार हों; इस प्रकार की मेरी मन्शा है। इसलिए मैं क्लॉज २ का विरोध करता हूँ–'टू बी हेल्ड' को हटा दिया जाय, वर्ना इस क्लॉज से मेरा विरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस क्लॉज का विरोध सोकर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है। वह क्लॉज महत्वपूर्ण है। अभी इस क्लॉज का विरोध करने से पूर्व सरकारी पक्ष की ओर से जिस प्रकार से स्पष्टीकरण किया गया, उससे ऐसा लगता है कि सरकार के सामने तीन नगरपालिकाओं की कठिनाइयां को लेकर, मसलों को लेकर कुछ कठिनाई प्रस्तुत हुई थी।

श्री सम्पतराम : ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह : उनमें एक पाली, एक किशनगढ़ और एक आबू रोड हैं। इनमें चुनाव हो चुके हैं और चुनाव होने के बाद उन चुनावों के विरोध में जब रिट की गई तो सरकार के ध्यान में ये सारी बातें आई और सरकार ने महसूस किया कि कुछ गलतियों के कारण अगर ये चुनाव हाई कोर्ट में अवैध घोषित कर दिये गये तो वहां की जनता को दुबारा चुनाव की परेशानी में आना पड़ेगा

(श्री भैरोंसिंह)

और इसीलिए सरकार के कहने के अनुसार यह उचित समझा गया कि इस प्रकार की गलतियों के कारण अगर चुनाव अवैध होते हैं तो ऑर्डिनेन्स इश्यू करके उन गलतियों को वेलीडेट कर दिया जाय ताकि चुनाव अवैध नहीं हों। माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि हमारे सरकारी अधिकारी बहुत होशियार हैं और इस प्रकार की वे गलतियां नहीं करते हैं; जो गलतियाँ हुई हैं, केवल उन गलतियों का परिमार्जन करना है। लेकिन जब इस क्लॉज को देखते हैं तो देखते हैं कि सरकार यह एन्टीसिपेट करके चलती है कि जिन सरकारी अधिकारियों के आधार पर हम चुनाव कराने वाले हैं वे सरकारी अधिकारी इस प्रकार की गलतियां और भी कर सकते हैं और उन गलतियों के कारण चुनाव में फिर कोई परेशानी पैदा हो तो उससे बचने के लिए हमें इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है

मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार के अपने शब्दों के अन्दर भारत सरकार की जो चुनाव की व्यवस्था है, उस व्यवस्था की तुलना में अपने आपको अयोग्य स्वीकार करने का अपने आप में पहला कदम है। भारत सरकार के चुनाव आयोग के पब्लिकेशन की प्रणाली के आधार के ऊपर वह सारे भारतवर्ष का चुनाव कराता है, इलेक्टोरल रोल्स का पब्लिकेशन होता है, उस पब्लिकेशन के ऊपर लोग अपने ऑब्जेक्शन सरकार के सामने या इलेक्टोरल ऑथोरिटी के सामने पेश करते हैं। तो भारतवर्ष के पूरे चुनाव कराने में इलेक्शन आयोग कभी भी कॉन्टेम्प्लेट करके नही चलता कि हमने जो सिस्टम इवोल्व किया है, वह इतना डिफेक्टिव है कि उसको हमारे सरकारी अधिकारी समझेंगे नहीं और नासमझी के कारण गलतियां होना स्वभाविक है उन्होंने हर बात के ऊपर स्टिक किया और आज तक रूल्स के बारे में, इलेक्शन रूल्स में इलेक्शन कमीशन की ओर से संशोधन नहीं आया; जिन संशोधनों के आधार पर या सरकारी अधिकारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कॉन्टेम्प्लेट करके कोई संशोधन इस प्रकार का रूल्स में किया हो। आज मैं नहीं समझता हूँ वे अधिकारी, कलेक्टर और एस. डी. ओ और रिटर्निंग ऑफिसर जनरल इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, इलेक्टोरल ऑथोरिटी होते हैं। इलेक्टोरल ऑथेरिटी, जब जनरल इलेक्शन का सवाल आता है तब इलेक्शन में किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं करता है और जब राजस्थान सरकार चुनाव करने के आदेश देती है तो वे गलती रख देते हैं। तो इसमें दो बातें सिद्ध होती हैं; एक तो यह कि इलेक्शन कमीशन के डर के कारण कोई गलती करने की हिम्मत नहीं करता और दूसरा मतलब यह निकलता है कि राजस्थान सरकार इतनी अयोग्य है कि उस अयोग्य सरकार के अधिकारियों को किसी प्रकार का डर नहीं रहता, इसलिए गलती करते जाते हैं और उन अयोग्य अधिकारियों को सरकार किस प्रकार प्रोमियम दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। अगर सरकार चाहती है कि हमारी सरकार के अधिकारी सरकार की अयोग्यता का फायदा उठायें, तो बात दूसरी है। नहीं तो उस लेवल पर आना चाहिए, जैसे वे इलेक्शन कमीशन के आदेशों की अवहेलना नहीं स्वीकार कर पाते, नियमों की अवहेलना नहीं कर पाते, तब अगर वे हमारे आदेशों की अवहेलना करते हैं। जब मैं इसे गहराई

(श्री भैरोंसिंह)

में देखता हूँ तो लगता है कि उन्हें भारत सरकार का डर लगता है, लेकिन राजस्थान सरकार का डर नहीं लगता है। उसका कारण यह है कि हमारी सरकार उनकी गलतियों के लिए प्रीमियम देती है और भारत सरकार गलतियों के लिए दंड देती है। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पैदा होता है कि हमारी राजस्थान सरकार के पास में इलेक्शन मशीनरी रहनी चाहिये या नहीं। हम कहते हैं और हमने कहा है कि इन सारी स्वायत्त संस्थाओं, पंचायत और नगरपालिकाओं, इन सबके लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाय। कमीशन इसलिए नियुक्त किया जाय क्योंकि हमारी राजस्थान सरकार अयोग्य है और वह अपने अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, वर्ना कोनसा रीजन है कि उसके अधिकारी सरकार का कहना न मानें, उसके नियमों की अवहेलना करें। मैं पूछना चाहूँगा कि जिस समय राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पर बहस हो रही थी, १९५३ से लेकर १९५८ तक बहस होती रही और इस मसले पर एक बार नहीं कई बार चर्चा हुई, एक प्रोसिजर जो सबने मिलकर इवोल्व किया है, उसको छोड़ कर बाकी झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए और भारत सरकार ने जो नियम निर्धारित किए हैं वे ही नगरपालिका के इलेक्शन के लिए जायं जिससे राजस्थान सरकार का एक हैंडेक दूर होगा, और लोगों की जो शिकायत है उसको करने का भी अवसर उन्हें नहीं मिलेगा....

श्री सम्पतराम : आपका मतलब कौन से रूल से है?

श्री भैरोंसिंह : पब्लिकेशन।

श्री सम्पतराम : कौन से रूलसे मतलब है?

श्री भैरोंसिंह : पब्लिकेशन रूल्स से।

श्री सम्पतराम : यह कौन सी धारा में इनकॉर्पोरेट किया गया है, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में।

श्री भैरोंसिंह : यह म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में देखिये, उसमें लिखा हुआ है। पब्लिकेशन प्रोपरली करने के लिए भारत सरकार जो प्रोसीजर बनाती है, उस प्रोसीजर को एडॉप्ट किया जाय....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ऐसा कहाँ लिखा है?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है, बार बार ध्यान दिलाने के बाद भी एक्ट को पढ़ा नहीं जाता। मैं कहूँगा कि सेकशन १६ के सब सेकशन (२) को पढ़ें।

श्री भैरोंसिंह : वह सब पढ़ा हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) I am referring to Section 29 of the Act:—"(2) The provisions of the order made under subsection (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act and shall, so far as may be, conform to the provisions of the Representation of the Peoples Act' 1951"

श्री सम्पतराम : But the rules with regard to preparation of electoral rolls have to be propared under sub section (2) of Section 16.

श्री भैरोंसिंह : सारे रूल्स इसमें कवर हो जाते है, इसमें कोई गड़बड़ी कर रखी है तो फिर सावधान हो जाय।

श्री सम्पतराम : गड़बड़ी उसमें नहीं, गड़बड़ी समझने में हैं।

श्री भैरोंसिंह : गड़बड़ी मेरे समझने में है या आपके समझने में है, यह आप खुद समझ लें, मैं क्या बताऊं ?

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में अब जब सरकार कह रही है कि कुछ गलतियां हुई, जैसा कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गलतियां हो गई, पार्टी में जो मेम्बर चुने गये उनको सरकार ऑब्लाइज करना चाहती थी वह ऑब्लाइज कर दिया और अब सदन की मोहर लगाई जा रही है; पर मै कहूँगा कि ऑर्डिनेन्स के द्वारा इस तरह का अमेंडमेंट नहीं लायें कि ऑर्डर का गजट में पब्लिकेशन नहीं हो। पब्लिकेशन नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग रिट करेंगे। इस तरह की चीजें आपको ऑर्डिनेन्स से नहीं करनी चाहिये, जैसा कि आपने ऑर्डिनेन्स जारी करने के लिये कहा कि कुछ कमियां रह गई जिनके कारण इलेक्शन्स कराने में कठिनाई आती है। तो जैसा कि वे बार बार कहते हैं कि लेजिस्लेशन में शिष्टता की बातें होनी चाहिये तो मैं आपको जानकारी के लिये बता दूं कि राजस्थान की विधान सभा जिस कानून को बनाती है उन चीजों को आप ऑर्डिनेन्स से नलिफाई करते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं कि एक तरफ कानून बना हुआ है और दूसरी तरफ और दूसरा कानून बनाकर उनको नलिफाई किया जाता है। जो कानून बना हुआ है उसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिये; ओरिजिनल लाकर उन सारी चीजों को इनइफेक्टिव करने की कोशिश न करें। आप चाहते हैं कि पब्लिकेशन नहीं होना चाहिये; एरर्स और ओमिशन्स को मानना चाहिये। तो ओरीजिनल धाराओं में इस प्रकार का संशोधन लाइये, सदन को चान्स दीजिये कि ४ वर्ष पहले राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिये थे वे गलती से लिये, जो विधान सभा ने किया वह गलती से किया। आपके इस अमेंडमेंट का मतलब यही होगा कि राजस्थान विधान सभा ने ४ वर्ष पहले गलती की थी, उस समय के स्वायत्त शासन मंत्री ने गलती की थी, राजस्थान सरकार ने गलती की थी। आपको यह करना ही है तो स्पष्ट शब्दों में कह दीजिये कि हमारे स्वायत शासन मंत्रीजी ने, राजस्थान सरकार ने, राजस्थान विधान सभा ने गलती की, हमारे मन्त्रीजी ने और सरकार ने गलत निर्णय लिया था। आबू, किशनगढ़ और पाली में अधिकारियों ने गड़बड़ कर दी उसके कारण ऐसा सोचते है; जो राजस्थान विधान सभा ने गलती की, राजस्थान सरकार ने गलती की, उसको दुरुस्त करते हैं। सरकार में यदि हिम्मत हो तो कहे कि ४ वर्ष पहले गलती की है। लेकिन इस तरह से नलिफाई करना उस समय के स्वायत्त शासन मंत्रीजी का तो अपमान है ही, इसमें राजस्थान विधान सभा का भी अपमान है। सदन में कानून बनाने में जो खर्चा होता है, समय जाया होता है वह सब इस प्रकार के कानून से बेकार जाते हैं। आपने लिखा है, 'सम्पन्न हुआ है या होने वाला है'। 'होने वाले' से आपका मतलब है कि आयन्दा गलतियां हों उस पर भी इलेक्शन पिटिशन नहीं हो।

आप कहते हैं कि लोगों के दिमाग में राजनीतिक घुसी हुई है। सदन में जितने माननीय

Page No.84

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्य हैं सबके दिमाग में राजनीति है और मैं समझता हूँ, राजनीति से परे होकर कोई भी इस सदन मे चर्चा नहीं करते होंगे । इस प्रकार के कानून से आप जब चाहेंगे किसी नगरपालिका के चुनाव स्थगित करवा लेंगे किसी को सस्पेन्ड करने बहाल करने के आपके ऑर्डर्स होंगे, किसी भी नगरपालिका को किसी भी समय डिजोल्व कराया जाय इस प्रकार की आपकी मंशा है ! आप किसी भी अधिकारी को कह कर करा सकते हैं, सीकर में चुनाव हो रहे हैं; आप किसी भी अधिकारी को कान में कह दें, जैसे फतहपुर नगरपालिका के बारे में टेलिफोन किया गया था । आपके आदमियों के नाम लिख लिये जायेंगे और देखेंगे कि हमारे आदमी नहीं जीत रहे हैं तो चालाकी से डेट अनाउन्स करा देंगे; पब्लिकेशन जरूरी नहीं इसलिये पब्लिकेशन नहीं किया जायगा और इस तरह लोगों को पता भी नहीं चल सकेगा और आपके आदमी जीत जायेंगे । This is a mockery of democracy.

मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा इस लिये किया जा रहा है कि जो लोकल सेल्फ बॉडीज हैं उनकी जनतन्त्र के नाम पर हत्या कर दी जाय और एक डिक्टेटोरियल पॉवर हाथ में ले ली जाय । कौन ऐसा आदमी है जो जनतन्त्र प्रणाली की कब्र खोदने की कोशिश में लगा हुआ है ? राजस्थान गवर्नमेंट इस प्रयत्न में लगी हुई है । यह आपने स्वीकार किया है कि गलतियां हुई हैं, सरकारी अधिकारी गलती करते हैं तो पहले उनको सुधारिये, क्या आप एक भी नजीर ऐसी बता सकते हैं कि सरकारी अधिकारी को. किसी एक भी अधिकारी को उसकी गलती के कारण आपने कभी दण्ड दिया हो, ऐसी एक भी नजीर आपके पास नहीं । एनर्जी नष्ट हो, समय लगता है, उसकी चिन्ता आपको है; पर किसके कारण यह सब हुआ उन कारणों को खोजकर, जिस अधिकारी ने गलती की है उसको दण्ड देने की चिन्ता आपको नहीं, उन कारणों को दूर करने का सरकार का कोई भी दृष्टिकोण नहीं। जो गलती करते हैं उनको दण्ड दीजिये । राजस्थान सर्विस रूल्स आपके पास हैं, उनमें दण्ड का विधान रखा हुआ है किसी अधिकारी की गलती है तो उसको दण्ड दीजिए; पर आप किसी अधिकारी को उसकी गलती के लिये उसे दण्ड नहीं देते, उसे इनाम देते हैं और वह भी विधान सभा द्वारा मंत्री महोदय उसको इनाम दिलाना चाहते हैं । जब अधिकारियों के दिमाग में यह बात आती है कि सरकार के आदेश से, मन्त्रियों के हुक्म से, किसी राजनैतिक नेता के कहने से गलतियां करते हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, एक मंत्री ने किसी तरह के आदेश दे दिये हैं तो हमें सजा तो मिलेगी नहीं, विधान सभा द्वारा हमारी गलतियों को एप्रूव करा लिया जायगा और हमेशा के लिए उस तरह का कानून बना दिया जायगा और इस तरह वह अधिकारी समझेगा कि कोई भी राजनैतिक नेता जिसका कि सरकार के ऊपर असर है किसी काम के लिए कहता है तो वे उसका कहना मानें और वह कहे उसी के अनुसार कर दें । यदि मंत्री महोदय चाहते हैं कि लोकल सेल्फ इन्स्टीट्यूशन्स में सरकार का कम से कम इन्टरफियरेंस हो, इनके चुनावों में सरकार का कम से कम दखल हो तो ईमानदारी से इस पर विचार करें कि जो व्यवस्था वे इससे करने जा रहे हैं वह चुनावों को ईमानदारी से सम्पन्न कराने में कितनी बाधक होगी । इस पर विचार नहीं करते हैं तो मेजॉरिटी के बल पर जनतन्त्र की हत्या करने

(श्री भैरोंसिंह)

की कोशिश कर रहे हैं। वे इस पर फिर से विचार करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : "To be held" has become a headache for the House.

श्री भैरोंसिंह : Sir, this is a very Muncharitable remark for the Honbl member from Nasirabad.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I could not follow, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : He has not commenced yet. What was the remark ?

श्री भैरोंसिंह : The remark is 'you have become a headache for the House"

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It is not a headache for the House but it may be a headache for you,

श्री भैरोंसिंह : I have some Aspro tablets with me.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जिस क्लॉज पर विचार हो रहा है उसके सिलसिले में अभी हाल ही की तकरीर सम्मानीय सदस्य ने दी वह कितनी इर्रिलेवेन्ट थी। सवाल तो यह है कि जो मुद्दे उठाये गये हैं उनसे ताल्लुक रखने वाली कोई नई बात सदन में रखी जाती पर कोई नई बात सदन में नहीं आई। दूसरी चीजें ही रखी गईं। यह आवश्यक है कि आपकी तरफ से और जिस पार्टी को वे रिप्रेजेंट करते हैं जब यह एक्ट पास हुआ तो आप कहते हैं कि ८ वर्ष बाद यह पास किया। मैंने कई बार सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि केप्रोस जनसंघ करना चाहता है, इसलिये इसको जल्दी में पास न कराया जावे। जल्दी में पास करने से इस तरह की चीज इसमें इन्ट्रोड्यूस हो जाती है कि जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसी तरह से नहीं चल सके। आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह का रवैया जनसंघ और उसके नेताओं ने उस वक्त लिया जिस समय वह बिल पास हो रहा था, उसके लिये हमको भी कुछ हद तक अपने आपको जिम्मेदार समझना चाहिए। उस वक्त जिस समय क्लॉज वाइज बहस होती थी तो सरकार आदर्श बनाने की कोशिश करती और इस तरह से तोड़-मरोड़ करते थे और चूंकि उस समय इसे जल्दी में पास करना था इसलिये सरकार उनकी बातों को मंजूर करती गई और सरकार से मेरी उस समय भी यह शिकायत थी और अब भी है। अगर यह एक्ट पास करते समय उन नेता महोदय की परछाईं नहीं पड़ती तो यह दिन आज देखने को नहीं मिलता। यह मैं भी मानता हूँ कि लेजिस्लेशन का काम जहां तक है वह उसी तरीके से होना चाहिए. लेकिन अगर मौका आ जाता है तो सरकार इस तरह का ऑर्डिनेन्स निकाले। मगर जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि कलेक्टर की गलती पर सारे शहर को नुकसान हो, छोटी सी गलती के लिये पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिये; अगर इसके लिये पब्लिक की रक्षा नहीं की जावे तो क्या सरकार के लिए यह उचित होता? क्या यह सरकार के लिए मौजू होता कि इतने लोगों के पैसे खर्च हो जावें और एक दिन बाद कलेक्टर का नोटिफिकेशन निकला

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उसकी वजह से सारा मौका जनसंघ वालों को मिल जाए। जहां से कांग्रेस जीत जाती है वहां पर जनसंघ वाले चिल्लाते हैं और यह चाहते हैं कि इस प्रकार की गलती का उनको मौका मिलना चाहिये। जहां पर हार जाते हैं वहां इस प्रकार की बातें करते हैं और जहां से जीत जाते हैं तो वे दूसरी तरह की बातें करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में जो स्थिति पैदा होती है उसके लिये वे खुद जिम्मेदार हैं।

जहां तक इलेक्शन कमीशन का प्रश्न है इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करूंगा कि इलेक्शन कमीशन कायम हो और मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसकी वजह है और वह यह है कि आज जिन वोटों से हम चुने जाते हैं उन्हीं जनता के नागरिकों के वोटों से उनको भी चुने जाने का मौका देते हैं। मैं समझता हूँ कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सदस्यों की सरकार को इज्जत करनी चाहिये और वह उसी तरह से होनी चाहिये जितनी दूसरे चुने हुए लोगों की होती है और उन पर कभी भी दबाव नहीं डालना चाहिये। इसलिये हम ऐसी प्रथा डालें, हम इस तरह से चलें कि चुने हुए लोग जहाँ पर बैठे हैं, वे सरकार की सर्विसेज के लोग हैं उनके प्रति जिम्मेदार हैं। जहां सर्विसेज का प्रश्न आता है, मैं समझता हूँ कि हमारे सदन के प्रति तो सर्विस वाले कोई जिम्मेदार नहीं है लेकिन हमारे नेता और मिनिस्टर हैं वे जिम्मेदार हैं। हमें कुछ भी कहना है तो उनको कहने का अधिकार हमको है। लेकिन मैं यह देखता हूँ कि हम मिनिस्टरों के बारे में नहीं कहते जितना सर्विसेज के बारे में कहते हैं। वे इस-लिये कहते हैं कि सर्विसेज के बारे में मिनिस्टर को चिट्ठी नहीं लिखते हैं और मिनिस्टर से मौखिक बात करने का अवसर मिलता है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अवश्य बनना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि जो एक्ट बनाया है इस पर दुबारा सदन डी नोवो सारे एक्ट्स पर सोच-विचार करे। मैं यह कहूँगा कि सदन को इस पर दुबारा विचार करना होगा, यह मेरी मान्यता है। इसमें चुनाव की बातें हैं उसको सारे एक्ट को दुबारा सोच-विचार करके सदन में कम्प्लीट एमेन्डमेंट के साथ आना चाहिये जिससे आयन्दा इस प्रकार का किसी को मौका शिकायत करने का न आवे।

जहां तक इस क्लॉज और ऑर्डिनेन्स का प्रश्न है, इस पर विचार हो चुका है। हर क्लॉज पर यही कहते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। लोगों को यह ख्याल हो गया है कि यह आखिरी सेशन है, जो कुछ कहना है कह दिया जाए; जो लोग डूब रहे हैं वे यह चाहते हैं कि हमारा वक्त किस तरह से पूरा हो। वे किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं चाहे जो कुछ वे करें, इर्रिलेवेन्ट ही सही; जिससे चुनाव जयपुर में आवें उनसे फायदा उठा लेवें। मैं इन सारी बातों को छोड़ कर यह निवेदन करूंगा कि इसको क्लॉज बाई क्लॉज लेना है। इस पर अधिक जोर नहीं देते हुए मैं फिर कहूँगा कि ऑर्डिनेन्स सरकार निकालती है उस समय ध्यान रखे। यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

मैं सरकार से यह भी कहूँगा कि

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सरकार का लॉ डिपार्टमेंट कानून को बनाता है और हमारे पास यहां प्रस्तुत करता है, हम उसे पास करते हैं और इसकी जिम्मेदारी हम पर आती है। लेकिन राजस्थान सरकार का लॉ डिपार्टमेंट बहुत कमजोर है, उसकी तरफ सदन का ध्यान कभी नहीं गया। अगर ठीक तरह से हमारा लॉ डिपार्टमेंट कानून बनावे तो हाई कोर्ट में जाने की कोई नौबत नहीं आए। जब कोई भी सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में जाता है उसी वक्त हमारा कानून फेल हो जाता है। इसके लिए वे लॉ डिपार्टमेंट वाले जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार जरूर होते हैं. लेकिन हमसे यह उम्मीद हो कि हम उसकी बारीकियों को समझें, इसके लिये हजारों रुपये पब्लिक के खर्च होते हैं, इस पर हमारा लॉ डिपार्टमेंट सोचे जिससे ऑर्डिनेन्स निकालने का मौका ही न मिले। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने सरकार के खिलाफ केसेज होते हैं उनमें ९९ प्रतिशत में सरकार हारती है। जो कानून यहां बना उसके खिलाफ कोई हाई कोर्ट में चला गया, चाहे जनसंघ हो या कोई इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति हो....

श्री भैरोंसिंह : अगर अजमेर के चेयरमैन का प्रश्न हो तो आप इन्ट्रेस्टेड हो जावें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जिस तरह से फायदा लेकर, जिस ढंग से फायदा लेकर चलते हैं मैं उसके बारे में कहता हूँ।

जब वे हाई कोर्ट में जाते हैं तो फिर सरकार की तरफ से अमेन्डमेंट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट....

श्री उपाध्यक्ष : But now we are going astray.

श्री भैरोंसिंह : वे आदेश आप पर ही लागू होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Jwala Prasad, let us now speak to the puestion itself.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे पर नहीं, वे आदेश दूसरों पर जारी रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : We will strive to adhere to it.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं समझता हूँ कि एक सिद्धान्त सदन मान चुका है। उसके लिये पहले डिवीजन हो चुका है और उससे पता चल चुका है।

श्री मम्तराम : माननीय उपाध्यक्ष जी....

(श्री मोगजी भाई बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री भैरोंसिंह : इसमें होने वाला है। ऐसी स्पीच नहीं होगी, जैसी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने की है।

श्री मोगजी भाई : माननीय उपाध्यक्ष जी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको और समय दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कजॉज इम्पोर्टेन्ट है। मंत्री महोदय बाद में बोल लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member may be given a chance.

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : मान-

Page No.88

(श्री मोगजी भाई)

नीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज पर चुनाव के नियमों का पालन कराने के बारे में चर्चा हो रही है। चुनाव के नियम भारत के संविधान के अनुसार बने हैं, उसी संविधान के अन्तर्गत हमारा सदन भी कानून बना कर अधिकारियों को पालन करने के लिए कहता है। सदन के सामने यह विचार चल रहा है उसमें सरकार ने गलती की, सरकारी अधिकारियों ने गलती की, इसलिए इस प्रकार के चुनाव के कानून में संशोधन करके फिर इस प्रकार की गलतियां ज्यादा हों, इसलिए अधिकारियों को प्रोत्साहन देते हैं, आयन्दा गलतियां करते रहें....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): On a point of Order, Sin weare discussing clause 2, part (b), which gives definition of 'municipal election' It means an election or by-election to a municipal council or board held or to be held under and in accordance with the provisions of the Act.

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स है जिसके लिए बिल लाया गया है उस स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट स एन्ड रीजन्स में यह लिखा है :

"Certain municipal elections held in the State of Rajasthan run the risk of being declared invalid due to certain omissions or defects of form or procedure in the publication of municipal electoral rolls as a step preliminary thereto. These omissions and defects have to be regularised by means of a validating measure. Hence the Bill."

मेरा निवेदन करना यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में यह लिखा है कि कुछ नगरपालिकाओं के चुनाव हो चुके हैं उनको इन वेलिड कर दिया जाय इन गलतियों के कारण। यह सारा पार्टन करता उन इलेक्शन के लिए जिनके लिए यह बिल लाया गया है। क्लॉज ५ आयगा 'Municipal elections not liable to be challenged;' उसमें प्रतिबन्ध लगाया गया है। उसकी परिभाषा स्वीकार कर ली जाती है तो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स के खिलाफ होगी। स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में है, जिसके लिए विधेयक लाया गया है, जो चुनाव हो चुके हैं उनको अवैधानिक, अनियमित करार देने की संभावना थी इसलिए यह विधेयक लाया गया और नियमित करने के लिए है। लेकिन भविष्य के लिए इस प्रकार रखना बिल्कुल गलत होगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार का एक प्रश्न पहले भी आया था, सेल्स टैक्स के लिए अमेन्डमेन्ट रखा था। उसको इसलिए रिजेक्ट किया गया था कि स्पिरिट ऑफ बिल में उसका एडजस्टमेंट नहीं होता था। स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स के खिलाफ एक अमेंडमेंट माननीय मंत्री महोदय करना चाहते थे उनको अलाऊ नहीं किया। ऐसी परम्परा इस सदन में रही है। इसलिए जब हमारे यहां इस प्रकार की परम्परा है और रूलिंग मौजूद है कि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स के खिलाफ यदि कोई इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट आता है तो हाउस उनको डिस्एप्रूव करे। वह स्पिरिट के बाहर है and this should be disallowed.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Satish, you mean that this Statement of Objects

Page No.89

(श्री उपाध्यक्ष)

and Reasons does not include the omissions or defects of the future. Is that what you mean ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Elections held or to be held, but...

श्री उपाध्यक्ष : You mean 'to be held' is not covered by the Statement of Objects and Reasons?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It omits to lay down bye-election of certain...

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I follow the Hon'ble Minister, would you like to say something ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो टीक है ' ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में दिया है उसके बारे में संकेत करके आगे दिया गया है, उसके लिए यह समझें कि स्क्रिट के बाहर है, ऐसी बात नहीं है। मेन बात तो यही है। गजट में निकला था तब भी निकलाया। नया अमेन्डमेन्ट थोड़ा हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : As for example, if 'to be held' words may not have been used in the original Bill and suppose I would have moved the Amendment Bill, then that amendment would have been disallowed, because that is beyond the scope of the Statement of Objects and Reasons. Similarly, a provision in the body of the Bill, which goes against the Statement of Objects and Reasons cannot be permitted to be discussed.

श्री उपाध्यक्ष : That will do. My observations are that the point of order raised by Shri Satish Chandra is not well taken, because the Statement of Objects and Reasons does not form part of the Bill and the language is also not so stringent as to avoid any indication of the clause 2.

Therefore, I disallow the point of order raised by the Hon'ble member.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह क्लेरिफिकेशन चाहूँगा। सचिवालय से जानकारी प्राप्त की जाय कि इस प्रकार का पहले रूलिंग हुआ या नहीं और यदि रूलिंग हुआ है तो यह रूलिंग जब अगेन्स्ट जाता है तो उस रूलिंग का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : So far as my observations are concerned, I am fortified by the observations of this House. Yes.

श्री भोगजी भाई : मैं यह कह रहा था कि कानून जो भी सदन से पास होते हैं उनका पालन करने का राज्य के अधिकारियों का कर्तव्य है। किसी प्रकार की उनकी गलती को माननीय मन्त्रीजी माफ करने के लिए और आगे के लिए इसी प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए यह जो क्लॉज सदन के अन्दर विचाराधीन है उसको पास कराने जा रहे हैं। चुनाव की जो प्रणाली है वह देश के प्रजातन्त्र की नींव है। देश का जो संविधान बना हुआ है उसके अन्तर्गत सदन ने पास किया है। उस कानून का पालन करते हुए चुनाव नियमों के अनुसार होने चाहिये। को वार्ड लिस्ट, वोटर्स लिस्ट, जनता की जानकारी के लिए नोटिस आदि लगाये जायं तो यह सब नियमों के अनुसार करना अधिकारियों का कर्तव्य है और उनको उस कानून

(श्री मोगजी भाई)

और नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिये। इससे मतलब तो यह हुआ इस धारा को पास करके और आगे अधिकारियों को प्रोत्साहन देंगे कि वे आगे भी चुनावों के मामलों में गलतियां करते रहें। इससे जनता का चुनाव प्रणाली में ही विश्वास हटता जावेगा। संविधान और विधान सभा के कानून के अनुसार चुनाव प्रणाली को मान्यता दी हुई है। यह प्रजातन्त्र की नींव है, राज्य की बुनियाद है, नियमों के अनुसार ही बुनियाद बनती है, अधिकारी लोग यदि नियमोंका पालन नहीं करते हैं तो इस नींव को ही, बुनियाद को ही कमजोर बनाना है और उस नींव में गड्ढे पैदा करना है, उस नींव को कंकाल बनाना है। यदि जनता के प्रजातन्त्र के अन्दर जो इस प्रकार से अधिकार हैं उनको कमजोर किया गया तो नींव कमजोर हो जावेगी और लोगों को इस प्रजातन्त्र में भी धोखा मालूम होगा।

माननीय मन्त्री महोदय जो चुनाव कानून में इस प्रकार का परिवर्तन ला रहे हैं उनको चाहिये कि इसमें जो गलती करता है उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिये। चुनाव कराने की जो प्रणाली है, प्रजातन्त्र में लोगों का जो अधिकार है उसमें यदि कोई गलती करता है उनको अपराधी मानकर सजा देनी चाहिये इस प्रकार का कानून बनाकर उनको इस प्रकार की गलती करने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है....

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप चिन्ता न करें।

श्री मोगजी भाई : ऐसी हालत रही तो चुनाव में किसी का विश्वास नहीं रहेगा और भविष्य में इस प्रकार की गलतियां करते रहेंगे। अगर कोई इस तरह से गलतियां करता है, उन अधिकारियों को मृत्यु दंड तक की सजा होनी चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : अधिकारियों की तरफ तो आप पहले भी चले गये थे। फिर ताजीरात हिन्द का क्या होगा ?

श्री मोगजी भाई : आज जो प्रजातन्त्र की नींव है, वह चुनाव है। अगर इस प्रकार की गलतियां होती रहीं; आज चुनावों के आधार पर राज्य चलता है, अगर उन गलतियों को प्रोत्साहन देते गये तो राज्य का ढांचा बिगड़ेगा और इस तरह से प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास जाता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : भाईजी अब समाप्त करिये।

श्री मोगजी भाई : माननीय मन्त्री महोदय कानून लाये हैं, हमने जो इलेक्शन के लिये कानून पास किया था उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिये। यह जो क्लॉज लाये हैं मैं उसका विरोध करता हूँ।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस क्लॉज पर विचार व्यक्त किये वे सदन से इस समय चले गये हैं, अगर वे यहां मौजूद होते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने कहा इस कानून की धारा २६ के तहत जो रूल्स बनते हैं वे इसमें लिखे हुये हैं यह इनकॉम्प्लीमेंट विथ जनरल इलेक्शन होंगे। उनके पास वह किताब थी और उसमें से उन्होंने पढ़ा। उन्होंने समझा नहीं हो, यह तो मैं नहीं कह सकता, उनमें समझ तो है। इन दोनों बातों के होते हुए फिर तीसरा उद्देश्य कौन

Page No.91

(श्री सम्पतराम)

सा था जिसके कारण वे इस प्रकार गलत बात कह गये ? धारा २९ के तहत यह है कि इलेक्शन किस तरह से कन्डक्ट किये जायं उसमें जो व्यवस्था दी है उसका सम्बन्ध इलेक्टोरलरोल्स के प्रिपेरेशन से नहीं है। सेक्शन २३, १६ इससे सम्बन्ध नहीं रखता, यह जो यहां अन्य माननीय सदस्य सुन रहे हैं उनसे कह देंगे वे इसको देख लें।

ऑर्डिनेन्स के बारे में इसकी धारा, उप-धाराओं पर जितना विचार किया जा चुका है मैं समझता हूँ सदन, अब ज्यादा इस बारे में सरकार की तरफ से कुछ कहा जाय, इसको पसन्द नहीं करेगा। ये सवाल जो इस तरह से उठाये गये हैं उनके लिये आवश्यक हो जाता है, जिससे गेलेरीज में बैठे हुए लोगों में और प्रेस में जो रिपोर्ट छपे उसमें सही जानकारी हो इसलिये मुझे कुछ कहना जरूरी हो गया है। इस सदन में आप जानते हैं, माननीय सदस्य जानते हैं, दो-तीन अवसर आते हैं उसमें इस प्रकार की भाषण की परम्परा सी चल पड़ती है। एक तो जब आम चुनावों में जीतकर यहां आते हैं उस समय भी इसी प्रकार का भाषण होता है। आम चुनाव इलेक्शन कमीशन के तहत होता है उस समय भी राजस्थान के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सभी को आलोचना से मुस्तस्ना नहीं किया जाता है। उस पर इलेक्शन पिटिशन होती है। दूसरा पंचायत इलेक्शन के समय जब कुछ पार्टीज जीत जिताकर आती हैं उस वक्त भी इसी प्रकार के भाषण होते हैं और आज जब म्युनिसिपेलिटी के चुनाव का सवाल है उसमें भी कुछ इधर उधर होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि अब इसमें हमारी पार्टी जीत नहीं सकेगी; तो इस प्रकार के भाषण होते हैं और इन सब में राज्य कर्मचारियों की इन-एफीशियेन्सी को मानकर चलते हैं। मैं, किसी ने गलती की है उसको संरक्षण देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ। अगर कोई अन्याय करता है, गलती करता है उस तरफ कम से कम उन लोगों का ध्यान जो लॉ मेकर्स हैं उनका जरूर जाता है। अगर किसी आदमी द्वारा गलती हो गई, अगर उसका इन्टेन्शन मेलाफाइड नहीं है तो उसे क्यों दंड दिया जाय ? बड़े बड़े ऑफेन्स कर लेने पर भी हाई कोर्ट या जुडिशियरी उस व्यक्ति के इन्टेन्शन को देखती है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, सरकार ने इस बारे में प्रत्येक सम्भव उपाय किये हैं ताकि इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटी न हो; "टू बी हेल्ड" इससे यह मतलब नहीं कि हमने, राज्य कर्मचारियों ने किसी प्रकार की गलती कर दी उसके लिये उसको सर्टिफिकेट दिया हो। हम जो इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स लाये हैं उससे भविष्य में रिलीफ मिलता है तो इस प्रकार ऑर्डिनेन्स को लाने में क्या एतराज है ? यह तो समझदारी और अक्ल की बात समझनी चाहिये। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति डेट ऑफ इलेक्शन के बाद होनी चाहिये, यह रूल्स में रहेगा। हर राज्य कर्मचारी जिसका ताल्लुक होता है इससे उनके दिमाग पर छाप पड़ेगी कि छोटी सी मिस्टेक के लिये ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़ा, यह गलती आयन्दा न हो इससे उन पर धाक रहेगी। इस प्रकार की गलती से किसी प्रकार से रूलिंग पार्टी को फायदा होता हो यह बात नहीं, इससे तो सभी को फायदा होने वाला है। मान लीजिये वोटर्स लिस्ट का पब्लिकेशन ६ जगह होना चाहिये और वह एक जगह नहीं होता है हालांकि सब मतदाता जान जाते हैं, इलेक्शन

Page No.92

(श्री सम्पतराम)

के बारे में जो प्रोपेगेन्डा होता है उससे जानकारी सब को हो जाती है कि फलां जगह वोट पड़ेंगे, फिर भी पब्लिकेशन में गलती हो जाय तो उससे बचाया जाना चाहिये ताकि आयन्दा इस प्रकार की गलती न हो।

यह भी कहा गया कि सेन्ट्रल इलेक्शन कमीशन के रूल्स को हमें ग्रहण करना चाहिये; उसी को किया गया है। जिस सेक्शन की तहत आपने इन्टरप्रिटेशन किया है वह वहां लागू नहीं होगा इससे यह भी नहीं समझ लेना चाहिये, इससे एक्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा यह भी कहा गया कि चुनाव ठीक ढंग से कराने के लिये इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाय। उनके ख्याल से इलेक्शन कमीशन होना चाहिये। मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूँ। मान लीजिये अगर इलेक्शन कमीशन भी कायम हो जाता है, आखिर उसमें काम करने वाले तो वे ही राज्य कर्मचारी रहेंगे, आखिर वे ही कानून कायदे के मुताबिक चुनाव करायेंगे। उनकी लापरवाही में या उनकी कार्यकुशलता में इलेक्शन कमीशन की स्थापना से किसी प्रकार का परिवर्तन आ जायगा, ऐसी बात नहीं। साधारण तौर पर यह मानी हुई बात है कि हर कर्मचारी को मुस्तैदी से, मेहनत से, ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिये। अगर इलेक्शन कमीशन के होने से ही किसी प्रकार का सुधार हो सकता है तो इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव कराये जाने पर भी पिटिशन्स होती हैं इसी प्रकार की सभी बातें होती हैं। हो सकता है अगले चुनावों में वे आ सकें, उन्हें शायद इस प्रकार का मौका मिलेगा या नहीं, अगर आ गये तो उनका भाषण फिर होगा ...

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : यह तो दोनों के लिये समान है।

श्री सम्पतराम : इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करता हूँ जिस प्रकार का यह क्लॉज है उसी प्रकार से पास कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २ व ३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २ व ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज ४

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मेरा एक अमेन्डमेन्ट है। ये फोलोइंग वर्ड्स डिलीट कर दिये जावें :

"even though such notification is published in the official Gazette after such appointment"

इस क्लॉज ४ के अन्तर्गत यह बताया गया है कि चुनाव की तिथि और निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति होगी तो वह वैध समझी जावेगी: यदि उसका पब्लिकेशन गजट में बहुत बाद में हुआ हो। बहुत बाद में हो इसको मैं हटाना चाहता हूँ। इस कारण कि रिटर्निंग अधिकारी का या निर्वाचन अधिकारी का अपोइन्टमेन्ट कब हुआ और कौन हुआ और कौनसी तिथियों को चुनाव होगा; अगर इन बातों का पता गजट के द्वारा समय पर लोगों को नहीं होता है तो यह आसानी से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पता नहीं लग सकेगा कि कौन सी तारीख को चुनाव होगा और कौन निर्वाचन अधिकारी होगा और इसके अभाव में लोगों को बड़ी हैरानी होगी और चुनाव भी ठीक तरह से न हो पावेंगे, चुनावों की तैयारी ठीक नहीं कर पावेंगे। यह ठीक है कि लोग सरगर्मी से पता लगा लेंगे, पर राजपत्र भी एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है जानकारी और अधिकृत जानकारी प्राप्त करने का। इसलिये यह कहना कि पब्लिकेशन बाद में भी होता रहेगा यह ठीक नहीं है।

जितनी अवधि में गजट में पब्लिकेशन होना चाहिये उतनी अवधि में ही होना चाहिये; ताकि जनता को अधिकृत जानकारी मिल सके। हां, यह हो सकता है कि जहां चुनाव की तिथियों का पहले पब्लिकेशन जरूरी है और बाद में निर्वाचन अधिकारी का, वहां आप दोनों को एक साथ पब्लिश कर सकते हैं, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। गजट में समय पर पब्लिश जरूर होना चाहिये। इसके बिना कहां कहां क्या क्या होना चाहिये चुनाव की तैयारी किस तरह करनी चाहिये, तैयारी में क्या क्या करना चाहिये, इसका ज्ञान होना मुश्किल है। इतने पहले गजट में ये आ जाने चाहिये कि जिससे चुनाव की तैयारी हो सके।

यह हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद लोगों के नाम देर तक गजट में न आते हों तो कानून बना दीजिये कि वे पहले शपथ ग्रहण करके काम तुरन्त शुरू कर सकते हैं। इससे आराम मिलेगा। पर तिथियां और निर्वाचनाधिकारी के नाम भी बाद में पब्लिश करना कतई उचित नहीं है। इससे चुनावों में पार्टियों को बड़ी भारी हानि होगी और बड़ी दिक्कतें होंगी। पार्टियों को समय पर ज्ञान नहीं होगा और चोरी छिपे सारी कार्यवाहियां चलती रहेंगी। यह सही है कि सिटी मजिस्ट्रेट या एस. डी. एम. को आपने इसके लिये मुकर्रर कर दिया है कि वे अपने दफ्तरों में सारी जानकारी चिपका देंगे। पर वास्तव में इससे जनरल पब्लिकेशन नहीं होता है। गजट ही जनता की जानकारी कराने का आम स्रोत माना जाता है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु.): अलग अलग दफ्तरों में टांगने से छोरे छोरी फाड़ देते हैं। इससे क्या फायदा है?

श्री दयाकृष्ण विजय: यह सही है कि कलेक्टर ने समय पर तिथियां अनाउन्स कीं, निर्वाचन अधिकारी का नाम भी अनाउन्स करने का ऑर्डर दे दिया, अपोइन्टमेन्ट वगैरह सब हो गया; पर किसी वजह से, किसी क्लर्क आदि की मिस्टेक से या मिस्रोन की ही गलती से अगर बोर्ड पर चिपकाने से रह गया तो यह काफी बड़ी रिस्क होती है। जब आप समय पर गजट में शाया करने की गारन्टी नहीं कर सकते तो फिर एस. डी. एम. या कलेक्टर के दफ्तर की गारन्टी से यह सब कर दें, इसकी क्या गारन्टी है? क्या भरोसा हो सकता है? मान लेते हैं आसानी से इस तरह की गलती नहीं होगी, पर होना सम्भव तो है ही और उससे इलेक्शन सेट असाइड भी हो सकते हैं. हालांकि आपने हाई कोर्ट के सारे निर्णय और सारी डिटेल्स और सारी बातें वहां भेज दी हैं, सबकी उनको सूचना दे दी है। तो जब गलती वहां भी हो सकती है, तो फिर गजट में ही क्यों न शाया कर दी जावे।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री): नियमानुसार कायदा यही है कि डेट पहले

Page No.94

(श्री सम्पतराम)

गजट में शाया होनी चाहिये और बाद में रिटर्निङ्ग अधिकारी का नाम। पर अगर कहीं दफ्तर के क्लर्क की गलती से गजट में शाया होने से अगर रह गया तो केवल इस छोटी सी गलती के कारण सारा इलेक्शन सैट असाइड हो जावेगा, तो इसमें काफी बड़ी रिस्क है; हालांकि इस तरह की गलतियां होती नहीं हैं आम तौर पर। फिर भी अगर एक भी गलती रह गई कहीं और इस कारण सैट असाइड न हो, इस इरादे से अगर गजट में बाद में भी शाया हो जावे तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? हमने हाई कोर्ट के निर्णय और हमारी हिदायतें सभी रिटर्निङ्ग अफसरों के पास डिटेल के साथ भेज दी हैं। अगर एक भी जगह सैट असाइड होता है तो फायदा क्या होगा, नुकसान ही तो होगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : पहले और बाद में प्रकाशित करने में पांच-सात केस सीकर में उत्पन्न हुए हैं। तो आप इसकेलिये और तरफ प्रिकॉशन्स लेने जा रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि उधर गलती नहीं होगी, तो जब आप उधर उतना करने जा रहे हैं तो गजट में पब्लिश कराने की तरफ ही पूरा ध्यान दें न कि उधर गलती न हो। उधर भी तो कोई बार बार गलती या सब की सब गलतियें होती हों ऐसी भी बात नहीं हैं। जो दलीलें आप उधर देते हैं वे सब की सब इधर भी लागू हो सकती हैं; तो गजट में ही इन टाइम सूचना निकल जाय इस पर ही जोर देना अधिक उपयुक्त होगा। यह मेरा कहना है।

श्री सम्पतराम : यह तो ठीक है। पर कोई गजट में पब्लिश न कराने के लिए मैनीपुलेट कर दे और नोटिफिकेशन समय पर न निकल कर बाद में निकले तो इससे बचने के लिए रख दिया तो कौन सी दिक्कत है?

श्री दयाकृष्ण विजय : But the Gazette Notification is the proper notice; फिर मैनीपुलेशन की आपकी बात कलेक्टर या एस० डी० एम० के दफ्तर में भी लाई हो सकती है मैनीपुलेशन कहीं भी हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४, ५ और ६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज ४ ५ और ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज १ टाइटल; इनेक्टिंग फॉर्मुला इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १ टाइटल, इनेक्टिंग फॉर्मुला इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े जाएं।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, टाइटल, इनेक्टिंग फॉर्मुला

Page No.95

(श्री उपाध्यक्ष)

इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गए।

श्री सम्पतराम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जावे ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ पर मुझे आपत्ति थी। पर पहले वह जल्दी से पास कर दिया गया इसलिए अब बोलने का अवसर मिल गया है; तो मैं उस पर बोलना चाहता हूँ ।

वैसे राजस्थान में नगरपालिकाओं में कई जगह आपत्तियां उठाई गई हैं। कई जगह मतदाता सूचियां समय पर नहीं बन पाईं या जो बनीं उनमें काफी गलतियां रह गईं। या कहीं पर रिटर्निंग ऑफिसर को समय पर नियुक्त करना चाहिए था तो उसकी समय पर नियुक्ति नहीं की गई। इनसे भी कानूनी अड़चनें आईं और इसके कारण शंका प्रकट की गई कि इन निर्वाचनों के खिलाफ चुनाव याचिकाएं प्रस्तुत की जा सकेंगी और उस शंका को दूर करने के लिए इस प्रकार का ऑर्डिनेंस पहले जारी किया और अब इस प्रकार का विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां पर इस प्रकार की भावना हो कि छोटी छोटी बातों के लिए चुनाव याचिकाएं न हों तो चुनाव के बाद कार्य आरंभ कर दें।

(४ म० प०)

जहां यह भावना है इसको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन यहां यह दिखता है कि इस विधेयक का जो क्लॉज ५ है उसकी तहत जिस प्रकार के जो अधिकार हैं उनको आप छीन रहे हैं जनता से, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से। वह क्लॉज किसी भी प्रकार से इस जनतन्त्र के युग में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि आप समझते हैं कि छोटी छोटी गलतियां से कोई इलेक्शन चैलेन्ज होने वाला है तो मैं पहले ही मांग करता हूँ कि आप अपने नियम वगैरह अच्छे बनाइए जिससे किसी प्रकार की गलती न हो। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि आपके कानून और एक्ट इतने गलत नहीं हैं जितने आपके अधिकारी हैं. जिनके कारण अड़चन होती है। यदि आपके अधिकारी समय समय पर ठीक ढंग से पहले उनको पढ़ लें कि किसकी नियुक्ति होनी है और कौन निर्वाचन अधिकारी होना चाहिए, किस तरह से विवरण देना चाहिए, कब सूचियों का पब्लिकेशन करना चाहिए, इन बातों का उनको ज्ञान नहीं होता है। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, मैं ऐसे अधिकारी बता सकता हूँ। कुछ वार्डों का कोटा में बाइ-इलेक्शन हुआ था। हालांकि हाईकोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी इलेक्शन में जल्दी की। मैं अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ व्यक्तियों ने जाकर आपके सारे दफ्तर को गाइड किया और सुझाव दिया और उनके आधार पर इलेक्शन की कार्यवाही हुई। आपके अधिकारी इतना नहीं समझते थे कि वहां पर चुनाव किस प्रकार से कन्डक्ट किए जायं। मैं उन पर आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन कहना चाहता हूँ कि आप चुनाव नियम तो बनाते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्लर्कों को ज्ञान नहीं होता है। सिटी मजिस्ट्रेट अपने काम में डील करते हैं, उनको मजिस्ट्रेटी का ज्ञान हो सकता है लेकिन वे चुनाव के काम से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि आपके सिटी मेजिस्ट्रेट और एस. डी. ओ. काम में इतने व्यस्त होते हैं कि उनको अवकाश कम मिलता है। एक तो उनको सारे नगर का और दूसरा अपने सेन्टर का काम देखना पड़ता है और फिर दूसरी बात यह होती है कि जुडिशियल कागजात में डील करने पड़ते हैं। इनके बजाय सारा एक्स्ट्रा बर्डन आता है उनको डील नहीं कर सकते। इसलिये यह मांग की गई थी कि यदि सारी बातों का सुधार करना है तो बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम राजस्थान में एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन स्वायत्त शासन संस्थाओं के लिए बनावें और सारे इलेक्शन प्रोसीजर को रेगुलेराइज करें ताकि छोटी छोटी गलतियां न हों और ऑर्डिनेन्स न निकालने पड़ें। जो कुछ गलतियें हैं वे कानून या नियम के कारण इतनी नहीं है जितनी अधिकारियों द्वारा हो रही हैं और इसके लिए सारे संबंधित अधिकारियों को पीनेलाइज करना चाहिये, न कि ऐसा कानून बनावें कि जनता को अदालत में जाने के लिये मजबूर होना पड़े। आपने यह प्रावधान रखा है कि उनको इर्रेगुलेरिटी मालूम होती है तो अदालत में जा सकते हैं और आश्रय प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जब आप इस प्रकार के क्लॉज लायेंगे कि नियम गलत हो जाये तो किसी प्रकार से चेलेन्ज नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ आज के जनतंत्र में फंडामेन्टल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारन्टीड हैं, उनके संरक्षण के लिये जुडिशियरी में जायेंगे उसके लिये यदि आप कुठाराघात करते हैं तो आज के युग में सराहनीय नहीं हो सकता बल्कि आप डेमोक्रेसी का गला घोंट रहे हैं फंडामेन्टल राइट्स को कम करके केवल यह चाहते हैं कि राज्याधिकारियों को गारन्टी करदें; किसी को नुकसान हुआ है उसकी परवाह न करके राज्याधिकारी पीनेलाइज नहीं होंगे, उनको संरक्षण देते रहेंगे लेकिन जनता का राइट है जुडिशियरी में जाने का उसको रोक देंगे, इसको मैं परंपरा नहीं कहूँगा, अच्छी चीज नहीं कहूँगा।

जैसा कि पहले सुझाव दिया था कि सेपरेट इलेक्शन कमीशन हो उसी प्रकार से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सारे इलेक्शन्स को गाइड करने के लिये मशीनरी होनी चाहिये। मुझे याद है पंचायतों के चुनाव के लिए और दूसरे चुनावों के लिये कलेक्टर को रेस्पोन्सिबल बनाया है और उनके पास कर्मचारी हैं, लेकिन वे भी इतने ट्रेन्ड नहीं हैं। जिन पंचायतों के लिये रिट पिटीशन्स हुई हैं और उनके फैसले हुए, दो दो महीने हो गये लेकिन वहां के कर्मचारियों ने दुबारा चुनाव कराने की चेष्टा नहीं की है, जैसा कि मेरा अनुभव है हरनोदा पंचायत का। जब तक कोई पार्टी लिखकर, तैयार करके मेटर नहीं देगी तब तक नहीं करवाते हैं। मैं यह भी कहूँगा कि छोटे कर्मचारियों को ट्रेन करने के लिये शिविर करें और उनको गाइड करें तो इस प्रकार की गलतियां नहीं होंगी, ऑर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। एक सेपरेट डिपार्टमेन्ट होगा तो कोई भी पार्टी हारती है या जीतती है तो आप उनको संरक्षण देने के लिये समय समय पर ऑर्डिनेन्स निकालते हैं और आप पर आरोप लगाया जाता है उससे मुक्त हो जायेंगे और इलेक्शन कमीशन अपने आप में ऑटोनोमस होगा, इन्डिपेन्डेट होगा और पॉवरफुल होगा और जितने भी चुनाव कराये जायेंगे वे स्वतंत्ररूप से, ठीक ढंग से कराये जायेंगे।

आज-कल कई नगरपालिकाओं के चुनाव

(श्री दयाकृष्ण विजय)
समय पर नहीं होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने पड़ते हैं। आखिर क्यों ? इसका कारण यह है कि सारा विभाग इतना बिजी रहता है कि उसको ध्यान नहीं रहता कि किस नगरपालिका का समय पूरा हो रहा है, उससे पहले ही कार्यवाही चुनाव के लिये कर दें। लेकिन समय खत्म होने के बाद कार्यवाही हो, यह अच्छी परम्परा नहीं है; बल्कि तीन साल पूरे होने से पहले ही कार्यवाही होनी चाहिये। इसलिये मैं कहूँगा कि धारा ५ के द्वारा जिस प्रकार से जनता के प्रतिनिधियों को अदालत तक जाने से रोका है वह आपत्तिजनक है। इस क्लाज को रखने के बजाय यदि आप अधिकारियों को ठीक करें, नियम ठीक बनावें तो अच्छा है, लेकिन जनतंत्र की हत्या न करें, जनता को दिये गये अधिकार हैं जुडिशियरी से संरक्षण प्राप्त करने के लिये, वे यदि उनको नहीं मिले तो मैं समझता हूँ, इस प्रकार के क्लॉज को पास करना अपने ही अधिकारों को कश करना होगा। अपने ही हाथ से और जानते हुए हम कश करते हैं तो ठीक बात नहीं होगी। हम प्रजातंत्र के पहरेदार हैं, अपने और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिये आये हैं। खुले मस्तिष्क से, बिना दिमाग पर आवरण रखे सोचना चाहिये कि जहां जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होता है वह हम उनके लिये लड़ेंगे। इसलिये मैं कहता हूँ कि क्लॉज ५ को विलोपित करना चाहिये, इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपल बिल अमेन्ड करने का बिल रखा है और जो पारित होने जा रहा है, मैं उसके संबंध में जो कुछ हुआ है, अपने विचार रखना चाहता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह जो नगरपालिका विधेयक है, कानून है यह आज के युग के अनुसार जो कुछ हमने परिवर्तन किये और आज जिस परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं उसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो मैं समझता हूँ नगरपालिका कानून जो है वह राजस्थान के लिये कुछ हद तक जरूरी है, लेकिन जिस गति और प्रवाह के साथ आगे बढ़ते हैं उसको सोचते हैं तो मालूम पड़ता है कि आज का कानून रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाय तो भी ऐसा नहीं है कि कोई और प्रकार की स्थिति हो जायगी। आज का युग प्रवाह के साथ जा रहा है उसमें नहीं बैठेगा। आज हमने लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण करके जिस प्रकार से पंचायतों को अधिकार दिये हैं, पंचायत समितियों का निर्माण किया है और जनतांत्रिक तरीके से काम करने का अधिकार दिया है उन पर सोचते हैं और इसके अनुसार पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति आते हैं उनके अधिकारों की तुलना करते हैं तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि इनमें बड़ा भारी अन्तर है। उनके बीच में और इसमें बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

यह हमने इसी ५ साल के अन्तर्गत, इसी अरसे के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण का बिल पास किया। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए कानून बनाया, तो अगर उसी आधार पर सोचकर मंत्री महोदय कोई संशोधन ऐसा लाते कि नहीं आज के जमाने के अनुसार इसमें कानूनी परिवर्तन करना है, उस चिन्तन के आधार पर नया परिवर्तन लाते तो मैं बताता कि आज के हमारे स्वायत्त शासन मंत्री युग की धारा के साथ जाने के लिए इतने जागरूक हैं कि इतने पीछे की चीज को पसंद नहीं करते और नई चीज लाने के लिए एक प्रगतिवादी कदम उठाते हैं। परन्तु उस पर तो कोई सोचा ही नहीं गया कि किस प्रकार का यह हमारा कानून है और इस कानून में परि-

(श्री मुरलीधर व्यास)

वर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं ? उस पर कोई सोचा नहीं और ऐसा संशोधन लाने का कोई विचार नहीं किया। उसमें गौरव इनको मिल सकता था कि इसी अर्से के अन्तर्गत वह कानून बनाया है और इसी अर्से से सम्बन्धित यह कानून बनाने में कितने जागरूक हैं, और आम जनता को रास्ता बता सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का हम दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि राजस्थान ने इतना बड़ा कार्य किया है, लेकिन इसके साथ-साथ उससे संबंधित जो यह कानून है उसके मुकाबले में कैसे पीछे पड़ा हुआ है। परन्तु उस ओर ख्याल नहीं देते। संशोधन लाने की तरफ रुजू तो हैं, हम आर्डिनेन्स भी ला सकते हैं, दूसरा सारा काम कर सकते हैं, परन्तु उस करने में आपकी मन्शा अगर वाकई कोई जनता के हित के दृष्टिकोण से नई परम्परा के अनुसार कोई चीज बदलने की होती तो उस प्रकार की बात करते। आज जो इसमें हो रहा है, यह ठीक बात है कि परिस्थितियों से बीच में करने की आवश्यकता थी, मैं इसको मानता हूँ, परन्तु यह कहना चाहता हूँ कि यह जो नगरपालिका के चुनाव कुछ समय पहले हो चुके और उन चुनावों के होने के बाद में कुछ खामियां नजर में आई हैं जो लोगों ने पेश की हैं, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और चुनावों में आगे जाकर इलेक्शन पिटीशन नहीं करें, उसका बुरा नतीजा नहीं निकले। नतीजा क्या निकलता ? नतीजा यह होता कि अगर कोई गलत काम हुआ है कानून के खिलाफ तो वह न्याय के दरवाजों को खड़खड़ा देता और न्याय प्राप्त करता तो नगरपालिका में कुछ को लाभ मिलता और कुछ को नुकसान होता, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती, परन्तु मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक परम्पराओं में कोई भी सरकार का चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिए, चारित्रिक दृष्टिकोण से बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है लोकतांत्रिक परम्पराओं को निभाने की कि वह इस बात का ख्याल रखें कि वह संशोधन पार्टी विशेष के हित के लिए नहीं हो। लेकिन यहां पर संशोधन इसी आधार पर लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह लोकतांत्रिक परम्पराओं के विपरीत है। सरकार के चरित्र पर बड़ा भारी कलंक है कि अपनी पार्टी के दृष्टिकोण से ऐसे कुछ परिवर्तन लाती है। मैं यह मानता हूँ कि यह जो कुछ भी संशोधन लाया गया है वह सिर्फ पार्टी के दृष्टिकोण को रखकर लाया गया है ताकि उनकी पार्टी को लाभ मिल सके। आम जनता को लाभ मिल सके लोकतंत्र में, यह दृष्टिकोण हमारा कतई नहीं है। मैं सोचता हूँ कि नगर पालिकाओं के चुनाव कई जगहों पर आपने कराये और यह जो कानूनी खामियां रह गईं इस कानून के अन्तर्गत, तो किसी जगह पर अवश्य कांग्रेस को अधिक कामयाबी मिली है और कुछ स्थानों पर नहीं मिली, परन्तु अधिकांश स्थानों पर कामयाबी मिल गई, इसलिए क्योंकि चुनाव पिटीशन होगी तो उसका नतीजा दूसरा निकल जायगा और इस तरह से उनको नुकसान होगा, हमारी पार्टी को नुकसान होगा इसके अतिरिक्त और दूसरी चीज नहीं समझता। मैं जानता हूँ कि देवली के चुनाव हुए और नैनवा के चुनाव हुए वहां पर १० और ५ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर्स आये, और और जगह १-२ कम रह गए तो इस प्रकार का कानून नहीं होता तो न्याय के दरवाजे पर जाकर कह सकता है कि चुनाव गलत प्रकार से हुआ है, चुनाव फिर होना चाहिए। इसी प्रकार से फैसला होगा, मैं कह सकता हूँ; परन्तु जब हम यह पास कर देते हैं तो हम दरवाजे के पास जाते हैं तो न्याय नहीं मिलता है। आपको लाकर-

Page No.99

(श्री मुरलीधर व्यास)

बाजी के कारण से । हर जगह पर इस प्रकार से जाता तो इस कानून को कभी नहीं बनाते, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर आपको कामयाबी मिली दूसरे विरोधी दलों के खिलाफ। उनके खिलाफ लड़ने का आगे जाकर मौका मिलता है और नुकसान हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि सत्ता वाली पार्टी को जनतन्त्र में विरोधी पक्ष का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपने पक्ष का नहीं । उसका ख्याल यह होना चाहिए चारित्रिक दृष्टिकोण से कि विरोधी पक्ष को ज्यादा पनपायें, यह दृष्टिकोण बनाना चाहिए। आज लोकतन्त्र में सन्तुलित विरोधी दल होना चाहिए चाहे वह नगरपालिका का दृष्टिकोण हो चाहे सदन का हो। ठीक बात है कि अगर हम देश में से बुराई मिटाना चाहते हैं तो लोकतन्त्र का बुनियादी सिद्धान्त है इसको चारित्रिक दृष्टिकोण से सत्तावालों को सोचना चाहिए जिससे मुल्क को अच्छा रास्ता बता सकते हैं और मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं । मुल्क से भ्रष्टाचार और बुराई समाप्त हो सकती है। वह उसी हालत में अन्दर हो सकता है जब कि विरोधी पक्ष संतुलित हो। यदि सरकार कोई बुराई के रास्ते पर जाती है तो वह उसको हटा सकता है। यह बेलेन्स रखने का दृष्टिकोण एक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। बेलेन्स रखने का दृष्टिकोण नहीं बनाकर बल्कि यह दृष्टिकोण बनाते हैं चाहे वह ट्रेड युनियन का मामला हो या म्युनिसिपेलिटी का मामला हो, चाहे पंचायत का मामला हो, या आम चुनाव का मामला हो विरोधी पार्टी को येन केन-प्रकारेण परास्त करना है, दबाना है, इससे अपनी पार्टी का नाम बहुत ऊंचा होगा कि हमारी पार्टी ने बहुत कामयाबी हासिल की है उससे राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता है और राजस्थान में होने वाले भ्रष्टाचार, चोर-बाजारी और जितनी भी ज्यादा बुराइयां हो सकती हैं उनको समाप्त नहीं कर सकते हैं। इनको समाप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह दृष्टिकोण हमारा कतई नहीं हो। हमारा यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा नया संशोधन लायें जिससे अपने आप की रक्षा कर सकें। उस रक्षा करने में भी यहां तक इस प्रकार का कानून पास कराना चाहते हैं जिससे विरोधी पक्ष किसी प्रकार से आगे जाकर कोई न्याय प्राप्त नहीं कर सके। इसके अन्तर्गत तो यहां तक लिख दिया है, यह ठीक बात है कि आप समझने-सोचने को तैयार हैं कि किसी प्रकार से चुनाव के बाद में....

श्री संपतराम : आपने ऑर्डिनेन्स को समझा भी है कि नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : समझ लिया है आपके दृष्टिकोण को।

श्री संपतराम : आप ऑर्डिनेन्स का मुद्दा ही बता दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

श्री भैरोंसिंह : ये तो समझ गये हैं। आप नहीं समझे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो हर आदमी जानता है कि आप किस प्रकार से, किस तरीके से पास करा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। चाहे किसी तरीके से सोचिये, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह दृष्टिकोण आपने इस प्रकार का रखा है, इस

Page No.100

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रकार का क्लॉज इसमें रख कर आपकी जो गलतियां हैं उन गलतियों से अपने आपको दूर करना है। जो जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए, मन्त्री को होनी चाहिये, प्रशासक की होनी चाहिए, वहां आप अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, बल्कि जो खामियां हो चुकी हैं और उसके साथ-साथ आगे कोई भी करें तो ऐसे मामलों में किसी प्रकार से आगे जाकर अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें एक क्लॉज इस प्रकार का है कि मूलभूत जो बुनियादी अधिकार हैं जिनके जरिये से हम आवाज रखना चाहते हैं उस आवाज को रखने में रोक दें। इस प्रकार का यह विधेयक रखा है, संशोधन विधेयक रखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी मन्शा के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि मंशा बहुत अच्छी है, परन्तु यह चाहे कितनी भी बात कहिये इसके लिए जो इससे सम्बन्धित है वह जानता है कि इन धाराओं का आगे क्या नतीजा निकलेगा। वह वे जानते हैं।

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह किसी भी सरकार के लिए करना एक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं समझता। जो कुछ भी चुनाव हो चुके उनके अन्तर्गत जो कुछ खामियां रही हैं और उसका लाभ किसी दूसरे को मिलता है तो उसका लाभ देने का पूरा मौका देना चाहिए। यह ठीक बात है, हमारी कुछ खामियां रहीं और उसके ऊपर जो कुछ फैसले हो चुके और उनके लिए इस प्रकार का बिल लाते हैं तो यह जनतंत्र के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है, यह उसके सिद्धान्तों के प्रतिकूल जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो संशोधित बिल है मैं इसका विरोध करता हूँ और मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा था माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के आने के बाद में नया परिवर्तन आयेगा और पुरानी परम्परायें समाप्त होंगी। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा खुद का इम्प्रेशन इस प्रकार का रहा है कि पहले कुम्भाराम जी थे उनके समय में गड़बड़ें होती थीं, फिर बद्रीप्रसाद जी आये उस समय भी हमने ऐसा ही अनुभव किया और बाद में आप आये तो आपके लिए भी हम ऐसा ही अनुभव ले रहे हैं कि आप जनतंत्र की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज बीकानेर की नगरपालिका के चुनावों को ५ साल हो गया लेकिन वह अभी तक नहीं हुए और दूसरे स्थानों के लिए ऐसा ही दृष्टिकोण रहा है तो ऐसा दृष्टिकोण चाहे किसी स्थान के लिए हो वह चाहे जितना कहें कि वे लोकतंत्रीय तरीकों से काम करने वाले हैं, परन्तु व्यवहार में नहीं हैं, चरित्र में नहीं है, काम में नहीं है तो उससे आम आदमियों के दिमागों में यह होता है कि आप जनतंत्र के प्रतिकूल जा रहे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने जो संशोधित बिल रखा है यह लोकतांत्रिक परम्परा के अनुकूल नहीं है और इसके जो क्लॉजेज हैं वे लोकतांत्रिक परम्पराओं के नहीं हैं। अगर इनको रखना ही था तो आप लोकतंत्र की तरह ही इसकी ओर बढ़ते और ऐसे ही इसमें संशोधन लाते। अगर आप ऐसा करते तो लोकतंत्र में और चार चांद लगा सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सम्मुख म्युनिसिपल इलेक्शन (वेलीडेटिंग) बिल करी

(श्री मोहरसिंह)

बन पास होने जा रहा है उसके संबंध में चन्द शब्द सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में देखने में यह बिल बहुत छोटा दिखाई देता है और फील्ड में इसका जो कुछ असर होगा वह महसूस करने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर आकर हम सब सदस्य महानुभाव जो कुछ बिल बनाते हैं, कानून बनाते हैं, यहां पर जो कुछ पास करते हैं उसका पब्लिक के ऊपर क्या असर होता है, उसके ऊपर भी हमें महसूस करना ही चाहिए। हम लोग जो कुछ कानून यहां बनाते हैं उनका पब्लिक के ऊपर जो कुछ असर होता है वह महत्व की बात है और उसके ऊपर विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमने यहां पर कितने ही कानून बनाये हैं उनका जनता के ऊपर क्या कुछ असर पड़ा है उसके ऊपर अमली तौर पर पब्लिक के अन्दर जाकर पूछताछ करके, उनकी हालात देखकर कि उनके ऊपर क्या असर हुआ है इसकी मैंने आजमाइश की है। जितने भी कानून हैं उनका जितना भी लोगों पर असर पड़ा है वह यहां प्रसंग की बात नहीं है। अगर उनका रिव्यू किया जाये वेलुएशन किया जाये कि पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ा है, इस बात का मूल्यांकन किया जाये तो यह भी उतना ही जरूरी है जितना कि कानून बनाना। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर जहां हम विचार करते हैं तो आज इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमने मैदान तो मार लिया, बड़ी चीजें हासिल कर ली और वह यह कि राजाओं के जन्मे हुए बेटे राजा नहीं बनेंगे, जनता जिसको चाहेगी अपना प्रतिनिधि बनायेगी चाहे वह पंचायतों के बेसिस पर हो, चाहे विधान सभा के स्तर पर हो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल हमने आज बहुमत के जोर पर पास कर दिया तो हमें बाद में मालूम होगा कि इसका जनता के ऊपर क्या असर होगा? इसका अधिकारियों के ऊपर क्या असर होगा जनता के ऊपर क्या असर होगा, हमारी निगाहों में अदालतों के सम्बन्ध में जो श्रद्धा होनी चाहिए उसके अन्दर क्या फर्क पड़ेगा? ये चन्द बातें हैं जिनके ऊपर अच्छी तरह से महसूस करना चाहिए बिल को पास करने के पहले। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में प्रजातंत्र और यह बिल दोनों एक दूसरे के मुखतलिफ जाते हैं। हमने डेमोक्रेटिक सेन्ट्रेलाइजेशन का रास्ता तय किया है और आज इस बिल को पास करके यह दिखाना चाहते हैं कि हमारी अदालतों के ऊपर इतनी श्रद्धा है। जनता के लोग इस बात पर नहीं जायेंगे बल्कि ऐसा करके हम जनता को हाईकोर्ट में जाने से भी वंचित कर देंगे। ये चीजें हमारे लिए नजीर पेश करती है कि हम किस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चीज छोटी है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होने जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि इस बिल को पास करने के लिए हमें विचार करना चाहिए। यह प्रजातंत्र के खिलाफ है। स्वायत्त शासन संस्थाओं के काम करने के तरीकों में अड़चन आने की चीज है। साथ में इससे पब्लिक का हेरेसमेन्ट होगा और हमारी विधान सभा के काम करने की परम्परायें हैं उनमें भी रुकावट आयेगी और उसमें भी नई परम्परा डाल रहे हैं। इस प्रकार की चीज हमें बहुत सोच-विचार कर पास करनी चाहिए। इसलिए मैं तो कहूँगा उपाध्यक्ष महोदय कि यह जनता के लिए चेतावनी है। अभी सवाल आया था कि पिछली गलतियों को दूर करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, लेकिन हम सदा

(श्री मोहरसिंह)

के लिए ऐसा रास्ता खोल रहे हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होने की संभावना बढ़ती जा रही है और जिसके फलस्वरूप जो हमारा प्रजातंत्र का रवैया है वह सारा का सारा नष्ट हो जायेगा। ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर विचार करने के बाद हम इस बिल को पास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन शब्दों के साथ में इसके लिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार की गलत परम्पराओं वाली चीज पास करके हम हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक के ऊपर विरोधी दल की तरफ से स्पष्ट रूप में और कांग्रेस की ओर से अस्पष्ट रूप में और से विशेष तौर पर दबे हुए शब्दों में जो इस कानून का विरोध हुआ है उससे ऐसा लगता है कि यह सदन इस प्रकार के कानून के पारित होने के पक्ष में नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने अलग-अलग मुद्दे उठाकर इस कानून का विरोध किया है।

मैं ऐसा समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार के दृष्टिकोण या सरकार की मजबूरी से ऐसा लगता है कि हमारी सरकार कई ऐसे मुद्दों पर मजबूर होती है, जिन पर मजबूर होने की आवश्यकता नहीं है। यह कानून, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, इस विधान सभा ने बनाया था। लेजिस्लेटिव असेम्बली का यह अधिकार है, कर्तव्य है कि राजस्थान के प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में, नीतियों के सम्बन्ध में, व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कोई कानून बनाये और कानून बनाने में उसकी अपनी एक अलग इन्डिपेन्डेन्स है। कानून बनाने में केवल विरोधी दल के सदस्यों का साथ होता है, या सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का साथ होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ दल की ओर से नीतिनिर्धारण करने का काम केबिनेट का है, उस केबिनेट के सदस्य साथ होते हैं। कानून गलत बनाना, कानून सही बनाना और कानून का किस प्रकार अमल होगा, इस सारी रेस्पोन्सिबिलिटी को सामने रख कर कानून पारित किया जाता है। तो जहां तक लेजिस्लेटिव फंक्शन हैं, उन लेजिस्लेटिव फंक्शन्स को कानून बनाकर इस विधान सभा ने पूरा किया है लेकिन लेजिस्लेटिव फंक्न्स हैं किसी कानून का बना देना। उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का फंक्शन नहीं है। उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी एक एक्जीक्युटिव नाम की व्यवस्था है और उसे एक्जीक्यूटिव नाम की व्यवस्था और कानूनी बॉडी लेजिस्लेटिव व्यवस्था, इन दोनों के अन्दर इस प्रकार का अन्तरंग कोआर्डिनेशन होता है, जिस कोआर्डिनेशन के आधार पर लेजिस्लेटिव विशेज को एक्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करे। तो समझना यह है कि आज के इस युग के अन्दर इस सरल शासन-व्यवस्था का जो हेड है, वह लेजिस्लेटिव बॉडी है उस एक्जीक्यूटिव व्यवस्था का। आज के युग में जो भी डेमोक्रेटिक कन्ट्री है या जहां भी प्रजातंत्र की सत्ता है वहां लेजिस्लेटिव को महत्व दिया गया है, लेजिस्लेटिव बॉडी का ज्यादा महत्व है। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वह लेजिस्लेटिव बॉडी एक्जीक्यूटिव के सामने कमजोर है और एक्जीक्यूटिव द्वारा लेजिस्लेटिव विशेज की कम्प्लायन्स न करने की शिकायत इस सदन में की जाती है और लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स की शिकायत का केबिनेट के मेम्बर्स

(श्री भैरोंसिंह)

डिफेन्ड करते हैं। और डिफेन्स करने से ऐसा लगता है कि सरकार इस स्थिति में आ गई है कि लेजिस्लेटिव प्रेस्टिज को एक्जीक्यूटिव के सामने मेन्टेन नहीं कर सकती। आज हमने जो कानून बनाया है, उसकी तामील किसने नहीं की? तामील करने वाला कौन है? उस एक्जीक्यूटिव में मिनिस्टर को शामिल करें, ऑफिसर्स को शामिल करें, लेकिन तामील करने की रेस्पोन्सिबिलिटी ऑफिसर्स के या मिनिस्टर्स के ऊपर थी। उन्होंने लेजिस्लेटिव विशेज को कम्प्लाई नहीं किया, उनको प्रीमियम देने की बात करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करके चलना पड़ेगा, सरकार को दबे हुए शब्दों में, प्रकट शब्दों में, किन्हीं शब्दों में स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव बॉडी को एग्जीक्युटिव हेय समझती है, लेजिस्लेटिव बॉडी की जो इम्पोर्टेन्स होनी चाहिए, एक्जीक्यूटिव बॉडी ने आज उसको समाप्त किया है उसको समाप्त करने की जिम्मेदारी है, वह सदन की नहीं है बल्कि सदन में जो पार्टी रूल करती है, राजस्थान में जिस पार्टी का राज्य है, उस पार्टी की रेस्पोन्सिबिलिटी शुरू से है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की लेजिस्लेटिव बॉडी एक कानून बनाये, उसकी एक्जीक्यूटिव बॉडी तामील नहीं करे तो उसका स्पष्ट मतलब होता है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी की विशेज हैं, उस लेजिस्लेटिव फंक्शन की तामील करने की जिम्मेदारी एक्जीक्युटिव की है, अगर वह नहीं कर पाती है तो यह उसकी अयोग्यता की सूचक है। तो सरकारी अधिकारियों की उस अयोग्यता के कारण उन्हें अगर प्रीमियम मिलता है तो मैं राजस्थान के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को धन्यवाद दूँगा कि डेमोक्रेसी को आघात पहुंचाने के लिए, डेमोक्रेसी को चलाने वाले सदन और राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे को चलाने वाले लोग हैं, उनको अपने मुकाबले में अयोग्य सिद्ध कर दिया है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि अपने हर कदम के द्वारा दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में यह भावना पैदा करते कि आज ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन आज डेमोक्रेसी का संचालन करने वाले सदस्य विधान सभा में बैठे हुए हैं, और केबिनेट के मिनिस्टर भी विधान सभा के सदस्य हैं। उनको इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि एक सेक्रेट्री, एक ऑफिसर, एक कलेक्टर हमारी सरकार को कुछ भी कह दे। उनकी गलतियों के बारे में सरकार नहीं समझती कि इसने गलती कौन सी की है, कौन सा बड़ा पाप किया है? मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के अन्दर लेजिस्लेटिव फंक्शन्स की इन्सल्ट करना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हमारे मन्त्रि-मंडल के लोग इसे स्वीकार करके चलते हैं, मंत्रि-मंडल के लोग ऐसे पाप से प्रेरणा लेते हैं। इससे प्रोत्साहित होते हैं कि इस पाप को किस प्रकार से बढ़ाया जाय। इससे ब्यूरोक्रेसी को प्रोत्साहन मिलता है और वह उसको कार्यरूप में परिणत करने की कोशिश करती है। सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि इस कानून के पारित होने का मतलब यह है कि राजस्थान के एक्जीक्यूटिव फंक्शन्स पर ब्यूरोक्रेस बॉडी बुरी तरह हावी हैं और इससे डेमोक्रेसी की सारी इन्स्टीट्यूशन्स पर उसके द्वारा जबरदस्त आघात पहुंचा है। उसका मुकाबला करने की शक्ति, योग्यता और साहस हमारे मंत्रि-मंडल में होना चाहिए, वह नहीं है। वर्ना कोई मन्त्री इस प्रकार नहीं सोचता कि हमारे ऑफिसर्स की गलतियां जो डेमोक्रेसी को खत्म करने

Page No.104

(श्री भैरोंसिंह)

के लिए की गई हैं, उनको हाउस में प्रोटेक्शन दिया जाय।

दूसरा प्रश्न, उपाध्यक्ष महोदय, आता है जुडिशियरी का। पहला प्रश्न है एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का और दूसरा आता है जुडिशियरी का। हमने एक संविधान बनाया है। उस संविधान के अन्दर हमने कई धाराओं को रखा है और उन धाराओं में हमने इस प्रकार के भाव भरे हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर तीनों फंक्शन्स अलग हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग है, एक्जीक्यूटिव फंक्शन अलग है और जुडिशियरी फंक्शन अलग है। इन तीनों फंक्शन्स को सेपरेट करने की हमने व्यवस्था की। एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को सेपरेट करने की व्यवस्था की है और लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी अलग-अलग हैं। ये तीनों अलग-अलग हैं, इसलिए इनके काम और फंक्शन्स अलग-अलग हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को प्रोटेक्शन पाने का तीनों से फंडामेंटल राइट है। ये तीनों इन्स्टीट्यूशन्स एक आदमी को किस प्रकार संरक्षण दे सकती हैं, इस प्रकार के संविधान में भावनात्मक अधिकार दिये गये हैं। इस भावनात्मक अधिकार पर ब्यूरोक्रेसी को हावी कर दिया है और जुडिशियरी के प्रति अविश्वास प्रकट कर दिया है, बिल्कुल अविश्वास प्रगट कर दिया है। सरकार समझती है कि जुडिशियरी को इसमें मामूली अधिकार दे दिया तो एक्जीक्यूटिव जो भी गलतियां करती है उनका वह निराकरण करेगी और निराकरण करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालेगी, सरकार के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करेगी। सरकार चाहती है कि एक्जीक्यूटिव ऐसी गलतियां करती रहे और इस प्रकार की गलतियों को दूर करने के लिए जो लेजिस्लेटिव कानून बना रही है, उसके अन्दर इस तरह के क्लॉजेज देख कर आज यह भावना होती है कि सरकार चाहती है कि लोग जुडिशियरी के सामने अपने ग्रीवान्सेज न रख सकें, लोग लॉ कोर्ट में गलतियों के बारे में केस न चला सकें।

अब एक प्रश्न आता है हमारे जुडिशियल फंक्शन्स को बन्द करने का और दूसरी तरफ सरकार ने अस्पष्ट रूप से जुडिशियरी के प्रति अविश्वास प्रकट किया है। वह समझती है कि इस कानून में जुडिशियरी का अधिकार रखा, फंक्शन रखा कि जुडिशियल कोर्ट में जाकर लोग संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके कामों के अन्दर जुडिशियल कोर्ट इन्टरफिअर करती रहेंगी। सरकार महसूस करती है कि अगर वह इन्टरफिअर करती रहे तो जो हमारा काम है वह बन्द हो जायगा। इसका मतलब स्पष्ट रूप से यह निकलता है कि सरकार का जुडिशियरी के प्रति अविश्वास है और अविश्वास इस कारण से है कि काम में इन्टरफियरेन्स होगा और कामों का एक्जीक्यूशन जिस तरह से सरकार करना चाहती है, वह नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अविश्वास का कारण यह नहीं है कि जुडिशियरी जहां इन्टरफियर करती हैं, वह वहां करती है जहां कानून के इम्प्लीमेंटेशन और लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा बनाये गये कानून के इम्प्लीमेन्टेशन के अन्दर कहीं गड़बड़ी हो। आज जो लेजिस्लेटिव बॉडी का फंक्शन है, वह लेजिस्लेचर ने पूरा किया। अब जुडिशियरी किसी को प्रोटेक्शन देती है, तो वहां देती है जहां कानून बनाने वाली और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एक्जीक्यूटिव बॉडी ने उसके इम्प्लीमेंटेशन करने में कहीं

(श्री भैरोंसिंह)

गलती की हो, लेजिस्लेटिव बॉडी की विशेज की कम्प्लायन्स नहीं की हो। किसी को न्याय देने का काम जुडिशियरी का है। तीनों का काम अलग-अलग चलता है लेकिन आवश्यकता यह है कि इन तीनों में कोऑर्डिशन हो। मैं समझता हूँ कि आज लेजिस्लेशन को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दिया है, इसके साथ ही जुडिशियरी के संरक्षण में जाने के लिए ताले बन्द कर दिये हैं। वहां पर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ी होती है तो जुडिशियरी को कोई पुकार नहीं सकता। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहा जाय? जैसा नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने, जब वे भाषण दे रहे थे, कहा कि ऐसा कानून अंग्रेजों के जमाने में बनता था तो इस प्रकार के कानून को काला कानून कहते थे।

आज राज्य हम चला रहे हैं, और इस राज्य को चलाने के लिए इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स इश्यू करते हैं तो वह आपके लिए स्वागत-योग्य है। मैं समझता हूँ कि जो कानून अंग्रेजों के जमाने में काला कानून था-- अंग्रेजों के जमाने में डेमोक्रेसी नहीं थी, उनका राज्य था, उस राज्य को चलाने के लिए उन्होंने कानून बनाये थे....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अब तुम्हारे लिए चर्चिल को नहीं बुलाया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह: मैं तो आपके शब्दों को ही रिपीट कर रहा हूँ, आपकी भावना को व्यक्त कर रहा हूँ।

वैसी स्थिति में उस अंग्रेजों के जमाने के कानून, जब डेमोक्रेसी नहीं थी, को उस समय काला कानून कहते थे, तो आज अगर उसी प्रकार का डेमोक्रेसी में कानून आता है, जिस कानून का आपने उस समय विरोध किया, तो मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, यह काला कानून तो है ही, लेकिन यदि डिक्शनेरी में कोई भयंकर से भयंगर शब्द मिलता हो काला कानून के लिए, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूँ, इन सारी कमियों के कारण ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार जो डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के हैं, उनको छीनने की कोशिश कर रही है धीरे-धीरे और अगर इसी प्रकार की सरकार की प्रोग्रेस चलती रही, तो एक दिन....

श्री सम्पतराम: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन सा प्रोविजन है, कौन सा डिसीजन है, जिससे राइट लिया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह: मैं समझता हूँ सारी रामायण पढ़ दो और कोई पूछे कि राम कौन था, तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं।

श्री सम्पतराम: (अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह: यह मेरी जिम्मेदारी नहीं कि सारी रामायण पढ़ने के बाद कोई पूछे कि राम कौन था। इस सारी स्थिति में इस कानून को प्रेस करने का मतलब यह होगा कि म्युनिसिपेलिटी एक्ट में जो इस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है उससे, उन कानून से हमें जो राइट्स मिले हुए हैं, उन राइट्स को कर्ब कर दिया जाय।

श्री सम्पतराम: किस प्रावधान से किस राइट को कर्ब किया जा रहा है यह तो बताइये।

श्री भैरोंसिंह: जुडिशियल कोर्ट्स में

Page No.106

(श्री भैरोंसिंह)

जाने से रोका जा रहा है ।

श्री सम्पतराम : कोई सरकार हो उसका कर्तव्य होगा कि इस तरह का कानून लाये ।

श्री भैरोंसिंह : अगर इसी को डेमोक्रेसी समझते हैं तो यह डेमोक्रेसी नहीं है, यह काला कानून है । ऐसी सूरत में आप डिक्टेटोरियल पॉवर ले लीजिये और म्युनिसिपेलिटीज के लिए एक ही कानून बना लीजिये कि राजस्थान सरकार जैसा चाहेगी वैसा कानून बनायेगी, आपकी मेजोरिटी है, चाहे जैसा कानून बनाइये, किताब बनाने वाले इस प्रकार की मेजोरिटी को ब्रूट मेजोरिटी कहते हैं. इस प्रकार की मेजोरिटी के ऊपर ऐसा काला कानून नहीं बनायें । जनता आपके इस कानून का स्वागत नहीं करेगी । इससे डेमोक्रेसी खत्म होगी और ब्यूरोक्रेसी पनपेगी और जुडिशियरी के ताले बन्द होंगे । इस तरह से आप हैल्दी कन्वेन्शन नहीं डाल सकते । इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के काले कानून का डट कर विरोध करें और इस प्रकार का काला कानून इस विधान सभा के द्वारा पारित नहीं हो । विधान सभा से इस प्रकार का काला कानून पास होना है तो इसका मतलब यह होगा कि हमने जनता द्वारा किये गये विश्वास और दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग किया ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर काफी कहा गया है और वह भी बड़ी पैथेटिक भाषा में विचारों के साथ यह प्रश्न उठाया है । यही नहीं कि ऑपोजिशन वालों की ओर से यह बात कही गई है पर हृदय-हृदय का साक्षी है, एक परिपाटी की वजह से, एक चीज ऐसी चल रही है कि उसकी वजह से एक पार्टी जो बहुमत में है वह अल्पमत वालों की तरफ से कोई भी प्रश्न आये उसको दबा दिया जाय । मैं जनरल तौर पर निवेदन करूंगा कि जब हाउस की इस प्रकार की विचारधारा है, मेरे ख्याल में सबको इसके लिये विचार है और मन्त्री महोदय भी सहृदय हैं और वे भी जरूर विचार करते होंगे कि ऐसे वक्त समय में जब पहले चुनाव खत्म कर दूसरे चुनावों के लिये व्यवस्था हो रही है उस समय इस प्रकार के कानून बनाते समय सोच-विचार करना चाहिये और जुडिशियरी और जनता की राय से किया जाय । मेरे ख्याल से तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो अच्छा रहेगा ।....

श्री उपाध्यक्ष : वह स्टेज तो कहां रहा, समाप्त हो गया, बहुत आगे आ गये हैं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ऐसे कानून को बहुत सोच-समझ कर करना चाहिये । एब्सोल्यूट मोनार्की दुनिया भर में गिर गई है और राजस्थान में भी खत्म हो चुकी है । तो डेमोक्रेसी हमें बड़ी मंहगी मिली है, उसको आगे चलाने के लिये हजारों आदमियों ने अपनी छाती का खून बहाया है, जेलों में नाना प्रकार की यातनाएं उन्होंने सही हैं । तो छोटी सी बात इलेक्शन की है उसको लेकर डेमोक्रेसी के उसूलों का हनन नहीं किया जाना चाहिये । इधर बैठे हुए हैं उनके ऐसे ख्यालात हैं, उधर भी जो माननीय सदस्य बैठे हैं वे चाहे कहें नहीं पर उनके विचार भी जरूर ऐसे हैं । एक माननीय सदस्य जो बटीकुई से आये हुए हैं उन्होंने एक पुर्जा लिख कर डाकरमानी के तौर पर मिनिस्टर साहब को भेजा ।

श्री उपाध्यक्ष : उस कागज में भी यही लिखा है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उसमें यही होगा क्योंकि आप वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध दोनों ही हैं !

श्री उपाध्यक्ष : वयोवृद्ध बनाना नहीं चाहेंगे, ज्ञानवृद्ध हैं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं बनाना चाहूँगा, ४ दफा सोच कर ऐसी चीज को पास किया जाय । आज ही नहीं इस सत्र के प्रारम्भ से ही इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं । इन्डस्ट्रीज और ट्रेड के सम्बन्ध में विचार उठे, उसके बारे में नहीं कहूँगा...

श्री उपाध्यक्ष : समय की कमी भी है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : कोई बोलता हो तो ५ मिनिट बढ़ाये भी जा सकते हैं, कांटा थोड़े ही निकल गया है कि आज ही इस सवाल को खत्म कर दिया जाय । हर चीज में न तो मैं एक्साइटेडली बोलना चाहता हूँ और न ज्यादा लम्बा ही । इसे जोड़ रहे हैं पर सदन में बराबर ऐसी भावना है कि बराबर विचार करके इस तरह की चीज को बढ़ाया जाय । हमें खुशी है कि आज की गवर्नमेंट और आज की डेमोक्रेसी वर्ल्ड में अच्छी समझी जाती है और वह आज पिनेकल पर है और पिनेकल पर कोई मोनार्की या डेमोक्रेसी पहुंचती है तो थोड़ा विचार करना चाहिये कि हम सम्यक्तया विचार करके आगे कदम बढ़ायें । आज वक्त ऐसा होता है कि पिनेकल पर पहुंची हुई चीज के गिरने का डर रहता है और वह चीज नीचे गिरती है तो ऊपर या बीच में नहीं रहती एक दम नीचे से नीचे पहुंच जाती है । नेपोलियन बारबान कुटुम्बों को खत्म करना चाहता था तो उसका रिजल्ट हुआ फ्रेंच रिवोल्यूशन....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर बोल रहे हैं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं विषय पर, ही बोल रहा हूँ और विषय पर बोलना जानता हूँ । यह अप्रासंगिक नहीं है ।

जब उसने प्रश्न उठाया तो उसकी चीज फ्रांस से चली गई और रिवोल्यूशन हुआ । इसी तरह से रूस में हुआ वह इसीलिये हुआ । अमेरिका और रूस आदि में यही बात है । इसके बारे में सोच लिया जावे तो कोई हर्ज नहीं है । इलेक्शन के बारे में लोगों के दिमाग में यह भी आवेगा कि थोड़ा बहुत इस बात पर विचार हो या भूमिका हो कि आयन्दा ऐसा नहीं होगा तो इसका असर भारत के संविधान पर पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : आपकी राय क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कर रहे हैं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं अपनी राय बता रहा हूँ । जो संशोधन लाया गया है इस पर अवश्य विचार होना चाहिये ।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल पर काफी विचार हुआ है और दोनों तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं । इस बिल पर बीकानेर से आनेवाले सदस्य ने अपने विचार रखे उस पर मुझे कोई मलाल नहीं है । ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने जो किताब में लिखा है उसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं;

Page No.108

(श्री सम्पतराम)

अगर पढ़ते तो वे ऐसा नहीं करते। अगर पढ़ा है और यह कहा है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसको समझा नहीं और उन्होंने अपने तरीके से इसका विश्लेषण किया इसके लिये सदन निर्णय करे। उन्होंने न मालूम क्या क्या कह डाला, देश में भुखमरी, बेरोजगारी, लोगों के साथ अत्याचार और भ्रष्टाचार आदि कुछ का कुछ कह गये।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : आज भी ये सब मौजूद हैं।

श्री सम्पतराम : मुझे भी याद था, मैं भी कहना चाहता तो कह सकता था लेकिन वातावरण ऐसा बन गया जिसे मुझे किसी तरह से संतोष देना चाहिये। अभी थोड़े समय पहले ऐसा मालूम हो रहा था कि राजनीति पर कोई नया उसूल कायम किया जा रहा है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में इलेक्शन का क्या महत्व है? डेमोक्रेसी में अलग-अलग फंक्शन्स क्या हैं? लेजिस्लेचर को क्या करना चाहिये व एक्जीक्यूटिव को को क्या करना चाहिये? मैं सदन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे भाषण दिये। लेकिन वे इस बात को भूल गये कि कहीं ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में तीनों अंगों को अपना-अपना काम करना चाहिये। अगर गलती कहीं भी होती है तो वह अच्छा नहीं। लेजिस्लेचर कानून पास करता है। एक्जीक्यूटिव को मैं जब कहता हूँ तो मेरा मतलब है सूबे के बहुमत की विचार-धारा का प्रदर्शन। गवर्नमेंट जब बनती है तो उसी पार्टी की बनती है जिसका ज्यादा बल होता है। और एक्जिक्युटिव काम कराते हैं तो गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत कराते हैं। डेमोक्रेसी में एग्जीक्युटिव काम करती है गवर्नमेंट के आधार पर। इसमें रात और दिन का प्रश्न कहां आता है? लेकिन राजस्थान में और हिन्दुस्तान में ऐसे दल हैं जो धर्म और अधर्म के नाम पर जिन्दा रहना चाहते हैं। धर्म और अधर्म का इतिहास हिन्दुस्तान के लिये बहुत बड़ा है। आज बहुत सी पार्टियाँ इसी बात पर जिन्दा रहना चाहती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : on a point of Order, Sir

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने उनके भाषण को शांति से सुना और मैं चाहता हूँ कि वे भी मेरे भाषण को शांति से सुनें

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Preamble of the Bill lays down that this is a Bill to validate certain municipal elections held or to be held in the State of Rajasthan; but we are passing Bill, under which clause 5 debars the challenging of municipal elections in courts. Previous objection that I had raised was with regard to Statement of Objects and Reasons. Because Preambl is part of the Bill now, I raise this point of order that Preamdl lays down that it is a Bill to validate certain municipal elections held or to be held. It is simply a validating Bill. Under that particular circumstancl, we cannot pass the Bill with clause 5 embodied in it. What would be the position so far as challengl in the courts is concerned, because the Preamble does not...

श्री उपाध्यक्ष : Yes, please proceed.

श्री सम्पतराम : मैं यह कह रहा था कि

Page No.109

(श्री सम्पतराम)

बहुत सी पार्टियां धर्म और अधर्म के नाम पर जिन्दा रहना चाहती है। कोई भी कानून बने चाहे वह किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए या किसी कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के बारे में हो या प्लान के बारे में हो, उनके तीनों ऑर्गनों के बारे में आपकी जो नॉलेज है उसको धन्यवाद देता हूँ। क्या लार्ड मैकॉले ने कानून बनाया वह बनते ही जाय। मैं यह कहूँगा कि बदलते हुए जमाने के साथ हमें बदलना होगा।

श्री भैरोंसिंह : उसके बाद में कौनसा परिवर्तन आया उसके कारण बदलते हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): बहुत सारे परिवर्तन आए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री भैरोंसिंह : आपको टिकट मिल जावेगा, अगर आप इनकी वकालत करेंगे।

श्री सम्पतराम : जिस तरह से आपने कहा कि सरकार ने काले कानून बनाये हैं और इससे जनता के साथ बड़ा अत्याचार होगा, भ्रष्टाचार होगा वह सब सुना। आप कहते हैं कि पब्लिक के अधिकारों का हनन हुआ है। लोगों के साथ ज्यादती हुई। मैं कहूँगा कि आप पाली में जावें और वहां के लोगों से पूछें, व आपको क्या कहते हैं। आप आबू में जावें, आपको वहां के लोग क्या कहते हैं इस बिल के बारे में।

श्री भैरोंसिंह : आप जयपुर की जनता को पूछें।

श्री सम्पतराम : आप जल्दी क्यों करते हैं ? जयपुर का चुनाव भी हो जावेगा।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री सम्पतराम : जो कुछ मुझे कहना है वह मैं जरूर कहूँगा; चाहे जितना आप हल्ला-गुल्ला करें ! जयपुर के चुनाव होंगे उसमें हम सब लोग देख लेंगे। मैं जनसंघ के नेता से कहूँगा कि जिन-जिन म्युनिसिपैलिटीज पर इसका असर पड़ेगा उनको जाकर देखें। आप कौन फैसला करने वाले होते हैं ? तकलीफ तो राजस्थान के लोगों को होती है और फैसला माधोपुर के लोग करें कहां तक न्याय संगत है ?

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि पाली के लोगों को जा कर पूछ लें, जयपुर का....

श्री सम्पतराम : जो कोई कानून पास होते हैं....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : On a point of order. उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि आप इसका फैसला करने वाले कौन ? वे इस प्रकार की बातें कैसे कहते हैं ? हम फैसला करने वाले नहीं हैं तो...

श्री उपाध्यक्ष : This is not a point of order. I do not treat it as a point of order. I think, we should conclude this debate.

श्री सम्पतराम : इस कानून से भला होगा या बुरा होगा, इसके लिये तो इसका निर्णय वे लोग करते हैं जिन पर इसका असर होगा। जहां पर इसका असर पड़ता है वहां के बोर्ड के सदस्यों से और जनता से वे जाकर पूछ लें कि आया वे इस ऑर्डिनेन्स को चाहते हैं या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : I think, the time likely to be over.

श्री सम्पतराम : I will just finish it. आज जयपुर का इलेक्शन होता है और किसी छोटी सी इर्रेगुलेरिटी पर वह सेट असाइड होता हैं तो इसका निर्णय करने के लिए कोई मद्रास का आदमी नहीं आवेगा। मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है। पार्टी पोलिटिक्स के सम्बन्ध में जो बातें कहीं उसके लिए चन्द बातें मैंने कही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसको पास करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपेलिटी इलेक्शन्स (वेलिडेटिंग) बिल, १९६१ को पारित किया जाए।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता

श्री भैरोंसिंह :
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : } 'ना' पक्ष जीता

श्री उपाध्यक्ष : Dou you sincerely desire that we should defer the question for tomorrow or we may extend the time of the House for 15 minutes ?

श्री भैरोंसिंह एवं श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : For minutes.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the sense of the House to extend the time by 15 miuutes just to allow me to have a division.

कुछ माननीय सदस्य :yes, yes.

श्री उपाध्यक्ष : Please ring the bell.

(गण-पूरक घन्टी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन्स (वेलिडेटिंग) बिल, १९६१ पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : That means a division. Hon'ble members, who are for 'Ayes', will rise in their chairs.

(कुछ राज्य-पक्ष के माननीय सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्)

Hon'ble members will resume their seats please, Those who are for 'Noes' will rise in their chairs, please.

विपक्ष के माननीय सदस्यों के खड़े होने के पश्चात्)

Hon'ble members will resume, please.

(विराम)

'Ayes' is surplus.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What is the number.

श्री उपाध्यक्ष : You will resume your seat.

Ayes have it, Ayes have it.

कुछ विरोधी दल के सदस्य : What is the number ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : Results have declared.

श्री उपाध्यक्ष : I have declared the determination of the House.

कुछ विरोधी दल के माननीय सदस्य : No question of determfnation.

श्री उपाध्यक्ष : This is sufficient under Rule 286. The Chair is only expected to say something about determination.

कुछ विरोधी दल के माननीय सदस्य : Number must be told. What is the harm if the numbers are given ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : Under the Rules it is not at all incumbent on the Chair.

कुछ विरोधी दल के सदस्य : But there was Division.

श्री उपाध्यक्ष : I will just read the Rule for information of the House :

"Provided that, if in the opinion of the Speaker, the Division is unnecessarily claimed, he may ask the members who are for 'Aye' and those for 'No' respectively to rise in their places and, on account being taken, he may declare the determination of the House."

कुछ बिरोधी दल के मामनीय सदस्य हमारी मेजॉरिटी है। जब तक नम्बर नहीं बतायेंगे तब तक काम नहीं चलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is a provision that "on account being taken;" account has to be taken.

श्री विशम्बरनाथ जोशी Ruling of the Chair is final.

(बाधाएं)

श्री उपाध्यक्ष: Order! order! please. For the convenience of the House I would like even to declare the results :

Ayes	33
Noes	13

We now adjourn to meet tomorrow at 11 A.M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् ५ बजकर ७ मिनट पर दिनांक १५ सितम्बर, १९६१ के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १४ सितम्बर, १६६१)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६६६

पंचायतों के निर्विरोध चुनाव और पुरस्कार।

स्टेट बैंक, जयपुर के जमादार की रोगग्रस्त आंख का ऑपरेशन।

टोंक डिस्ट्रिक्ट में मवेशियों की मृत्यु के कारण।

बांध भण्डारी, तहसील सिकराय का निर्माण और काश्तकार।

उनियारा में एक दूकान का ताला तोड़ा जाना।

ग्राम पंचायत, हापावास के रिक्त स्थानों की पूर्ति।

बीकानेर के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सम्बन्धी सामान की कमी।

नगरपालिका जयपुर की दमकलें।

रूरल डेवलपमेन्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, भांकरोटा (जिला जयपुर)।

ऊन पर बिक्री-कर की दरों में परिवर्तन।

इण्डियन मोटर विहिकल्स एक्ट के अधीन राजस्थान में बनी कमेटियों के सदस्य।

विभागीय कर्मचारी आयुर्वेद कॉलेजों के छात्र।

नगरपालिका भीलवाड़ा में निर्माण कार्यों में घोटाला।

मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट कपासिन की अदालत में चोरी।

सवाई माधोपुर से देवली वाया अलीगढ़ बस का परमिट।

सिरोही जिले में मध्यम सिंचाई योजनाएं।

ग्राम गांवडा मीना में मृत्युभोज का आयोजन।

सन् १६५५ से सर्जरी के लेक्चरार्स की नियुक्ति।

नगरपालिकाओं को पिछड़ी जाति व हरिजन जाति के व्यक्तियों को नियुक्त करने के आदेश।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बस्सी द्वारा अनिवार्य बीमा रकम की कटौती।

आमेर में नाथद्वारे के महंत भी के कब्जे से जवाहरात आदि का

पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया जाना।

बीमा विभाग के अधिकारी रोटेरी क्लब व अग्रवाल कॉलेज के पदों पर।

पाली म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा काश्व की जमीन में नये रास्ते का निर्माण।

भूतपूर्व अजमेर पुलिस रेडियो विभाग के कर्मचारियों का वेतन।

खादी ग्रामोद्योगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता।

जयपुर नगर-अजमेर रोड पर जमना डेयरी की बस्ती।

सब-इन्सपेक्टर्स के ग्रेड।

बीकानेर जिले के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, महाजन का स्थानान्तरण।

विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किये गये विधेयक ७६६

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गए:—

(१) राजस्थान बिक्रीकर(संशोधन) विधेयक, १९६१।

(२) राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९६१ (अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखा गया)।

(३) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६१।

(४) राजस्थान बाट व माप (प्रवर्त्तन) संशोधन विधेयक, १९६१।

(५) राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण (संशोधन) विधेयक, १९६१।

(ख) विचारार्थ लिये गये विधेयक:—

१. राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) विधेयक, १९६१। ७६९

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सदस्य, विधान सभा, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"यह सदन राजस्थान म्युनिसिपल निर्वाचन (वैधकरण) अध्यादेश, १९६१ (अध्यादेश संख्या २ सन् १९६१) को निरनुमोदित (disapprove) करता है।"

तत्पश्चात् श्री सम्पतराम, स्वायत्त शासन मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव रखा।

संकल्प तथा विधेयक पर एक साथ बहस की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री मूलचन्द डागा।

(२) श्री अर्जुनदास।

(३) श्री दयाकृष्ण विजय।

(४) श्री सोहनलाल भटनागर।

स्वायत्त शासन मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प विभाजन के फलस्वरूप ('हां' पक्ष १४ व 'ना' पक्ष ४१) अस्वीकार किया गया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

सदन की बैठक ५ बज कर ५ मिनिट पर शुक्रवार दिनांक १५ सितम्बर, १६६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक १५ सितम्बर, १६६१ की कार्य सूची

(१) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १६६१ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)।

(२) राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १६६१ (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा संकल्प की प्रस्तुति एवं खण्डशः विचार-विमर्श)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०४ का उत्तर देखिये)

STATE TRANSPORT AUTHORITY (FROM 9TH MARCH, 1961)

1.	Shri D.C. Sharma, R.H.J.S. Secretary to the Government, Law & Judicial Deptt.	Chairman,
2.	Deputy Secretary to Government, Home Deptt.	Member (Official)
3.	Deputy Inspector-General of Police Hqr.	,, ,,
4.	Chief Engineer, Buildings & Roads.	,, ,,

NON-OFFICIAL MEMBERS.

5.	Smt. Sumitra Devi, M.L.A. representing Jaipur region.	,, Non-Official
6.	Shri Makhtur Mal Singhvi representing Jodhpur region.	,,
7.	Shri Kanhaiya Lal Sethia representing Bikaner region.	,,
8.	Shri Umaid Mal Naheta representing Kota region	,,
9.	Shri Tejmal Bapna M.L.A. representing Udaipur.	
10.	Shri Harish Chandra Golecha representing trade and commerce.	
11.	The Deputy Director of Transport for the State of Rajasthan.	Member-cum-Secretary and Executive Officer.

REGIONAL TRANSPORT AUTHORITIES.
JAIPUR (FROM 30th JUNE, 1961)

1.	Shri R.D. Mathur,	Chairman.
2.	Deputy Inspector-General of Police.	Member.
3.	Superintending Engineer (B&R).	,,
4.	Regional Transport Officer, Jaipur.	Member-Secretary.

JODHPUR REGION (FROM 30th JUNE, 1961.)

1. Shri R.D. Mathur. — Chairman.
2. Deputy Inspector-General of Police. — Member
3. Superintending Engineer (B&R). — "
4. Regional Transport Officer, Jodhpur. — Member--Secretary.

UDAIPUR REGION (FROM 30th JUNE, 1961.)

1. Shri R.D. Mathur. — Chairman.
2. Deputy Inspector-General of Police. — Member.
3. Superintending Engineer, (B&R) — "
4. Regional Transport Officer, Udaipur. — Member--Secretary.

KOTA REGION (FEOM 30th JUNE, 1951.)

1. Shri R.D. Mathur. — Chairman.
2, Deputy Inspectoren-Geral of Police — Member.
3. Superintending Engineer (B&R). — "
4. Assistant Regional Transport Officer, Kota. — Member--Secretary.

BIKANER REGION (FROM 30th. JUNE 1961.)

1, Shri R.D. Mathur. — Chairman.
2. Deputy Inspector-General of Police. — Member.
3. Superintending Engineer (B&R). — "
4. Assistant Regional Transport Officer, Bikaner — Member--Secretary.

APPELLATE TRIBUNAL (TRANSPORT) FROM 24-10-1951.

1. Shri P.D. Loiwal, R.H.J.S. (Retired) — Member, Appellate Tribunal (Transport).

•Y??ɪ?ɔ

परिशिष्ट २

(कृपाया तांराकित प्रश्न संख्या १११ का उत्तर देखिये)

LIST OF DOCTORS APPOINTED AS LECTURER'S IN SURGERY SINCE 1955.

S.N.	Name	Qualifications	Year of Qualifying as M.S.	Date of appointment as Lecturer.	Previous Experience.
1.	Dr. P. K. Sethi	MBBBS.,M.S., F.R.C.S.	1952	25.3.55 to 4.3.58	He was appointed as CASI cum Lecturer in Surgery w. e. f. 25.3.55 being M. S. and F. R. C. S.
2.	Dr. T. G. Mathur	M.B.B.S.,M.S.	1955	8.5.55 to 10.1.56	8 years 5 months.
3.	Dr. K. C. Gangwal	M.B.B.S.,M.S.	1957	22.11.58 to date	2 years and 10 months. Worked as Demonstrator in Surgery since appointment Vis. 5.1.56.
4.	Dr. K.N. Bhargava	M B.B.S.,M.S.	1953	13.10.54 to 5.9.58 12.11.60 to 20.4.61 21.4.61 to date.	He was appoinred as CAS Class I cum Lecturer w. e. f. 13.10.54 being M. S.

1	2	3	4	5	6
5.	Dr. M. M. Sharma	M.B B S.,M.S.	1955	10-10.56 to 9.1 60 21.4.61 to date	8 yιars and 9 months.
6.	Dr. K. C. Sogani	M.B B.S.,M.S.	1957	22.11.ʹ8 to 31.10.60 12.11,60 to date	2 years and 10 months.
7.	Dr. G. S. Jhala	M.B.B.S.,M.S.	1958	10 1.60 to 16.1.60, 28.4.60 to 11.11.60	7 years and 6 months.
8.	Dr. S. D. Dandiya	M.B.B.S,,M.S.	1958	17.1.60 to 18.3.60 13.4.60 to 27.4.60	4 years and 5 months.
9.	Dr. S. K. Paudey	M.B.B.S.,M.S.	1957	19.3.60 to 12.4.60	2 years and 7 months.
10.	Dr. M. G. Sariu	M.B.B.S .M.S.	1960	31.12.60 to date	12 years.
11.	Dr. T. C. Jain	M.B.B.S.,M.S.	1957	18 7.61 to date	6 years and 1 month.

LIST OF DOCTORS POSSESSING M. S. QUALIFICATIONS.

S. N.	Name	Place of posting	Date of CAS II	Appointed CAS I	Doing technical work.
1.	Dr. M. M. Sharma	SMS Hospital, Jaipur	—	23.12.47	Lecturer in Surgery.
2.	Dr. M. G. Sarin	SMS Hospital, Jaipur	—	16.12.48	Lecturer in Neuro Surgery.
3.	Dr. Sunder Narain	Sardar Hospital, Dholpur	14.7.48	22.6.53	
4.	Dr. K. N. Bhargava	SMS Hospital, Jaipur	—	13.10.54	Lecturer in Cardic Surgery.
5.	Dr. S. M. Gupta	M. G. Hospital Jodhpur	—	6.8.55	
6.	Dr. S. S. Rawat	Gen. Hospital, Udaipur	1.7.54	13.5.56	
7.	Dr. V. S. Deve	SMS Hospital, Jaipur	27.9.54	1.9.56	
8.	Dr. K. C. Sogani	SMS Hospital Jaipur	28.7.54	23.9.56	Lecturer in Surgery.
9.	Dr. G. S. Jhala	SMS Hospital, Jaipur	3.7.52	23.11.56	Clinical Tutor in Cardic Surgery.
10.	Dr. Tara chand Jain	P. B. M. Hospital, Bikaner	7.6.55	29.4.57	Lecturer in Surgery (Bikaner.

1	2	3	4	5	6
11.	Dr. Nawal Kishore Sharma	Gen. Hospital, Bundi	10.6.54	6.5.57	
12	Dr. S. K. Pandey	SMS Hospital, Jaipur	—	6.8.57	Clinical Tutor in Surgery.
13.	Dr. H. K. Gupta	Victoria Hospital, Bharatpur	1.7.55	4.2.58	
14.	Dr. S. D. Dandiya	SMS Hospital, Jaipur	1.7.55	19.6.58	—do—
5.	D M. P. Singh	SMS Hospital, Jaipur	5.5.58	1.8.58	—do—
16.	Dr. K. C. Gangwai	SMS Hospital, Jaipur	5.1.56	22.11.58	Lecturer in Surgery.
17	Dr. R. K. Herneja	SMS Hospital, Jaipur	15.6.54	7.5.59	Clinical Tutor in Neuro Surgery.
18.	Dr. R. K. Agarwal	PBM Men's Hospital, Bikaner	7.5.55	8.5.59	
19.	Dr. Darbari Lal Kanwar	SMS Hospital, Jaipur	12.1.53	7.7.59	
20.	Dr. J. C. Jain	Jhunjhunu	21.5.59	7.1.59	
21.	Dr. Anandswaroop Gupta.	Gen. Hospital, Udaipur	1.7.54	13.5.55	
22	Dr. Mahendra Singh	Ladnun	9.8.60	25.8.60	

1	2	3	4	5	6
23.	Dr. A, S. Gahlot	Bhilwara	21.5.57	23.5 60	
24.	Dr. M. C. Mehta	Pratabgarh	23.10.53	24.5.60	
25.	Dr. G. S. Chapl[illegible]	Bikaner	14.7.55	1·8·60	
26.	Dr. R. N. Jhanji	Kota	2.7,57	1.6.59	
27.	Dr. T. S. Arora	Baran	8.6.56	9.5.59	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११६ का उत्तर देखिये)

पिछड़ी जाति व हरिजन जाति के लोगों की तालिका (सूची) जिनकी नियुक्ति नगरपालिका परिषद्, जोधपुर में विज्ञप्ति संख्या डो २६७१६-२६८७६ । डी. एल. बी. । ५४ । १०० दिनांक १६-१२-१६५४ के बाद में हुई ।

पिछड़ी जाति के लोग:—

नाम	पद	नियुक्ति	पदोन्नति की तारीख	जाति
१. श्री पूरणलाल	ओक्ट्रॉय मोहर्रिर ४०-२-६० इ.बी. ५।२-८०	१२-३-५६	—	कुम्हार
	लोवर डिविजन क्लर्क ५०-२-६० इ.बी. ४-१०० मे	—	१७-३-५६	
	लोवर डिविजन क्लर्क उच्चतर ग्रेड ६०-३-६० इ.बी. ५-१२० में	—	१-११-६०	
२. श्री छेलाराम	ड्राइवर ग्रेड ५०-३-८०	८-१-५८	—	नाई
३. श्री मोहनसिंह	स्वच्छता निरीक्षक प्रथम श्रेणी के ग्रेड रु० ६०-१२०-६-१८० में	..	२१-७-५६	रावणा राजपूत
४, श्री गंगासिंह	ड्राइवर ग्रेड रु० ५०-३-८०	—	१-११-५८	,, ,,
५. श्री जबरसिंह	साईकेल सवार ग्रेड २५-१-३० प्लस	१-५-५६	—	,, ,,

१	२	३	४	५
	१० रु० सी ए. ओक्ट्रॉय मोहर्रिर ग्रेड रु० ४०-२-६० इ.बी.५।२-८०	—	८-१०-५६	राजपूत
६ श्री मोहनसिंह	ओक्ट्रॉय चौकीदार ग्रेड रु० २५-१-३०	८-३-६०	— —	" "
७ श्री उदयसिंह	सीवेज फार्म चौकीदार ग्रेड रु० २५-१-३०	१६-८-६०	—	" "
८ श्री जसिया	" "	१६-८-६०	—	नायक
९ श्री ईश्वरदास	ओक्ट्राय चौकीदार ग्रेड रु० २५-१-३०	१-२-६०	—	भगत
१० श्री मोहनसिंह	जमादार ग्रेड रु० ३०-१-३५	१६-३-५७	—	रावणा राजपूत
११ श्री हरिभजन	लोअर डिविजन क्लर्क (समाज कल्याण विभाग में स्थानान्तरण हो चुका है)	१९५४	—	हरिजन
१२ श्री चन्द्राकर	ओक्ट्राय मोहर्रिर ग्रेड रु० ४०-२-६० इ.बी. ५।२-८०	८-२-५७		"
१३ श्री दयाराम	लोअर डिविजन क्लर्क ग्रेड रु० ४०-२-५० ३-८०	—	१-११-६०	"
१४ श्री बाबूलाल	स्वच्छता निरीक्षक द्वितीय श्रेणी ग्रेड रु० ६०-३-९० इ. बी. ५-१२०	—	१८-१२-५६	"
१५ श्री राजूराम	जमादार ग्रेड २५-१-३५	—	११-२-५६	"

१	२	३	४	५
१६ श्री मांगीलाल	जमादार ग्रेड २५-१-३५	१७-१०-५६	—	हरिजन
१७ श्री छोटूराम	जमादार ग्रेड ३०-१-४०	३-७-६०	—	,,
१८ श्री छिनाराम	जमादार ग्रेड २५-१-३५	२०-४-६०	—	,,
१९ श्री छिनाराम वल्द जोगीदास	ग्रेड २५-१-३५	९-१०-५८	—	,,
२० श्री छिगाराम	टैंक चोकीदार ग्रेड २५-१-३५	१-५-६१	—	,,
२१ श्री सरदारमल	जमादार ग्रेड ३०-१-३५	—	१२-५-६१	,,
२२ श्री रामचन्द्र	जमादार ग्रेड ३०-१-४०	—	३-१-५५	,,
२३ श्री दाऊदयाल	जमादार ग्रेड ३०-१-३५	—	३१-५-५८	,,
२४ श्री छोटूराम	जमादार ग्रेड ३०-१-४०	२-७-६०	—	,,
२५ श्री गोपीराम	स्वच्छता निरीक्षक द्वितीय श्रेणी ग्रेड ६०-३-९० इ. बी. ५-१२०	—	३-१-५५	,,

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११३ का उत्तर देखिये)

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बस्सी द्वारा सीमा की रकम काटे जाने एवं उसमें जमा कराये जाने की सूची

क्रमांक	नाम	कटौती की नई रकम	चालान संख्या जिसके द्वारा रकम ट्रेजरी में जमा कराई गई ।
१.	अक्टूबर, ५६	२२३)	चालान नं० २११० से २३६६)रु० तारीख ३१-३-६० ।
२.	दिसम्बर, ५६	५६६)	
३.	जनवरी, ६०	३६४)	
४.	फरवरी, ६०	३६४)	
५.	मार्च, ६०	३६४)	
६.	अप्रेल, ६०	३६२)	
७.	मई, ६०	३६३)	चालान नं० २६२० से ३५८) रु० तारीख ५-१-६० ।
८.	जून, ६०	४०८)	
९.	जुलाई, ६०	४१३)	
१०.	अगस्त, ६०	३८२)	
११.	सितम्बर, ६०	३८०)	चालान नं० ४७४८ व ४६से३७१३)रु० तारीख १५-४-६१
१२.	अक्टूबर, ६०	३५८)	
१३.	नवम्बर, ६०	३६५)	
१४.	दिसम्बर, ६०	४०८)	
१५.	मार्च, ६१	१,०४४)	
	कुल योग	६,५१७)	

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार दिनांक १४ सितम्बर, १९६१)

स्तम्भ	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६९६	१५	९	९१
,,	१९	आश दिये	आदेश दिये
,,	२१	दिय जावे	दिया जावेगा
,,	अन्तिम	किती पंचायत	कितनी पंचायतें
६९७	१६	का ऐसी	की ऐसी
६९९	१४	पिटशन का	पिटीशन का
७०२	२७	ब्रद्रप्रसाद	ब्रद्रीप्रसाद ९१
७०४	२	को कम्पेन्सट	को कपेन्सेट
७०५	४	डाक्टर हैं	डॉक्टर है,
७०६	१४	श्री ब्रद्रीप्रसद गुप्ता	श्री ब्रद्रीप्रसाद गुप्ता
७०८	१	अपेन्डी साइटज	अपेन्डीसाइटिस
,,	अन्तिम से ४	टौंक, की सूची	टौंक की सूची,
७१२	२०	बध	बांध
७१४	९	जदयपुर	जयपुर
७१५	६,७,१७	पेजशन	पजेशन
,,	२४	यहो तो	यही तो
७१६	६	इस ओर	इस ओर
,,	२०	की ओर	की ओर
,,	२४	सरद्रसिंह	सरदारसिंह
,,	अन्तिम से २	आप कर	आप कह
७१७	२०	गृह मत्री	गृह मंत्री
७१८	१८	सरदारसिं	सरदारसिंह
७१९	१४	घेषित	घोषित
,,	२४	कार्गवाही	कार्यवाही
,	अन्तिम से ४	रिकत स्यान	स्थान रिक्त
७२०	१४	आपन कह	आपने कहा

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७२०	२४	कागज ह	कागज हैं
,,	२६	सरदरसिंह	सरदारसिंह
७२१	१८	यह अश्वसन	यह आश्वासन
,,	२१	मत्री	मंत्री
७२२	१२	१६६–६१	१६६१–६२
७२४	१०	इस सवन्ध	इस सम्बन्ध
,,	१२	मिघा	मिर्धा
७२६	१७	(कृपाया	(कृपया
७२७	२३	कमचारी आयुवद	कर्मचारी आयुर्वेद
७२८	२३	भिषगार्य	भिषगाचार्य
७३०	१०	दिनक	दिनांक
७३१	२ व ८८	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
७३२	१६,२० व२२	जुडिशियल	जुडीशियल
७३९	अन्तिम से ४	इस मर्ट	इस कोर्ट
७४१	१७	इलिए नहीं	इसलिए नहीं
,,	अन्तिम से २	श्री श्रीतनसिंह	श्री तनसिंह
७४२	,, ,, ३	as cgnisble	as cognisable
७४५	२५	readya	ready a
७४६	शीर्ष	गुप्पा	गुप्ता
७५२	२०	ममहराज	महाराज
७५६	२१	स्वयत्त शासन मंत्री	स्वायत्त शासन मंत्री
७५८	८	ग्रामोघेग	ग्रामोद्योग
७६२	१	नहीं सुन	नहीं सुना
७६४	२	इम्पोंर्टैंट	इम्पोर्टेन्ट
,,	२६	इन्सपेक्ट ों	इन्सपेक्टरों
७६७	शीर्षक	विधेकय	विधेयक
,,	अन्तिम से ४	और सदस्यों के पारलाभ)संशाधन	और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन
७६८	११	विधेयक कै	विधेयक को
,,	१२	वाट माप (प्रवतन)	वाट व माप (प्रवर्तन)
७७०	१०	(dic)	(disapprove)
,,	२५	सवे	सर्वे

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७७२	५--६	स्टीरिओटइप्ट	स्टीरियाटाइप्ड
,,	११	न्यूज	न्यूज
७७४	३०	vaidate	validate
७८१	२८	इलेक्टर रोल्स	इलेक्टोरल रोल्स
७८२	२६	हो जा जोय	हो जायें
७८६	११	पहूँचे	पहुंचे
७८७	शीर्षक	विधयक	विधेयक
७६०	१३	याननीय	माननीय
७६५	६	membere	members
,,	१४	liberty consult	liberty to consult
,,	२६	cass	case
७६६	२४	भां	भी
७६८	१३	नटिस	नोटिस
,,	१७	हाकोर्ट	हाईकोर्ट
८००	शीर्षक	८०] म्युनिसिपल निवांचन	८००] म्युनिसिपल निर्वाचन
,,	५	सतान को	संतान को
,,	७	अखाडो	अखाड़ों
८०१	१२	यह आश्वाशन	यह आश्वासन
,,	१४	गलत ढग	गलत ढंग
,,	१७	आवश्वासन	आश्वासन
८०३	१२	प्राथना-पत्र	प्रार्थना-पत्र
,,	१६	न्टिव	सब्स्टेन्टिव
८०४	५--६	छुटे से	छोटे से
,,	२५	को रेकटिफाइ	कोरेक्टिफाई
८०५	१८	(प्री सतीशचन्द्र	(श्री सतीशचन्द्र
८०८	शीर्ष	bothe Houses	Both the Houses
८१०	१४	स िपिस	सस्पीशियस
,,	३०	(वेधकसग)	(वैधकरण)
८१५	शीर्षक	has issued t o	has issued this
८१७	अन्तिम	e	Ordinance
८१६	३०	its c t e	its control

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
८२०	२५	at or	or
८२१	१४	laecuua	lacuna
८२२	१७	के को	के हाथों को
८२४	शीर्ष	म्युनिसिहल	म्युनिसिपल
,,	२	गल्तिया	गल्तियां
,,	६	गल्तियें	गल्तियां
८२७	८	प्रतक्रियावादी	प्रतिक्रियावादी
,,	२६	फार्मस के	फॉर्म्स के
८२६	४	को ट्रेनिच	को ट्रेनिंग
८३०	१६	प्रेस्काब्ड मेर	प्रेस्काइब्ड मैनर
८३२	शीर्षक	म्युनिसिपल निवचन	म्युनिसिपल निर्वाचन
६००व६०८			
,,	अन्तिम से ६	उपाध्यत्त	श्री उपाध्यत्त
८३४	अन्तिम से २	puposes of	purposes of
८३८	१७	प्रेजूडस्ड	प्रेजुडिस्ड
८४०	१३	safegvarded	safeguarded
,,	१६	legisaiions	legislations
८५२	६	सेटिर क्शन	सेटिस्फेक्शन
,,	२२	ताक इन	ताकि इन
,,	अन्तिन से ३	काम म	काम में
८४६	,, ,, २	श्री गणपतलिाल	श्री गणपतिलाल
८४८	८	सवाज उठना	सवाल उठाना
,,	२०	explanaon	explanation
,,	२४	मालूम है । उपाध्यत्त	मालूम है, उपाध्यत्त
८४९	६	what reule	what rule
८५०	अन्तिम से २	क्लॉलेज २	क्लॉजेज २
८५६	२८	पि-लकशव होता	पब्लिकेशन होता
८५७	अन्तिम से २	कर वाते	कर पाते
८६१	,, ,, ,,	लोगें के	लोगों के
८६४	शीर्षक	निवांचन	निर्वाचन
,,	८	Honbl	Hon'ble

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
८६४	२१	tablet with	teblets with
८६६	शीर्षक	(वधकरण)	(वैधकरण)
,,	६	puestion	Question
८७०	१४	Order, Sir	Order, Sir.
,,	२४	ओब्जेक्टस	ओब्जेक्ट्स
८७२	२	the futurie	The future
,,	११	follow. the	follow. The
८७३	अन्तिम से ५	चाहिए । को	चाहिए
८७६	१३	क्लॉलेच	क्लॉजेच
८८६	१	आपकं सिटी	आपके सिटी
,,	७	करन पड़ते हैं	करना पड़ता है
८८६	शीर्षक	बैधकरण	वैधकरण
,,	१६	जनतत्रिक	जनतांत्रिक
८९५	६	गड़वड़ें	गड़बड़ियें
८९९	१३	फंकन्स	फंक्शन्स
९००	१४	को दवे	को दबे
९०१	अन्तिम से ८	ब्यूरोक्रेस	ब्यूरोक्रेटिक
९०५	७	भयगर	भयंकर
९११	१८	of Ralajesthan	of Rajasthan
,,	२४-२५	Preambl	Preamble
९१२	११	श्री मैरोंमिह	श्री भैरोंसिंह
९१४	५	है आर	है और
,,	२१	Dou you	Do you
९१६	४	have declared	have been declared
९१७	शीर्षक	विधयक	विधेयक
९२०	७	काश्व की	काश्त की
९२५	११	(Feom	(From
९२८	५	n	—
९२९	सीरियल १६	Gangwai	Gangwal
९३४	शीर्ष	९३५	९३७